# समर्थन

संस्कृति मंत्रालय | भारत सरकार

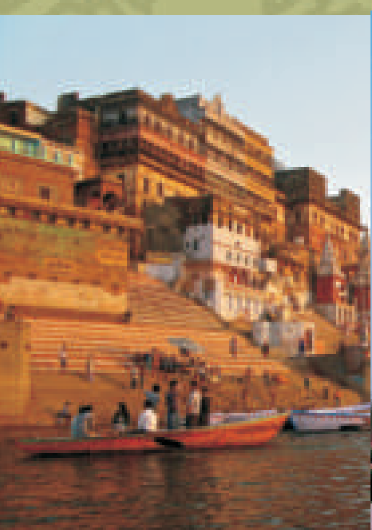

# समर्थन

सत्यमेव जयते

**संस्कृति मंत्रालय**
भारत सरकार
नई दिल्ली

संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित और डॉल्फिन प्रिंटो ग्राफिक्स 4ई/7, प्रथम तल, इंझेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110005, दूरभाष सं. 011–23593541–42 में मुद्रित

डॉ. महेश शर्मा
Dr. Mahesh Sharma

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
भारत सरकार, नई दिल्ली
MINISTER OF STATE (IC) FOR CULTURE
MINISTER OF STATE (IC) FOR TOURISM
GOVERNMENT OF INDIA, NEW DELHI

## संदेश

संस्कृति मंत्रालय भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत से संबंधित कार्य करता है। मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में स्मारक एवं पुरातत्व विज्ञान; लोक एवं जनजातीय कला; साहित्य; अभिलेखागार; पुस्तकालय; संगीत, नृत्य और नाटक सहित मंच कलाओं तथा चित्रों, मूर्तिकला एवं ग्राफिक्स के रूप में दृश्य कलाओं जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार-प्रसार, परिरक्षण एवं संरक्षण संबंधी सभी कार्यकलाप 2 संबद्ध कार्यालयों, 6 अधीनस्थ कार्यालयों एवं इसके नियंत्रणाधीन 34 स्वायत्त संगठनों के नेटवर्क तथा कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रसार हेतु मंत्रालय द्वारा सीधे ही संचालित की जाने वाली कई स्कीमों के माध्यम से किए जाते हैं। इसके कार्यकलाप एवं कार्यक्रमों को विभिन्न व्यापक शीर्षों के तहत संयोजित किया गया है यथा, प्रचार एवं प्रसार, पुरातत्व विज्ञान, संग्रहालय, अभिलेखागार, मानवविज्ञान, मंच कलाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, बौद्ध एवं तिब्बती संस्थान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, स्मारक, शताब्दियां एवं वर्षगांठ, अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यकलाप एवं निर्माण परियोजनाएं आदि।

स्कीमों के संबंध में जनता को जागरूक करने के लिए, मंत्रालय ने "समर्थन" नामक एक संकलन प्रकाशित किया है। समर्थन के इस संस्करण में संस्कृति मंत्रालय की सभी मौजूदा स्कीमों का विवरण है।

मुझे प्रयोगकर्ताओं को संकलन का यह संस्करण सौंपते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं यह आशा करता हूं कि कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यह उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, इन स्कीमों से संबंधित विवरण मंत्रालय की वेबसाइट : www.indiaculture.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

(डॉ. महेश शर्मा)

रवीन्द्र सिंह, आई.ए.एस.
सचिव
Ravindra Singh, IAS
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NEW DELHI-110 001

## प्रस्तावना

संस्कृति मंत्रालय ने जनवरी, 2012 में ''समर्थन'' का अंतिम संस्करण प्रकाशित किया था। उसके बाद से मंत्रालय द्वारा अनेक स्कीमें संशोधित करने के साथ–साथ कुछ नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इस मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों से संबंधित नवीनतम और अद्यतन सूचना का प्रसार करने के लिए, ''समर्थन'' का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े सरकारी विभाग, राज्य सरकार और विभिन्न संगठन और व्यक्ति इस संग्रह में यथा संकलित सभी आवश्यक सूचना संबंधी निष्कर्ष से लाभान्वित होंगे।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह संग्रह सभी स्कीमों के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन में इस मंत्रालय और इसके संगठनों के अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें प्रेरित करेगा और जैसी इसकी अभिकल्पना की गई है, उसी भावना से इसकी प्रदायगी सुनिश्चित करेगा।

(रवीन्द्र सिंह)

# संस्कृत मंत्रालय की स्कीम


| क्र.सं. | स्कीम का नाम | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | विनिर्दिष्ट मंच कला अनुदान स्कीम | 1 |
| 2. | राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम दिशा–निर्देश | 4 |
| 3. | स्टूडियो थिएटरों सहित भवन अनुदान की स्कीम | 8 |
| 4. | टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए स्कीम | 16 |
| 5. | कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि | 24 |
| 6. | गैर लाभार्थी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम (सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम) | 27 |
| 7. | संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करने की स्कीम | 30 |
| 8. | विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने की स्कीम | 33 |
| 9. | टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति | 38 |
| 10. | संग्रहालय पेशेवरों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम | 48 |
| 11. | संग्रहालय अनुदान स्कीम | 52 |
| 12. | संग्रहालय संग्रहण के अंकीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्कीम | 63 |
| 13. | विज्ञान शहरों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश | 66 |
| 14. | विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संशोधित मानदंड | 74 |
| 15. | राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों / सोसाइटियों को सहायता अनुदान | 85 |
| 16. | स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दी / जयंती मनाने के लिए सहायता अनुदान | 87 |
| 17. | बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम | 89 |
| 18. | हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम | 94 |
| 19. | अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्कीम | 98 |

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 20. | विदेशी कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों को भारतीय संस्कृति (अर्मूत सांस्कृतिक विरासत) के किसी रूप का अध्ययन करने और / सीखने के लिए वित्तीय सहायता | 101 |
| 21. | अंतरराष्ट्रीय और देशी पुस्तकालय मेलों एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता | 104 |
| 22. | स्थायी वित्त समिति द्वारा यथा अनुमोदित भारत –विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों हेतु सहायता अनुदान स्कीम | 107 |
| 23. | भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण की स्कीम | 109 |

# 1

# विनिर्दिष्ट मंच कला अनुदान स्कीम

## क. प्रस्तावना

स्कीम का नाम ''विनिर्दिष्ट मंच कला अनुदान स्कीम'' होगा। इस स्कीम के अंतर्गत नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मण्डलियों, बाल रंगषाला, एकल कलाकारों और मंच कला कार्यकलापों के सभी प्रकार के स्वरूपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

इस स्कीम के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :–

1. निर्माण अनुदान
2. रेपर्टरी अनुदान

## ख. अनुदान के लिए पात्रता और मापदण्ड

### (क) निर्माण अनुदान

1. इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान या आर्थिक सहायता, परियोजना या कार्यक्रमों के अनुमोदन के आधार पर दी जाएगी तथा यह तदर्थ प्रकार की होगी। स्कीम के अंतर्गत चुनी गई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी। अनुदान की राषि विषेष वर्ष में सहायता के लिए चुने गए अनुमोदित प्रस्तावों/कार्यक्रमों में सभी मदों में व्यय के लिए पर्याप्त होगी। अनुदान के उद्देष्यों के लिए अनुमोदित मदों के रूप में मानी गई मदों में प्रचलित दरों पर अनियत कलाकारों सहित कलाकारों को वेतन भुगतान, निर्माण / प्रस्तुतिकरण की लागत, रिहर्सल के लिए हॉल का किराया, पोषाकों की लागत, परिवहन के फुटकर खर्च, शोध व्यय आदि षामिल होंगी।

2. निर्माण अनुदान मांगने के लिए आवेदन में सही औचित्य के साथ विस्तृत अनुमानित लागत का उल्लेख का जाना चाहिए जिससे कि विषेषज्ञ समिति वास्तविक आवष्यकताओं के आधार पर अनुदान की सिफारिष पर विचार कर सके।

3. सहायता के लिए व्यक्तिगत प्रस्तावों का चयन करने में यह सुनिष्चित करने का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें दुर्लभ और परम्परागत रूपों को वरीयता देते हुए देष के सभी भागों से सभी कला रूपों और शैलियों का प्रतिनिधित्व हो। नए नाटकों / कार्यक्रमों/प्रस्तुतियों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

4.1. मौलिक लेखन, मौलिक निर्देषन, रंगमंच शोध, रंगमंच प्रषिक्षण कार्यक्रम और दर्षकों तथा ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रषिक्षण से उभरकर आने वाली प्रयोगात्मक और नवाचार पद्धतियों को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं को विषेष महत्व दिया जाएगा।

4.2 निर्माण अनुदान क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दो किस्तों में संवितरित किया जाएगा जिसका तरीका निम्नानुसार होगा:–

(i) कार्यवृत और आईएफडी के अनुमोदन के पश्चात विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित मंजूर लागत का 75प्रतिशत पहली किस्त में दिया जाएगा।

(ii) प्रथम किस्त के अनुमोदन पत्र के माध्यम से यथा उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत दूसरी किस्त जारी करने के आवेदन पत्र के प्राप्त हो जाने के पश्चात शेष राशि का 25 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा बशर्ते संगठनों को आवश्यक रूप से अपने आस पास के किसी एक स्कूल में कम से कम 2 सांस्कृतिक गतिविधियां (कार्यक्रम, व्याख्यान, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) आयोजित करनी होगी। अनुदान के नवीकरण तथा जारी करने के लिए इस संबंध में स्कूल प्रधानाचार्य से एक प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।

5. जिन अनुदानग्राहियों को निर्माण अनुदान स्वीकृत हुआ है वे अपने कार्यक्रम के विस्तृत विवरण, संस्कृति मंत्रालय को उपलब्ध कराएंगें, जिससे कि इन्हें संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

6. निर्माण अनुदान मांगने वाले संगठन/व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगें।

**(ख) रेपर्टरी अनुदान**

1. रेपर्टरी अनुदान सहायता के लिए नाटक मंडलियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में और गुणवत्ता परक रंगपटल हो और वे अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्षन कर रही हों।

2. वे अनुदानग्राही जो रेपर्टरी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनके वेतन अनुदान के नवीकरण की सिफारिष तभी की जाएगी जब वे वित्त वर्ष के दौरान कम से कम दो निर्माण का मंचन करें। इनमें से एक निर्माण नया अर्थात जो पहले मंचित न किया गया हो, होना चाहिए।

3. इस उद्देष्य के लिए स्थापित विषेषज्ञ समिति द्वारा वेतन अनुदान का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाएगा।

4. वेतन अनुदान के मामले में चौथे वर्ष के बाद अनुदान जारी रखने के लिए वास्तविक सत्यापन आवश्यक होगा।

5. रेपर्टरी अनुदान को अनुदान नवीकरण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर एक किस्त में संवितरित किया जाएगाः—

   जिन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, वे अपने आसपास के किसी भी स्कूल में कम से कम 02 सांस्कृतिक कार्यकलाप (समारोह, व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे। अनुदान के नवीकरण और जारी करने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य से इस आशय का एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

**ग. स्कीम के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन**

1. यद्यपि, विज्ञापन मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से वार्षिक आधार पर दिया जाएगा तथापि, वर्ष के दौरान आवेदन कभी भी किया जा सकता है जिनका मूल्यांकन इस उद्देष्य के लिए गठित विषेषज्ञ समिति द्वारा आवधिक आधार पर किया जाएगा। आवेदन—पत्र विधिवत रूप से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्र प्रषासन या किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय आकादमी सहित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र फाउंडेषन, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रषिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) और इसी प्रकार के निकायों से संस्तुत होना चाहिए।

2. नीचे पैरा च में यथा निर्धारित दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं। इन दस्तावेजों के बिना प्रस्तुत आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

   संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नाटय विद्यालय (एनएसडी) वार्षिक रूप से एनएसडी / मंत्रालय की वेबसाइटों nsd.gov.in/indiaculture.nic.in पर 'स्कीम' को अधिसूचित करेगा।

   'स्कीम' के पैरा 7 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों द्वारा सहायित विहित प्रपत्र में आवेदनों को ''निदेशक, राष्ट्रीय नाटय विद्यालय, बहावलपुर हाउस, प्लॉट न.1, भगवान दास रोड, नई दिल्ली—110001 को भेजें (आवेदक संगठन द्वारा राष्ट्रीय नाटय विद्यालय को प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी कमी की जानकारी सीधे निदेशक, एनएसडी को प्रस्तुत की जाए)

**घ. चयन का तरीका**

1. निर्माण अनुदान/रेपर्टरी अनुदान इस उद्देष्य के लिए गठित विषेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। विषेषज्ञ समिति का गठन दो वर्षों के लिए होगा तथा यह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगी। विशेषज्ञ समिति अपनी सिफारिशों के लिए मामला—दर—मामला आधार पर औचित्य बताएगी।

2. निधि और अनुदान के लिए आवेदनों की संख्या की उपलब्धता के आधार पर विषेषज्ञ समिति द्वारा आवेदनों की जांच आवधिक रूप से की जाएगी।

3. मंच कला अनुदान स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों / प्रस्तावों के संबंध में संस्तुतिकर्ता निकाय इस स्कीम की विशेषज्ञ समिति से भिन्न होगा।

4. निर्माण अनुदान, 75 प्रतिषत और 25 प्रतिषत की दो किस्तों के रूप में वितरित किया जाएगा जबकि संगठनों/संस्थानों को रेपर्टरी अनुदान वार्षिक रूप से जारी किया जाएगा।

## ड. अनुदान की राशि

1. **रेपर्टरी अनुदान** : 1/4/2009 से लागू, विषेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित अधिकतम 25 कलाकारों और एक गुरू को रेपर्टरी अनुदान दिया जाएगा। 1/4/2009 से प्रभावी, प्रत्येक कलाकार / गुरू को सहायता नीचे दिए अनुसार दी जाएगीः—

   (i) कलाकार — रु0 6000/— प्रत्येक माह

   (ii) एक गुरू/निर्देषक — रु0 10,000/— प्रत्येक माह

2. निर्माण अनुदान : 1/4/2009 से प्रभावी, परियोजना के आधार पर संगठन/व्यक्तियों को अधिकतम 5 लाख रु0 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तथापि, वृहत निर्माणों के मामले में, स्कीम के अनुरूप विषिष्ट आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए, माननीय मंत्री के अनुमोदन से अनुदान की ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

   इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय को स्कीम के अधीन आबंटित परिव्यय तक सीमित रखा जाएगा।

**नोट** : प्रचलन के अनुसार आवेदक संगठनों को भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड / आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जाएगा।

## च. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

(i) संस्था के संगम ज्ञापन व पंजीकरण प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि।

(ii) आयकर मूल्यांकन आदेष।

(iii) पिछले तीन वर्षों के प्राप्ति और भुगतान लेखे और लेखा परीक्षक के प्रमाण—पत्र सहित तुलन — पत्र।

(iv) पिछले वर्ष प्राप्त अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि।

(i) कलाकारों के नाम, गुरू/निर्देषकों के नाम, रिहर्सल लागत, पोषाकों की लागत, परिवहन लागत, शोध लागत, लेखन की लागत, मंचन की लागत आदि का सम्पूर्ण ब्यौरा।

(vi) पिछले वर्षों के निर्माण की प्रेस समीक्षा, प्रेस विज्ञापन, टिकट आदि की स्मारिका प्रतिलिपि।

(vii) आवेदन पत्र, सम्बधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन या किसी भी राज्य अकादमी या राष्ट्रीय अकादमी जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), कलाक्षेत्र फाउंडेषन, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रषिक्षण केंद्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेड़सीसी) और सदृष स्तर के निकाय शामिल हैं, से संस्तुत होने चाहिएं।

**नोट** : पदम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रषासनों या किसी भी राज्य अकादमियों या राष्ट्रीय अकादमियों जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, कला क्षेत्र फाउंडेषन, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रषिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, (आईजीएनसीए), क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र और सदृष प्रकृति के निकाय षामिल हैं, से संस्तुति प्राप्त करने की छूट होगी।

## छ. स्कीम का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग

संस्कृति मंत्रालय जैसा भी आवष्यक समझे आवधिक आधार पर, विषेषतः रेपर्टरी अनुदानग्राहियों के लिए, आवधिक निरीक्षणों, फील्ड दौरों आदि के माध्यम से अनुदानग्राहियों का मूल्यांकन करेगा।

जहां तक रेपर्टरी अनुदान के नए मामलों का संबंध है, प्रत्येक मामले में अनुमोदित अनुदान मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित संगठनों के वास्तविक सत्यापन के पश्चात ही जारी की जाएगी। इसके अलावा कम से कम 5—10 प्रतिशत नए संस्तुत प्रस्तावों / मामलों का वास्तविक निरीक्षण / सत्यापन संस्कृति मंत्रालय में संबंधित अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

*****

# 2

# राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता संबंधी स्कीम दिशा–निर्देश

**क पात्रता**

क अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु आवेदक संगठन का एक समुचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय अथवा शासी निकाय अथवा शासी परिषद होनी चाहिए जिसमें लिखित संविधान के रूप में इनकी शक्तियों, दायित्वों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित और निर्धारित किया होना चाहिए।

ख इसके पास जिस परियोजना के लिए अनुदान अपेक्षित है उसको शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक एवं अनुभव होना चाहिए।

ग आवेदक संगठन को भारत में पंजीकृत होना चाहिए और राष्ट्रीय मौजूदगी समेत इसे अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए तथा इसकी राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनात्मक मौजूदगी होनी चाहिए।

घ इस संगठन के कार्यकलाप मुख्य रूप से अथवा महत्वपूर्ण रूप से सांस्कृतिक होने चाहिए।

ड. इस संगठन की क्षमता वर्ष भर में कम से कम 20 समारोह / कार्यक्रम करने की होनी चाहिए।

च इस संगठन के पास पर्याप्त कार्यक्षमता, कलाकार / स्टाफ / स्वैच्छिक सदस्य होने चाहिए।

छ इस संगठन द्वारा सांस्कृतिक कार्यकलापों पर विगत 5 वर्षों के 3 वर्षों में एक करोड़ अथवा अधिक की राशि खर्च की हुई होनी चाहिए।

ज वित्तीय सहायता नीचे सूचीबद्ध सभी मदों और अथवा कुछ मदों के लिए प्रदान की जाएगीः–

1. सामान्यतः कुल सरकारी अनुदान के 25 प्रतिशत का उपयोग कला एवं संस्कृति के प्रोन्नयन पर केन्द्रित संस्थान / संगठन/ संस्कृति के भवन के रख–रखाव (स्टाफ वेतन, कार्यालयी खर्च, विविध खर्च) निर्माण / मरम्मत / विस्तार/ पुनर्स्थापन/ नवीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. सामान्यतः कुल सरकारी अनुदान के 25 प्रतिशत का उपयोग हर हाल में कला एवं संस्कृति के संवर्धन संबंधी शोध परियोजनाओं समेत सांस्कृतिक विरासत तथा कला के परिरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण समारोह को प्रदर्शित / आयोजित करने पर हुए अन्य विविध खर्चों तथा मानदेय के भुगतान के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

**ख. अनुदान को जारी करने की पद्धति और शर्तें**

1. विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों / प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा इसके पश्चात् संस्कृति मंत्रालय में प्रशासनिक प्राधिकार के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।

2. यह अनुदान 2 किश्तों में प्रदान किया जाएगा (अर्थात् 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत) इसकी पहली किश्त परियोजना के अनुमोदन के समय जारी की जाएगी। इसकी दूसरी किश्त समुचित प्रारूप (जीएफआर–19 (ई) के अनुसार) में उपयोग प्रमाण–पत्र, अनुदान प्राप्तकर्ता के हिस्से समेत अनुदान की संपूर्ण राशि के उपयोग को दर्शाते हुए लेखाओं का विधिवत लेखा–परीक्षा विवरण तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर जारी किया जाएगा। अनुदान की शेष राशि को जारी करने पर निर्णय अनुमोदित अनुदान की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

3. वित्तीय सहायता पाने वाला संगठन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

4. परियोजना के लेखाओं को समुचित तथा पृथक रूप से रखा जाएगा और भारत सरकार के द्वारा जब कभी मांगा जाए इन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और ये इसके विवेक के आधार पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारी द्वारा जांच के अध्यधीन होंगे।

5. यह संगठन कला एवं संस्कृति के प्रोन्नयन पर केन्द्रित संस्थान/संगठन/केन्द्र के भवन के रख–रखाव (स्टाफ वेतन, कार्यालय खर्च, विविध खर्च) और निर्माण/मरम्मत/विस्तार/पुनर्स्थापन/नवीकरण के लिए उपयोग के परिव्यय का विस्तृत मद–वार ब्यौरा प्रदान करेंगे।

6. अनुदान प्राप्तकर्ता निम्नलिखित का रख–रखाव करेगा :

   क. सरकार से प्राप्त सहायतानुदान के अतिरिक्त लेखे

   ख. मशीन से विधिवत छपे हुए हस्त –लिखित सजिल्द पुस्तक में रोकड़ बही रजिस्टर

   ग. सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान के लिए सहायतानुदान रजिस्टर

   घ. व्यय की प्रत्येक मद जैसे हॉस्टल भवन का निर्माण आदि के लिए पृथक बहीखाते

7. संगठन केन्द्र सरकार के अनुदान से पूर्णतः और आंशिक रूप से अर्जित सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा और जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है उसके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इन्हें भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचेगा अथवा ऋणग्रस्त और उपयोग करेगा।

8. किसी भी समय यदि भारत सरकार के पास ऐसा विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि मंजूर की गई धनराशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है तो अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पहले के अनुदानों की वसूली की जा सकती है।

9. संगठन को अनुमोदित परियोजना के कार्य के लिए अवश्य ही तर्कसंगत किफायत अपनानी चाहिए।

10. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन वास्तविक उपलब्धियों तथा प्रत्येक अनुमोदित मद पर पृथक रूप से हुए व्यय दोनों के विस्तृत ब्यौरे देते हुए परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

11. ऐसे आवेदन जिनके पिछले अनुदान/उपयोग प्रमाण–पत्र लंबित हैं उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. संगठन को अपने आस–पास के किसी भी विद्यालय में कम से कम 2 गतिविधियां (समारोह, व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि) अवश्य ही आयोजित करनी चाहिए। दूसरी किस्त जारी करने के लिए इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी एक प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।

**ग. सहायता की मात्रा**

एक संगठन को सामान्यतः 1.00 करोड़ रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा यह वित्तीय सहायता केवल 2.00 करोड़ रू. तक सीमित होगी। तथापि, संस्कृति मंत्री के अनुमोदन से आपवादिक / सुयोग्य मामलों में इस धनराशि को 5.00 करोड़ रू. तक बढ़ाया जा सकता है। स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन के लिए सहायता उपरोक्त सीमा के अध्यधीन अनुमोदित लागत के अधिकतम 67 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। अनुमोदित लागत के शेष 33 प्रतिशत को संगठन द्वारा इसके 'बराबर के हिस्से' के रूप में खर्च किया जाएगा (राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकार/ केन्द्रीय मंत्रालय/ पीएसयू/ विश्वविद्यालय आदि द्वारा अंशदान के अलावा)।

**(घ) लेखांकन प्रक्रियाएं**

केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान के संबंध में पृथक लेखाओं का रख–रखाव किया जाएगा ;

क अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके विवेकानुसार उनके नामिती के द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

ख अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन अनुमोदित परियोजना पर हुए खर्च को दर्शाते हुए तथा पूर्व वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का उल्लेख करते हुए सनदी लेखाकार द्वारा लेखा–परीक्षित लेखाओं का विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जब तक सरकार द्वारा कोई विशेष छूट न दी गई हो, वह तुरंत प्राप्त अनुदान की राशि को उस पर भारत सरकार की मौजूदा ब्याज दर के साथ वापस लौटाने की व्यवस्था करेगा।

ग अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, जब कभी भी सरकार द्वारा आवश्यक प्रतीत होने पर भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा समिति नियुक्त करके अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके के माध्यम से समीक्षा के लिए खुला रहेगा।

घ अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल (जिन्हें संस्कृति मंत्रालय की स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के संबंध में आमंत्रित किया जा रहा है) को आमंत्रित नहीं करेगा। इस प्रकार की अनुमति के आवेदन संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाएंगे।

ड यह संगठन समय–समय पर सरकार द्वारा लगाए गए अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा।

**ड. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :**

संस्कृति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पात्र संगठनों से आवेदनों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन अपलोड किया जाएगा। विहित प्रपत्र में विधिवत भरे आवेदन पत्रों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संबंधित सांस्कृतिक विभाग/स्कंध अथवा संस्कृति मंत्रालय के किसी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों/राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी), संगीत नाटक अकादमी (एसएनए), ललित कला अकादमी (एलकेए), सीसीआरटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए), सहित राष्ट्रीय अकादमियों तथा इसी के समतुल्य निकायों द्वारा संस्तुत किया जाना चाहिए और इन्हें केवल इन्हीं संगठनों के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। तथापि, संस्कृति मंत्रालय के पास किसी आवेदन पर सीधे विचार करने का विवेकाधिकार होगा।

**च आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज**

क संगठन की संरचना

ख शासी निकाय के प्रबंधन बोर्ड का संघटन और प्रत्येक सदस्य संबंधी ब्यौरे

ग अद्यतन उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रति

घ निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;

1. जिस परियोजना के लिए सहायता चाहिए उसकी अवधि समेत उस परियोजना का ब्यौरा।
2. आवर्ती तथा गैर–आवर्ती व्यय का अलग–अलग मदवार ब्यौरा प्रदान करते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण।
3. उस स्रोत का उल्लेख जहां से सदृश धनराशि प्राप्त की जाएगी।

ड आवेदक संगठन का विगत तीन वर्षों का आय और व्यय का विवरण तथा विगत वर्षों के तुलन पत्र की एक प्रति।

च. समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विहित प्रपत्र में एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र।

छ. अनुमोदित अनुदान के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को सुलभ बनाने के लिए विहित प्रपत्र में बैंक खाते के विवरण।

**छ छूट**

आपवादिक मामलों में संस्कृति मंत्रालय के पास विशेषज्ञ/संचालन/सलाहकार समिति की सिफारिशों पर दिशा–निर्देश के किसी भी मानदंड में कारणों को लेखबद्ध करते हुए छूट प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

*****

3

# स्टूडियो थिएटर सहित भवन अनुदान की स्कीम

**क. उद्देश्य**

इस स्कीम का उद्देष्य स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों तथा सरकारी सहायता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को कलाकारों के लिए समुचित रूप से सुसज्जित प्रषिक्षण, अभ्यास व कला प्रस्तुति स्थलों के सृजन में उनके प्रयासों में सहायता करना है।

**ख. पात्र परियोजनाएं**

1 यह अनुदान सांस्कृतिक स्थल सृजित करने के लिए दिया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

1.1 मंच कलाओं हेतु पारम्परिक सांस्कृतिक स्थल :

क. प्रदर्षन स्थल जैसे ऑडिटोरियम, ओपन–एयर थिएटर, कन्सर्ट हॉल।

ख. रंगमंच / संगीत / नृत्य हेतु रिहर्सल हॉल।

ग. रंगमंच / संगीत / नृत्य हेतु प्रषिक्षण केन्द्र / स्कूल।

1.2 रूपान्तर स्थल अर्थात् स्टूडियो थिएटर आदि :

आन्तरिक अभ्यास–सह–प्रदर्षन स्थल जिन्हें स्टूडियो थिएटर या प्रायोगिक थिएटर कहा गया है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य विषेषताएं होती हैं :–

क. लघु थिएटर जिसमें संगीत, नृत्य या रंगमंच या इन कलाओं की समग्र प्रस्तुति हेतु सभी अनिवार्य उपस्कर हों;

ख. अनौपचारिक स्थल जिसे पारंपरिक दृष्टि से ऑडिटोरियम नहीं कहा जा सकता, अतः सामान्यतया यह मंच या कला प्रस्तुति क्षेत्र न तो मुख्य रंगपीठ के अन्दर होता है और न ही इसे बहुत ऊंचाई पर बनाया जाता है या यह दर्षकों से दूर किसी भाग का विभाजन करके बनाया जाता है।

ग. दर्षकों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार पूरी तरह से परिवर्तनीय होती है कि इसे कला प्रस्तुति विषेष के कलात्मक उद्देष्य के अनुसार स्थल में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, अतः सीटों / कुर्सियों को एक जगह स्थिर नहीं किया जाएगा।

घ. स्थल की सामान्य क्षमता अधिकतम 100 से 200 सीट की होती है, अतः ऐसे स्थल को प्रायः ''लघु थिएटर'' या ''आन्तरिक थिएटर'' कहा जा सकता है क्योंकि इसमें दर्षक, कला प्रस्तुति का नजदीक से पूरा आनंद उठा सकते हैं।

ङ. कलाकारों के लिए प्रसाधन सुविधा सहित साथ लगे एक या दो नेपथ्यषाला / ड्रेसिंग रूम, श्रृंगार कक्ष और भण्डार क्षेत्र; अतः समूची यूनिट छोटी होती है परन्तु यह पूरी तरह थिएटर का काम करती है।

2 ऑडिटोरियम, स्टूडियो थिएटर या अन्य सांस्कृतिक स्थल (स्थलों) सृजित करने संबंधी परियोजना प्रस्तावों में निम्नलिखित घटकों का कोई भी समुचित मिश्रण शामिल हो सकता है :–

क. नया निर्माण या निर्मित स्थल की खरीद।

ख. मौजूदा भवन / स्थल / सुविधा केन्द्र का नवीकरण / उन्नयन / आधुनिकीकरण / विस्तार / फेरबदल।

ग. मौजूदा निर्मित स्थल / सांस्कृतिक केन्द्र के आंतरिक भागों की रिमॉडलिंग।

घ. विद्युत, वातानुकूलन, ध्वनि तंत्र, प्रकाष व ध्वनि प्रणाली तथा उपस्करों की अन्य मदें जैसे वाद्य यंत्र, परिधान, ऑडियो/वीडियो उपस्कर, फर्नीचर तथा स्टूडियो थिएटर के लिए अपेक्षित मंच सामग्री, ऑडिटोरियम, अभ्यास कक्ष, कक्षा कमरे आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था।

**ग. पात्र संगठन**

1 इस स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करने वाले सभी गैर–लाभार्थी संगठन :–

क. इस संगठन का स्वरूप मुख्यतः सांस्कृतिक होना चाहिए जो कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक रूप से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारत विद्या–षास्त्र तथा साहित्य के क्षेत्र में कला व संस्कृति के संवर्धन में कार्यरत होना चाहिए।

ख. संगठन कम से कम तीन वर्ष से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) अथवा सदृष अधिनियम के तहत सोसायटी अथवा न्यास अथवा गैर–लाभार्थी कम्पनी के रूप में पंजीकृत हो।

ग. संगठन की अपनी प्रतिष्ठा हो तथा अपने कार्यकलाप के क्षेत्र में सार्थक कार्य करने की उसकी ख्याति हो और उसने स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई हो।

घ. इसकी घोषणा पत्र संगठन, भारतीय कला व संस्कृति के परिरक्षण, प्रसार व संवर्धन के प्रति समर्पित हो।

(ii) मंच कलाओं के संवर्धन में कार्यरत सरकारी प्रायोजित निकाय।

(iii) मंच कलाओं के प्रति समर्पित विष्वविद्यालय, विभाग या केन्द्र।

(iv) मंच कलाओं के संवर्धन हेतु स्थापित कॉलेज।

2 मंत्रालय की ''विनिर्दिष्ट मंच कला परियोजनाओं हेतु कार्यरत व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता'' की स्कीम के तहत कम से कम 3 वर्ष से वेतन अनुदान प्राप्त करते आ रहे संगठन को यह माना जाएगा कि उसने उपर्युक्त सभी शर्तें पूरी कर दी हैं।

3 मंच कलाओं को समर्पित, सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय, विष्वविद्यालय विभाग/केन्द्र या कॉलेज भी स्वतः पात्र हो सकता है बषर्ते कि गत तीन वर्षों का उसका रिकार्ड संतोषजनक हो।

4 धार्मिक संस्थाएं, सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, स्कूल, कॉलेज या विष्वविद्यालय, विभाग/ केन्द्र जो मंच कलाओं तथा संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रति विषिष्ट रूप से समर्पित नहीं है तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ संघ–राज्यक्षेत्र प्रषासन/ स्थानीय निकाय के विभाग या कार्यालय पात्र नहीं होंगे।

5 वह संगठन जिसने पूर्व की ''सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान स्कीम'' या इस स्कीम के तहत अपनी भवन परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त किया हो, इस स्कीम के तहत पूर्व में मंजूर परियोजना के पूरा होने से पहले दूसरे अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा बषर्ते कि उक्त दूसरा अनुदान स्टूडियो थिएटर (प्रायोगिक थिएटर) के लिए न मांगा गया हो और आवेदक संगठन ने चल रही स्वीकृत परियोजना के संबंध में चूक न की हो।

**घ. सहायता का रूप और सीमा**

1 इस स्कीम के तहत सभी अनुदान गैर–आवर्ती किस्म के होंगे। आवर्ती व्यय, यदि कोई हो, की जिम्मेदारी अनुदानग्राही संगठन की होगी। इस स्कीम के तहत अधिकतम सहायता इस प्रकार होगी :

| **शहर** | **परियोजना की किस्म** | **सहायता की सीमा** |
|---|---|---|
| • बेंगलूरू<br>• चेन्नई<br>• दिल्ली | नए निर्माण या निर्मित स्थल की खरीद संबंधी परियोजनाएं | 25 लाख रु. |

| | | |
|---|---|---|
| • हैदराबाद | अन्य सभी परियोजनाएं | 50 लाख रु. |
| • कोलकाता | | |
| • मुम्बई | | |
| सभी गैर–महानगरीय शहर, नगर या स्थान | सभी परियोजनाएं | 25 लाख रु. |

2. इस स्कीम के तहत किसी संगठन को उपर्युक्त सीमा के अध्यधीन परियोजना की अनुमोदित प्राक्कलित लागत के अधिकतम 60 प्रतिषत तक सहायता दी जाएगी। परियोजना की अनुमोदित प्राक्कलित लागत की शेष राषि, इसकी 'बराबर की हिस्सेदारी' के रूप में संबंधित संगठन द्वारा वहन की जाएगी।

**उदाहरण :–**

**महानगरीय शहरों में नए निर्माण / निर्मित स्थल की खरीद संबंधी परियोजनाओं हेतु**

**मामला : 1**

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 100 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राषि 50 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 50 लाख रु. होगी।

**मामला : 2**

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 70 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राषि 42 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 28 लाख रु. होगी।

**गैर–महानगरीय शहरों में नए निर्माण / निर्मित स्थल की खरीद संबंधी परियोजनाओं तथा 3.2 (ख, ग तथा घ) के तहत सभी परियोजनाओं हेतु**

**मामला : 3**

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 60 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राषि 25 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 35 लाख रु. होगी।

**मामला : 4**

यदि परियोजना की अनुमोदित लागत 40 लाख रु. है तो संस्वीकृति योग्य अनुदान की अधिकतम राषि 24 लाख रु. होगी और अनुदानग्राही संगठन की बराबर की हिस्सेदारी 16 लाख रु. होगी।

3. भूमि की लागत (प्राप्तकर्त्ता संगठन द्वारा अदा की गई वास्तविक धनराषि, न कि बाजार मूल्य) तथा संगठन द्वारा वहन किए गए विकास प्रभार को बराबर हिस्सेदारी के रूप में माना जाएगा।

4. संगठन द्वारा आवेदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्माण / भूमि व भवन के विकास तथा फिक्सचर्स व फिटिंग पर पहले से किए गए व्यय को भी बराबर हिस्सेदारी की राषि माना जाएगा। संगठन इस संबंध में किए गए व्यय का सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित लेखा–जोखा प्रस्तुत करेगा।

5. यदि बाद में परियोजना की लागत बढ़ जाती है तो भारत सरकार की देयता मूलतः स्वीकृत राषि तक सीमित होगी और अतिरिक्त सम्पूर्ण व्यय, अनुदानग्राही संगठन द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

6. परियोजना प्रस्ताव पर विचार किए जाने तथा कतिपय राषि के लिए उसे अनुमोदित किए जाने पर सामान्यतया परियोजना की समीक्षा और उसकी लागत बढ़ाने के लिए बाद में किसी भी अनुवर्ती अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. वित्तीय सहायता की मंजूरी की वैधता, प्रथम किस्त जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की होगी और सभी परियोजनाएं 3 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जानी अनिवार्य हैं।

**ड.. आवेदन की पद्धति**

1. संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नाटय विद्यालय (एनएसडी) वार्षिक रूप से एनएसडी/मंत्रालय की वेबसाइटों nsd.gov.in/indiaculture.nic.in पर 'स्कीम' को अधिसूचित करेगा।

'स्कीम' के पैरा 7 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों सहित विहित प्रपत्र में आवेदनों को "निदेशक, राष्ट्रीय नाटय विद्यालय, बहावलपुर हाउस, प्लॉट न.1, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001 को भेजे (आवेदक संगठन द्वारा राष्ट्रीय नाटय विद्यालय को प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी कमी की जानकारी सीधे निदेशक, एनएसडी को प्रस्तुत की जाए)

आवेदन के साथ नीचे खण्ड (पैरा) 7 के तहत उल्लिखित सभी दस्तावेज संलग्न किए जाने अनिवार्य हैं। इन अनिवार्य दस्तावेजों के बिना प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे प्रेषक को लौटा दिया जाएगा।

**च. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए :

**1. परियोजना रिपोर्ट/प्रस्ताव जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :**

क. संगठन की रूपरेखा जिसमें संगठन, इसकी क्षमताओं, उपलब्धियों तथा गत तीन वर्षों के इसके कार्यकलापों के वर्ष–वार ब्यौरे का विवरण हो।

ख. परियोजना/प्रस्ताव की तर्कसंगतता/औचित्य सहित इसका विवरण।

ग. लागत प्राक्कलन (भवन/उपस्कर/सुविधाओं) का सार।

घ. वित्त/निधियों के स्रोत।

ङ. परियोजना पूरी होने की समय अनुसूची, और

च. समापन उपरान्त–संगठन किस प्रकार परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के प्रचालन व अनुरक्षण का संचालन करेगा और आवर्ती अनुरक्षण/प्रचालन लागत को पूरा करेगा।

2. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या अन्य संगत अधिनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।

3. संगठन के नियमों व विनियमों, यदि कोई हों, सहित इसके संगम ज्ञापन (या न्यास विलेख) की प्रतिलिपि।

4. प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों/पदाधिकारियों/न्यासियों की सूची जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम व पता हो।

5. गत तीन वित्त वर्षों के वार्षिक लेखाओं (सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित/संपरीक्षित) की प्रतिलिपियां।

6. स्वामित्व विलेख (पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि) जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो :

   क. परियोजना की भूमि/भवन पर आवेदक संगठन का स्वामित्व और इस आषय की पुष्टि कि उक्त सम्पत्ति का इस्तेमाल वाणिज्यिक, संस्थागत या शैक्षिक प्रयोजन से किया जा सकता है। निर्मित स्थल की खरीद के प्रस्ताव के मामले में आबंटन पत्र/विक्रय करार की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाए।

   ख. भूमि/भवन की लागत यदि स्वामित्व विलेख में भूमि/भवन की लागत का उल्लेख नहीं किया गया है तो लागत के समर्थन में संगत दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

7. समुचित नागरिक निकाय/स्थानीय प्राधिकारी (नगर–पालिका, पंचायत, विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास आदि) द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित भवन/विकास योजनाओं की प्रतिलिपि। निर्मित स्थल की खरीद के प्रस्ताव के मामले में सक्षम नागरिक निकाय/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित/जारी नक्षा योजना तथा निर्माण सम्पूर्ण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. पंजीकृत वास्तुविद द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित लागत प्राक्कलन (भवन/उपस्कर) जो यह प्रमाणित करेगा कि :

   क. मात्राएं, परियोजना की ढांचागत अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

ख. दरें, प्रचलित बाजार मूल्यों के अनुरूप हैं, और

ग. लागत प्राक्कलन तर्क संगत हैं।

9. इस आषय के दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है या इसे प्राप्त करने के प्रबंध कर लिए हैं अर्थात् बैंक विवरण, परियोजना पर किए जा चुके खर्च का प्रमाण पत्र (ब्यौरे के साथ, जो सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित हो) ऋण मंजूरी पत्र, परियोजना के लिए निधियों की मंजूरी दर्षाने वाला राज्य सरकार/संघ राज्य प्रषासन/स्थानीय निकाय आदि का पत्र।

10. संगठन के प्रबंधन बोर्ड/कार्यकारी बोर्ड/षासी निकाय का संकल्प (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें संगठन की ओर से अनुदान हेतु आवेदन, बंध–पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किए जाने का उल्लेख हो।

11. निर्धारित मूल्य राषि के स्टाम्प पेपर पर मांगी गई सहायता का बंध–पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।

7.12 संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्षाने वाला बैंक प्राधिकार पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।

**नोट :**

i. आवेदक संगठन, अपने प्रस्ताव के समर्थन में ऐसा कोई भी अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकता है जो वह प्रस्तुत करना चाहे (अर्थात् राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सरकारी निकाय या अकादमी से प्रमाण–पत्र या संस्तुति पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस क्लिपिंग/समीक्षाएं, कार्य आबंटन पत्र, संबद्धता पत्र आदि)।

ii. जहां कहीं दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, उनका अंग्रेजी व हिन्दी रूपान्तरण भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

iii. जहां कहीं कतिपय दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही हों, उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित कराया जाना चाहिए।

iv. मंच कलाओं को समर्पित सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विष्वविद्यालय विभागों या केन्द्रों और कॉलेजों के मामले में बिंदु 7.2 से 7.10 पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों में से केवल ऐसे दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने की आवष्यकता है जो आवेदक संगठन से संबंधित हों।

**छ. मूल्यांकन पद्धति**

1. संस्कृति मंत्रालय में प्राप्त सभी आवेदनों की, संस्कृति मंत्रालय के मंचकला प्रभाग द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुसार पूर्णता की दृष्टि से जांच की जाएगी। अधूरे आवेदनों (उपरोक्त खंड सं0 7 के अंतर्गत उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के बिना) पर विषेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

2. मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन से पहले, जहां कहीं समिति ऐसा चाहे, आवेदनों की, संस्कृति मंत्रालय के अधीन किसी संगठन या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किसी विषेषज्ञ समूह या किसी एजेंसी की सहायता से सत्यापन पूर्व जांच भी की जा सकती है। वैकल्पिक तौर पर इससे पहले प्रस्ताव के मामले विषेष में या स्थायी व्यवस्था के बतौर किसी समतुल्य समूह (पीयर ग्रुप) द्वारा मूल्यांकन कराया जा सकता है। ऐसे पूर्व सत्यापन या पूर्व मूल्यांकन का प्रयोजन आवेदन करने वाले संगठन की प्रतिष्ठा व क्षमताओं तथा परियोजना की सुयोग्यता का आन्तरिक मूल्यांकन करना होगा।

3. सभी तरह से पूर्ण आवेदन पर विषेषज्ञ समिति द्वारा खेपों (बैचों) में विचार किया जाएगा, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित किया जाएगा और समिति, अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर वर्ष के दौरान समय–समय पर बैठक करेगी।

4. विषेषज्ञ समिति निम्नलिखित के विषेष सन्दर्भ में प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के गुणावगुण के संबंध में उसका मूल्यांकन करेगी :

क. क्या आवेदक संगठन संबंधित क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित है और उसकी एक अपनी पहचान है।

ख. क्या प्रस्ताव की संकल्पना सु–विचारित है;

ग. क्या लागत प्राक्कलन तर्कसंगत है; और

घ. क्या परियोजना पूरी करने के लिए संगठन की अपनी बराबर की हिस्सेदारी जुटाने की क्षमता है या इसने इसकी व्यवस्था की है (जहां आवेदक संगठन ने बराबर की हिस्सेदारी की सम्पूर्ण राषि पहले ही खर्च कर दी है, उस मामले में इस अपेक्षा को पूरा किया मान लिया जाएगा)।

5. विषेषज्ञ समिति में मंच कलाओं व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार शामिल होंगे और इसमें वास्तुविद, सिविल इंजीनियर तथा प्रकाष/ध्वनि/मंच षिल्प में तकनीकी विषेषज्ञ तथा साथ ही संस्कृति मंत्रालय के संबंधित अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

**ज. अनुदान की संस्वीकृति व उसे जारी करना**

1. परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर, मंत्रालय इस निर्णय की सूचना, संबंधित संगठन को देगा जिसमें परियोजना की कुल अनुमोदित लागत, मंजूर की गई सहायता की मात्रा, संगठन की बराबर की हिस्सेदारी की मात्रा तथा सहायता की संस्वीकृत राषि जारी करने संबंधी अन्य शर्तों का उल्लेख होगा।

2. संस्वीकृति पत्र में उस भवन/उपस्करों को भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके लिए सहायता मंजूर की गई है।

3. सहायता की संस्वीकृत राषि निम्नलिखित तरीके से किस्तों में जारी की जाएगी।

3.1 प्रथम किस्त : संस्वीकृत सहायता की 40 प्रतिषत राषि की प्रथम किस्त, बिना किसी और पत्राचार के मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन/संस्वीकृति पर जारी की जाएगी।

3.2 दूसरी किस्त : संस्वीकृत अनुदान की 30 प्रतिषत राषि की दूसरी किस्त निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी :

क. किसी पंजीकृत वास्तुविद से परियोजना के संबंध में वास्तविक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट जिसमें स्थल के फोटो सहित पहले से पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा हो।

ख. पंजीकृत वास्तुविद से निम्नलिखित आषय का प्रमाण पत्र किः परियोजना कार्य, अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा किया गया है/चल रहा है; स्थानीय कानूनों या निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है; किया गया कार्य संतोषजनक स्तर का है; और यह दर्षाया गया हो कि, किए गए कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना कार्य पूरा करने के लिए आगे और राषि अपेक्षित है।

ग. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परियोजना के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण।

घ. सनदी लेखाकार द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सहायता राषि की दूसरी किस्त पूरी तरह परियोजना पर खर्च की गई है।

ङ. सनदी लेखाकार का एक प्रमाण–पत्र जिसमें प्रमाणित किया गया है कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी का 40 प्रतिषत खर्च कर दिया है।

3.3 **अंतिम किस्त** : संस्वीकृत अनुदान के 30 प्रतिषत राषि के बराबर अंतिम किस्त निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाएगी :

3.3.1 अनुदानग्राही संगठन ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए :

क. किसी पंजीकृत वास्तुविद से परियोजना के संबंध में वास्तविक व वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट जिसमें स्थल के फोटो सहित पहले से पूरे किए गए कार्य का ब्यौरा हो।

ख. पंजीकृत वास्तुविद से निम्नलिखित आषय का प्रमाण पत्र : परियोजना कार्य, अनुमोदित योजना के अनुसार पूरा किया गया है/चल रहा है; स्थानीय कानूनों या निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का

उल्लंघन नहीं किया गया है; किया गया कार्य संतोषजनक स्तर का है; और यह दर्षाता है कि, किए गए कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना कार्य पूरा करने के लिए आगे और राषि अपेक्षित है।

ग. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित परियोजना के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण।

घ. सनदी लेखाकार द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि सहायता राषि की दूसरी किस्त पूरी तरह परियोजना पर खर्च की गई है।

ङ. सनदी लेखाकार का प्रमाण–पत्र, जिसमें प्रमाणित किया गया है कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी का 70 प्रतिषत खर्च कर दिया है।

3.3.2 संस्कृति मंत्रालय ने अपने प्रतिनिधि(यों) के माध्यम से परियोजना का वास्तविक रूप से निरीक्षण करा लिया है। परियोजना की प्रकृति और आकार के आधार पर, मंत्रालय ऐसी फील्ड जांच के लिए, मंत्रालय से अथवा इसके संगठनों से और/अथवा विभिन्न कार्यालयों/षाखाओं से लिए गए अधिकारियों और/या विषेषज्ञों के एक दल को प्रतिनियुक्त कर सकता है, अथवा यह निरीक्षण करने के लिए अन्य पक्ष की सेवाएं ले सकता है।

**टिप्पणी** : यदि आकलित निधियों की अंतिम मांग, अनुमोदित परियोजना लागत से कम है अथवा संगठन द्वारा बराबर की हिस्सेदारी की खर्च की गई राषि अनुमोदित परियोजना लागत के 40 प्रतिषत से कम है, तो अनुदान की अंतिम किस्त की राषि उसी के अनुरूप कम कर दी जाएगी।

4. 25.00 लाख रू. तक को प्रस्तावों का विषेषज्ञ समिति की सिफारिष पर संबंधित संयुक्त सचिव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और 25.00 लाख रू. से अधिक एवं 50.00 लाख रू. तक के प्रस्ताव सचिव (संस्कृति) के स्तर पर अनुमोदित किए जाएंगे।

## झ. अनुदान की शर्तें

1 भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों के लिए अलग खाता रखना होगा।

2 परियोजना के खाते और स्थल, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय जांच के लिए तैयार होने चाहिए।

3 यदि परियोजना, पहली किस्त के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो, संगठन को आगे कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा तथा उक्त दावा काल–बाधित हो जाएगा।

4 संगठन के खाते, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा अपने विवेक से उनके द्वारा नामिती द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा के लिए तैयार होने चाहिए।

5 अनुदान अथवा उसके बाद किसी किस्त के जारी होने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर अनुदानग्राही, अगले वर्ष में भारत सरकार को अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय को दर्षाने वाला सनदी लेखाकार द्वारा संपरीक्षित लेखा तथा प्रमाणित विवरण तथा भारत सरकार के अनुदान की उपयोगिता को दर्षाने वाला उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदानग्राही को भारत सरकार की मौजूदा ब्याज दर पर ब्याज सहित प्राप्त कुल अनुदान राषि को तुरंत वापिस करना होगा, बषर्ते कि भारत सरकार द्वारा विषेष रूप से छूट न दी गई हो।

6 मामला बंद करने के लिए, आवेदक को वित्तीय वर्ष, जिसमें अंतिम किस्त जारी की गई है, की समाप्ति के 6 महीने के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः

क. यदि परियोजना में नया निर्माण शामिल है, यथोचित नागरिक प्राधिकारी को भेजी गई भवन निर्माण पूरा होने की सूचना की प्रति अथवा इसके द्वारा जारी सम्पूर्णता प्रमाण पत्र; और पूर्व–निर्मित स्थल की खरीद वाली परियोजनाओं के मामले में, भवन–निर्माता/विक्रेता को किए गए सभी भुगतानों की रसीदों, स्वामित्व पत्र और पंजीकरण/मालिकाना शपथ–पत्र की प्रतियां।

ख. वास्तुकार से परियोजना पूरी करने संबंधी रिपोर्ट।

ग. सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र कि संगठन ने अपनी बराबर की हिस्सेदारी की पूर्ण राशि खर्च कर दी है।

7 भारत सरकार के अनुदान पूर्णरूपेण अथवा मुख्य रूप से अधिगृहीत स्थायी और अर्ध–स्थायी परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर निर्धारित फार्म (फार्म–जीएफआर–19) में तैयार किया जाना चाहिए। अनुदानग्राही को इस रजिस्टर की एक प्रति प्रतिवर्ष संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करनी चाहिए।

8 अनुदानग्राही दो जमानतदारों के साथ निर्धारित प्रपत्र में भारत के राष्ट्रपति के नाम इस आषय का बंध पत्र निष्पादित करेगा कि वह अनुदान की शर्तों का पालन करेगा। उसके द्वारा अनुदान की शर्तों का पालन न किए जाने या बंध–पत्र का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अनुदान प्राप्तकर्त्ता और जमानती अलग–अलग या मिलकर भारत के राष्ट्रपति को भारत सरकार की वर्तमान उधार दर पर ब्याज सहित अनुदान की समूची राषि लौटाएगा।

9 केन्द्रीय सहायता से अधिगृहीत भवनों व अन्य परिसम्पत्तियों पर प्रथम पुनर्ग्रहणाधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा और भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भवन या उपस्कर को किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर नहीं दिया जाएगा या उसे गिरवी नहीं रखा जाएगा। तथापि, इस प्रकार अधिगृहीत स्टूडियो थिएटर या अन्य सुविधाओं को अस्थायी इस्तेमाल हेतु किसी अन्य पक्ष को पट्टे पर देने का प्रावधान इस शर्त से मुक्त होगा।

10 यदि किसी स्तर पर सरकार दिए गए अनुदान या उससे सृजित सुविधाओं के समुचित उपयोग से संतुष्ट नहीं है तो सरकार, भारत सरकार की वर्तमान ऋण दर पर ब्याज सहित अनुदान की समूची राषि लौटाने की मांग कर सकती है।

11 अनुदानग्राही संगठन, इस स्कीम के तहत विकसित स्टूडियो/थिएटर/सांस्कृतिक स्थल में समुचित रूप से मंत्रालय का नाम लिखकर भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता का आभार प्रकट करेगा।

12 केवल अनुदानग्राही, भवनों के निर्माण या भूमि और भवनों के उपयोग संबंधी स्थानीय क्षेत्र में यथा लागू कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।

13 ऐसी अन्य शर्तें जो भारत सरकार समय–समय पर लागू करे।

14 संगठनों द्वारा उनके इलाके के किसी भी स्कूल में कम से कम 2 कार्यकलाप (कार्यक्रम, व्याख्यान, सेमिनार, कार्यषाला, प्रदर्षनी आदि), अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएं। स्कूल के प्रधानाचार्य से इस आषय का प्रमाण पत्र, दूसरी किस्त जारी करने हेतु अनिवार्य रूप से आयोजित होगी।

### ञ. विविध

सामान्यतया पूर्व की ''सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान स्कीम'' के तहत स्वीकृत किए गए मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा और न ही सामान्यतया इस स्कीम के प्रावधानों के तहत संस्वीकृत राषि को बढ़ाया जाएगा परन्तु भवन अनुदान के ऐसे मामले में वितरण हेतु लंबित किस्तों को, अनुदानग्राही संगठन के अनुरोध पर, विभिन्न किस्तें जारी करने के लिए पद्धति व इस स्कीम के तहत परिकल्पित दस्तावेजी अपेक्षाओं का पालन करके जारी किया जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जब कोई किस्त जारी नहीं की गई हो तो अनुदानग्राही संगठन पूर्व स्वीकृति को रद्द करने व इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध कर सकता है। विगत के मामलों में जब पूरा संस्वीकृत अनुदान जारी नहीं किया गया हो और परियोजना अधूरी पड़ी हो तथा अनुदानग्राही संगठन अपने मामलों की समीक्षा तथा इस स्कीम के तहत संस्वीकृत अनुदान को बढ़ाने की मांग करे तो मामला–दर–मामला आधार पर निर्णय किया जाएगा।

*****

# 4

# टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए स्कीम

## क. पृष्ठभूमि

1. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में राज्य सरकारों/ राज्य प्रायोजित निकायों को बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों (एम पी सी सी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता अनुदान स्कीम शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य सृजनात्मक कार्यो के सर्वोत्तम स्वरूप को दर्शाने और समाज में कलात्मक और नैतिक रूप से जो अच्छा है, उसके लिए उन्हें संवेनदशील बनाते हुए अपने युवाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। संगीत नृत्य, नाटक, साहित्य, ललित कला आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में समन्वय और प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम के तहत राज्यों में सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना की गयी थी। स्कीम में जैसा प्रावधान किया गया था, राज्य अथवा उस स्थान में मौजूद सुविधाओं, सम्बंधित सांस्कृतिक विभागों की वित्तीय स्थिति, अनुदान के समान निधि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता और बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों के आवर्ती व्यय को ध्यान में रखते हुए एक सलाहकार समिति द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर विचार किया गया। इस स्कीम के तहत अधिकतम 1.00 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया बशर्ते राज्य सरकार द्वारा समान अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली परियोजना लागत का 50 प्रतिशत हो।

2. विगत निष्पादनों को ध्यान में रखते हुए स्कीम की समीक्षा की गयी थी और स्कीम में रखे गये मानदण्डों को वर्ष 2004 में संशोधित किया गया था। संशोधित स्कीम बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की दो श्रेणियों (i और ii) के लिए उपलब्ध कराई गयी। श्रेणी 1 के लिए परियोजना की लागत 5.00 करोड़ रूपये तथा श्रेणी ii के लिए 2.00 करोड़ रुपए थी।

3. 10वीं योजना के अंत में योजना आयोग द्वारा स्कीम को बंद करने से पूर्व विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल 49 बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों को सहायता दी गयी थी। परिणाम स्वरूप, 11वीं योजना के मध्य अवधि मूल्यांकन के दौरान योजना आयोग स्कीम को समुचित सुधारों के साथ पुनः संचालित करने पर सहमत हुआ।

4. गुरूदेव रबीन्द्रनाथ टैगेर की 150वीं जयन्ती समारोह मनाने के लिए गठित प्रधानमंत्री के अधीन राष्ट्रीय समिति और वित्त मंत्री के तहत स्थापित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने सम्बंधित विकास के मामले में अनुभव किया है कि 1961 में गुरू रबीन्द्रनाथ टैगोर के शताब्दी समारोह के अवसर पर शुरू किये गये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सहायता से पूरे देश में सृजित बड़ी संख्या में रबीन्द्र 'भवनों,' 'सदनों,' 'रंगशालाओं,' 'मंचों,' और अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों के नवीकरण, उन्नयन और विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। ये केन्द्र 30वर्षों से अधिक समय से संचालन में रहे हैं और समाज की अच्छी तरह सेवा की है।

5. टैगोर की 150वीं जयंती समारोह के भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान रबीन्द्र भवनों का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार किया जाय और संषोधित एम पी सी सी स्कीम की रूपरेखा के अनुसार जिन राज्य की राजधानियों और अन्य शहरों में ऐसे परिसर नहीं हैं वहां भी नये सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण किया जाय। इसलिए पहले की एम पी सी सी स्कीम को दिनांक 07.05.2011 से टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) के नाम से नवीकृत और पुनरांरभ करने का निर्णय लिया गया ताकि अलग–अलग पैमाने पर नये सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना करने और सुगम बनाने के अलावा वर्तमान रबीन्द्र सभागारों के उन्नयन, आधुनिकरण और सुधार से इन्हें आधुनिकतम सांस्कृतिक परिसरों के रूप में बदला जा सके।

6. इसकी शुरूआत से, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं जिनमें क्रमशः 29 और 38 प्रस्तावों पर विचार किया गया।

7. संस्कृति मंत्रालय यह भी महसूस करता है कि देश में कला संबंधी अवसंरचना में गंभीर अभाव की स्थिति है। इस अभाव को इस स्कीम के माध्यम से निधियां उपलब्ध करवाकर कम किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्कीम विशिष्ट रूप से मंच कलाओं और सामान्य रूप से कला एवं संस्कृति के प्रचार और संवर्धन से सीधे जुड़ी हुई है। इस प्रयोजन से, भारत

सरकार उक्त टैगोर सांस्कृतिक परिसर (टीसीसी) स्कीम को जारी रखने पर विचार कर रही है जो साधारणतया कला के संवर्धन हेतु लगभग सभी प्रयोजनों के लिए एक बड़े पैमाने पर मंच प्रदान करवाने से संबंधित है। इस स्कीम का उद्देश्य विद्यमान स्थानों के स्तरोन्नयन के साथ–साथ हर प्रकार के नए स्थानों का सृजन करना है। इससे पूरे देश में कलाओं के संवर्धन को प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि इसमें से बहुत सा कार्य लोक क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है, अतः गैर–लाभार्थी संगठनों और ऐसे ही निकायों को स्कीम के तहत पात्र आवेदकों में शामिल किया गया है। यह भी महसूस किया गया है कि पूर्व एमपीसीसी स्कीम के अधीन देश में कई परियोजनाओं को भी विद्यमान एमपीसीसी, रबीन्द्र 'भवनों' 'सदनों' 'रंगशालाओं' के स्तरोन्नयन के साथ–साथ विद्यमान भौतिक सुविधाओं के पुनरूद्धार, नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण आदि के लिए अवसंरचना हेतु कुछ निधियों की आवश्यकता है।

8. इन आवश्यकताओं को वृहत, वैविध्यपूर्ण टीसीसी स्कीम में तदनुसार शामिल कर लिया गया था। अनुदान प्राप्तकर्ता राज्य सरकारों / संघ प्रदेश प्रशासनों / गैर लाभार्थी संगठनों के लिए आवश्यक स्टेक (40 प्रतिशत) का भी प्रावधान किया गया है ताकि उनकी संपूर्ण सहभागिता और समर्पण तथा परियोजना का बौद्धिक स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।

## ख. उद्देश्य

1. इस स्कीम का रीविजिटिड स्वरूप ' टैगोर सांस्कृतिक परिसर के रूप में जाना जायेगा जो संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य, ललित कला आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में राज्य में कार्यकलापों को प्रोत्साहन और समन्वय प्रदान करना जारी रखेगा और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को संवर्धित करेगा तथा युवा पीढ़ी को सृजनात्मक अभिव्यक्ति और ज्ञान के लिए मार्ग उपलब्ध करायेगा।

2. ये सांस्कृतिक परिसर मंच अभिनय ( नृत्य, नाटक और संगीत ), प्रदर्शनियों सेमिनारों, साहित्यिक कार्यकलापों, फिल्म प्रदर्शन आदि के लिए सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के साथ कला और संस्कृति के सभी स्वरूपों के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए ये मूल टैगोर सभागार स्कीम से परे कार्य करने के लिए अभिप्रेत हैं और सृजनात्मकता तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में बहुआयामी रूचियों को प्रोत्साहन देंगे।

## ग. पात्र संगठन

स्कीम के तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी :

1. राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन;

2. राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासनों द्वारा स्थापित अथवा प्रायोजित निकाय ;

3. केन्द्र सरकार अथवा इसके अधीन संगठनों द्वारा स्थापित अथवा प्रायोजित निकाय ;

4. विश्वविद्यालय, नगर निगम और अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियां ; और

5. परियोजना की स्थापना और संचालन करने में सक्षम ऐसे गैर लाभकारी प्रतिष्ठित संगठन जो उपलब्ध कराई गयी परियोजना की लागत का 40 प्रतिशत अपने समभाग के रूप में जुटा सकें और आवर्ती लागत को पूरा कर सकें। ये संगठन केन्द्र सरकार अथवा सम्बंधित राज्य सरकार / संघ शासित सरकार की उपयुक्त एजेंसी द्वारा निरीक्षित तथा अनुशंसित रहे हों और निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते हों :

    क) ऐसा संगठन जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का xxi) अथवा समान अधिनियमों के तहत या न्यास अथवा गैर–लाभार्थी कम्पनी के रूप में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।

    ख) जिसका घोषणापत्र मूलरूप से भारतीय कला और संस्कृति के परिरक्षण, प्रसार और संवर्धन के लिए समर्पित है।

    ग) संगठन की प्रमुख रूप से सांस्कृतिक रूपरेखा हो तथा कम से कम तीन वर्षों से नृत्य, नाटक, रंगमंच, संगीत, ललित कला, भारतविद्या और साहित्य जैसे क्षेत्रों में कला और संस्कृति के सम्वर्धन के लिए मूल रूप से कार्य कर रहा हो।

घ) संगठन पूर्णतया स्थापित हो और अपने कार्यकलापों के क्षेत्र में अर्थपूर्ण कार्य करने के लिए जाना जाता हो तथा स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा/स्थायित्व रखता हो।

**घ. पात्र परियोजनाएं**

निम्नलिखित प्रकृति की परियोजनओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी :

1. नये टैगोर सांस्कृतिक परिसर टीसीसी जिला/नगर परिसरों जिनमें लघु प्रेक्षागृह अथवा ओपन एयर एम्फीथियेटर अथवा इंप्रोवाइज्ड मंच के अलावा प्रत्येक परियोजना में सभागार शामिल है। टीसीसी एक बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर होगा किंतु किसी विशेष परियोजना में सुविधाएं उपलब्ध कराना स्थानीय आवश्यकताओं तथा सांस्कृतिक लोकाचार पर निर्भर करेगा। आदर्शतः इस स्कीम के उद्देश्यों के लिए टी सी सी का लक्ष्य निम्नलिखित आधुनिक सुविधाएं और आधारभूत संरचना प्राप्त करना है :

(क) लाइव संगीत, नृत्य अथवा रंगमच या इन कलाओं के सम्मिश्रण के प्रदर्शन के लिए एक सभागार (अथवा विभिन्न क्षमताओं के सभागारों का एक समूह) जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बैठने की उपयुक्त क्षमता हो, का प्रयोग व्याख्यानों, फिल्म प्रदर्शनों आदि के लिए केन्द्र के रूप में भी किया जा सकता है।

(ख). सेमिनारों, सम्मेलनों कार्यशालाओं आदि के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले कक्ष।

(ग) अभिनेताओं/अभिनेत्रियों के लिए नेपथ्यशाला(ओं) श्रृंगार कक्ष/कक्षों/ रूप सज्जा कक्ष/कक्षों और एक भण्डारण क्षेत्र।

(घ) रंगमंच/संगीत/नृत्य के लिए पूर्वाभ्यास हाल।

(ड) रंगमंच/संगीत/नृत्य के लिए प्रशिक्षण केन्द्र/विद्यालय।

(च) आगन्तुक कलाकारों के लिए शयनागार।

(छ) कला और छायाचित्रण के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र।

(ज) पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष।

(झ) कार्यालय, कैफेटेरिया/भोजन–प्रबंध, शौचालय, स्वागत कक्ष/प्रतीक्षालय, पार्किंग आदि के लिए सामान्य सुविधाएं।

2. मौजूदा सभागारों/सांस्कृतिक परिसरों का उन्नयन। मौजूदा

(क) रवीन्द्र 'भवनों' 'सदनों' 'रंगशालाओं',

(ख) बहु उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों तथा

(ग) अन्य प्रेक्षागृह/ सांस्कृतिक परिसरों के उन्नयन की परियोजना स्कीम में शामिल होगी और निम्नलिखित संघटकों के कोई अन्य अथवा उपयुक्त संयोजन शामिल हो सकते हैं:

(i) मौजूदा वास्तविक सुविधाओं का पुनरूद्धार, नवीकरण, विस्तार, परिवर्तन, उन्नयन और आधुनिकीकरण;

(ii) अन्तरस्थलीय पुनर्निर्माण/पुनर्प्रारूपण ; और/अथवा

(iii) विद्युतीय, वातानुकूलन, ध्वनिक, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणाली और अन्य मदों के उपकरण जैसे दृश्य/श्रव्य उपकरण, फर्नीचर (उपस्कार) तथा मंच सामग्री जैसी सुविधाओं का प्रावधान/उन्नयन।

3. स्वीकृत/जारी एमपीसीसी परियोजनाओं का समापन। पहले की एम पी सी सी स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाएं पुनः नहीं खोली जायेंगी न ही इस स्कीम के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राशि को बढ़ाया जायेगा। तथापि, विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के मामले में, स्कीम स्थगित होने से पूर्व अथवा जारी परियोजनाएं जिनमें भुगतान के लिए कोई किस्तें शेष हैं, उनको उपर्युक्त एमपीसीसी स्कीम के प्रावधानों और सीमा के अनुसार इस स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता का भुगतान जारी रहेगा।

### ड. वित्तीय सहायता की प्रकृति और मात्रा

1. भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की मात्रा परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित होगी।

2. प्राप्तकर्ता राज्य सरकार अथवा सम्बंधित संगठन से उसकी हिस्सेदारी के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत योगदान अपेक्षित होगा। ऐसी हिस्सेदारी में जमीन की लागत/ कीमत शामिल नहीं होगी। सम्पर्क मार्ग के साथ विकसित भूमि सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संगठन के पास अपने स्वामित्व की भूमि हो।

3. किसी भी परियोजना के लिए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता सामान्य रूप से अधिकतम 15 करोड़ रूपये तक होगी। विशेष योग्यता और प्रासंगिकता के बहुत दुर्लभ मामले में, वित्तीय सहायता 50 करोड़ रू0 तक बढ़ाई जा सकती है किन्तु तब 15 करोड़ रू0 से अधिक वित्तीय सहायता का ऐसा प्रत्येक व्यक्तिगत मामला नई योजना स्कीमों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यांकन/अनुमोदन तंत्र के अधीन होगा।

4. सभी आवर्ती व्यय राज्य सरकार अथवा संबंधित संगठन द्वारा वहन किये जायेंगे।

5. परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए जारी किया जा सकता है।

### च. आवेदन की प्रकिया

1 संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) अपनी और मंत्रालय की वेबसाइटों nsd.gov.in/ www.indiaculture.nic.in के माध्यम से वार्षिक रूप से 'स्कीम' अभिसूचित करेगा और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों को सीधे सूचना प्रेषित करेगा।

2 'स्कीम' के पैरा 8 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 'निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाउस, प्लॉट नं.1, भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001 को प्रस्तुत करें। (राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आवेदक संगठन को आवेदन फार्म में कोई कमी पाए जाने पर, तत्संबंधी सूचना सीधे एनएसडी को ही उपलब्ध करवाई जाए)

3 नीचे अनुच्छेद 8 में बताये गये सभी दस्तावेज एवं जैसा लागू हो, आवेदन के साथ लगे हों। इन वांछित दस्तावेजों में से किसी एक के भी न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

### छ. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगे होने चाहिएं :

1. प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्ताव जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) भवन/विकास योजनाएं (वर्तमान/प्रस्तावित) ; लागत अनुमानों का सार (भवन, उपकरण, सुविधाएं आदि) ;

(ख) समभाग हेतु वित्त/ निधि के स्रोत ;

(ग) परियोजना की पूर्णता के लिए समय सीमा ;

(घ) परियोजना के माध्यम से सृजित सुविधा के संचालन और रख–रखाव का प्रबंधन संगठन कैसे करेगा यह प्रदर्शित करने के लिए पूर्णता पश्चात योजना ; और

(ड.) अपने प्रस्ताव के एक समन्वित भाग के रूप में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और अतिरिक्त पाठ्यक्रम संगठन द्वारा शामिल किया जाना चाहिए।

### 2. सहायक दस्तावेज

2.1 सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों द्वारा आवेदन के लिए

(i) विद्यमान प्रेक्षागृह अथवा बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्र के उन्नयन के लिए यदि प्रस्ताव है तो पहले से उपलब्ध सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के ब्यौरे और नई परियोजना के मामले में भूमि आवंटन के सहायक साक्ष्य और अभिन्यास योजना ; तथा

(ii) समभाग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता पत्र।

**2.2 प्रतिष्ठित गैर–लाभकारी संगठनों द्वारा आवेदन के लिए :**

(i) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के तहत पंजीकरण के प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ii) नियम–विनियम, यदि कोई हो, सहित संगठन के संघ (या न्यास विलेख) के ज्ञापन की प्रति।

(iii) प्रत्येक सदस्य के नाम और पते के साथ प्रबंधन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों/ पदधारियों/न्यासियों की सूची।

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के (सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित/संपरीक्षित) वार्षिक लेखाओं की प्रति ;

(v) संगठन की रूपरेखा जिसमें कार्यालय का विवरण, इसकी सामर्थ्य, उपलब्धियों और पिछले तीन वर्षों से अधिक का इसके कार्य–कलापों का वर्ष–बार ब्यौरा;

(vi) आयकर अधिनियम की धारा XII ए, 80जी के तहत पैन कार्ड और पंजीकरण, यदि कोई हो ;

(vii) आवेदक संगठन के नाम भूमि/भवन का स्वामित्व दर्शाने वाला स्वामित्व विलेख (रजिस्ट्रीकृत अभिहस्तांतरण विलेख, उपहार विलेख, पट्टा विलेख आदि) की प्रति जिसमें यह पुष्टि की गयी हो कि सम्पत्ति का उपयोग वाणिज्यिक/सांस्थानिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

(viii) इस दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य कि संगठन ने अपना समभाग जुटा लिया/प्रबंध कर लिया है अर्थात बैंक विवरण, परियोजना पर पहले हुए व्यय का प्रमाण पत्र (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित वर्ष–वार विवरण सहित), ऋण स्वीकृति पत्र, अथवा परियोजना के लिए स्वीकृत की जाने वाली निधि सम्बंधी राज्य सरकार/संघ शासित सरकार, स्थानीय निकाय आदि का पत्र ;

(ix) संगठन की ओर से अनुदान के लिए आवेदन, बंध–पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाले संगठन के प्रबंधन बोर्ड/ कार्यकारी बोर्ड/प्रशासकीय निकाय का संकल्प पत्र (निर्धारित प्रारूप में) ;

(x) मांगी गयी सहायता की राशि के लिए बंध पत्र (निर्धारित नामकरण के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में) ; और

(xi) संगठन के बैंक खाते का ईसीएस ब्यौरा दर्शाने वाला बैंक का प्राधिकरण पत्र (निर्धारित प्रारूप में)।

**ज. मूल्यांकन प्रकिया**

1. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की दस्तावेजी आवश्यकतानुसार पूर्णता के लिए मंत्रालय द्वारा छानबीन की जायेगी। अपूर्ण आवेदन की जब तक कमियां (जैसे–उपर्युक्त अनुच्छेद 8 के तहत बताये गये अपेक्षित दस्तावेज के बिना) दूर नहीं की जाती, आगे कार्रवाई नहीं की जायेगी।

2. सभी तरह से पूर्ण आवेदनों/परियोजना प्रस्तावों का संस्कृति मंत्रालय (निम्न 9, 4 अनुच्छेद के तहत) द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित के लिए जॉच की जायेगी :

क) योग्यता निर्धारण ;

ख) प्रस्ताव की योग्यता का मूल्यांकन ; और

ग) परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि की सिफारिश करना।

3. राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति समय–समय पर बैठक करेगी और निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भो सहित अपनी कसौटी पर परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी :

क) क्या आवेदक संगठन क्षेत्र में पूर्णतया स्थापित है और इसकी अपनी एक निजी पहचान है ;

ख) क्या प्रस्ताव पूर्णतया सुविचारित है ;

ग) क्या लागत अनुमान समुचित है ; और

घ) क्या संगठन के पास परियोजना को पूरा करने और पूर्णता के पश्चात, आवर्ती संचालन लागत को वहन करने के लिए अपने सम भाग की क्षमता है या प्रबंध कर चुका है। स्कीम के तहत नई परियोजना की स्वीकृति देते समय राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति भी विद्यमान परिसरों के सदुपयोग और उत्पादन का मूल्यांकन, नये परिसर के लिए वास्तविक जरूरतें तथा राज्य की जनसंख्या और आकार पर विचार करेगी।

4. संस्कृति मंत्रालय संयुक्त सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति (एन.ए.पी.) गठित करेगा। और इनमें संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी, शहरी विकास (के.लो.नि.वि. / हडको / रा.भ.नि. नि.स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर) के प्रतिनिधि, कला और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि कलाकार तथा बिजली / ध्वनि / मंच शिल्प के कम से कम एक तकनीकी विशेषज्ञ, जैसा उचित हो, को शामिल किया जायेगा।

5. केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले परियोजना प्रस्तावों की जांच एनएसी द्वारा की जाएगी तथा आंतरिक वित्त से परामर्श करके निधियां जारी की जाएंगी। परियोजना प्रस्तावों की जांच में, एनआईसी का सहयोग उसकी उप–समिति द्वारा किया जाएगा।

6. केन्द्रीय सहायता पाने वाले परियोजना प्रस्तावों की जॉच राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्रथमतया सैद्धांतिक अनुमोदन और डीपीआर जमा करने पर तथा उसके आखिरी अनुमोदन हेतु डीपीआर प्रस्तुत करते समय किया जाएगा। समिति द्वारा अनुशंसित राशि आन्तरिक वित्त के परामर्श से मंत्रालय द्वारा जारी कर दी जायेगी।

7. 15 करोड़ रूपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता पाने वाली परियोजना का संस्कृति मंत्रालय की पूर्व अनुमति से, इसके सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा जॉच की जायेगी। डीपीआर जमा कराने पर इसका मूल्यांकन व्यावहारिक एस एफ सी / ई एफ सी तंत्र के जरिये किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी अर्थात संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर आंतरिक वित्त के परामर्श से निधि जारी कर दी जायेगी। (ऐसी परियोजना के लिए विशेष अतिरिक्त निधि मंत्रालय को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी)

8. राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन के पश्चात योजना आयोग के प्रारूप / दिशानिर्देशों के अनुसार जहां भी तैयार करना अपेक्षित होगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आवेदक संगठन को निर्णय की सूचना देगा। इस उद्देश्य के लिए अस्थाई तौर से अनुमोदित परियोजना लागत का 0.5 : तक राशि संगठन के अनुरोध पर जारी की जा सकती है। डीपीआर जमा करने के अलावा आवेदक संगठन से प्रस्तुतीकरण भी मांगा जा सकता है।

9. तदनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन अथवा अंतिम अनुमोदन से पूर्व राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति संस्कृति मंत्रालय या उसके संगठनो के अधिकारियो सहित विशेषज्ञों की उप–समिति तदर्थ समिति और अधिकारियों द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक बाह्य स्रोत एजेंसी द्वारा मूल्यांकन / कार्यस्थल निरीक्षण / सत्यापन आदि कराने के लिए स्वतंत्र होगी।

### झ. वित्तीय सहायता की स्वीकृति

डीपीआर के अनुमोदन पर मंत्रालय, परियोजना की अनुमोदित कुल लागत, स्वीकृत सहायता की मात्रा, संगठन के समभाग की मात्रा और सहायता की स्वीकृति राशि को जारी करने के लिए अन्य नियम व शर्तें दर्शाते हुए संगठन को निर्णय की सूचना देगा।

### त्र. वित्तीय सहायता जारी करना

वित्तीय सहायता, सहायता की स्वीकृत राशि के 50 प्रतिशत की दो बराबर किस्तों में जारी की जायेगी।

1. स्वीकृत राशि की पहली किस्त डीपीआर तैयार करने के लिए जारी राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात संस्कृति मंत्रालय द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद जारी की जायेगी। किस्त जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भवन योजना संबंधित नागरिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है।

2. स्वीकृत राशि की दूसरी किस्त निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा कराने के पश्चात जारी की जायेगी:

(क) स्थान के फोटोग्राफ के साथ पहले किये गये/पूर्ण किये गये कार्य का ब्यौरा देते हुए परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

(ख) सनदी लेखाकार से जारी उपयोग प्रमाण–पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि सहायता की पहली किस्त परियोजना के लिए पूर्णतया इस्तेमाल की गयी है।

(ग) आवेदक संगठन के इस वचनबंध के साथ कि यह परियोजना प्रथम किस्त जारी होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी हो जाएगी।

(घ) सनदी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित परियोजना के लेखे का संपरीक्षा विवरण जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पहली किस्त और आनुपातिक सम भाग भी परियोजना के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(ड.) राज्य लो.नि.वि./ के.लो.नि.वि. अथवा पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र जिसमें दर्शाया गया हो कि :

- परियोजना अनुमोदित योजना के अनुसार प्रगति पर है;
- स्थानीय कानूनों और निर्माण/विकास की अनुमोदित योजना का उल्लंघन नहीं किया गया है;
- किया गया कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता का है; और
- किये गये कार्य की लागत का मूल्यांकन और परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित अगली राशि।
- यदि निधि की अंतिम अपेक्षित राशि मिलने के पश्चात अनुमोदित परियोजना लागत से कम पड़ती है अथवा संगठन द्वारा खर्च किया गया सम भाग अनुमोदित परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से कम है तो अनुदान की दूसरी किस्त की राशि तद्नुसार कम कर दी जायेगी।
- दूसरी किस्त जारी करने से पूर्व मंत्रालय अपने प्रतिनिधि(ओं) अथवा विशेषज्ञ दल से परियोजना का निरीक्षण करायेगा।

**प. समापन**

मामले की समाप्ति के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन को अंतिम किस्त जारी होने के 12 माह के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे:

क) राज्य लो.नि.वि./के.लो.नि.वि. अथवा पंजीकृत वास्तुकार द्वारा जारी परियोजना पूर्णता रिपोर्ट।

ख) सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम लेखा विवरण।

ग) दूसरी किस्त की राशि का सनदी लेखाकार द्वारा जारी उपयोग प्रमाण–पत्र।

घ) संगठन ने अपने समभाग की सदृश राशि खर्च कर दी है इस आशय का सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

ड.) उपयुक्त नागरिक प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण–पत्र अथवा संगठन द्वारा जारी परियोजना की पूर्णता की नागरिक प्राधिकरण को सूचना देने वाले पत्र की प्रति (नये निर्माण के मामले में)।

**फ. अनुदान की शर्तें**

1) सांस्कृतिक परिसरों का संचालन और रख–रखाव सम्बंधित राज्य सरकार विभाग, निकाय, एजेंसी, स्वायत्तशासी संगठन अथवा गैर–लाभकारी संगठन द्वारा किया जायेगा। परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गयी भूमि पंजीकृत सोसाइटी अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग के नाम हस्तांरित होगी। केन्द्र सरकार सोसाइटी/संगठन के विभिन्न निकायों

(सामान्य परिषद, वित्तीय समिति, कार्यकारी बोर्ड आदि) से परिसर संचालन के लिए अपने प्रतिनिधि नामांकित कर सकती है।

2) केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदान के सम्बंध में सोसाइटी/संगठन द्वारा पृथक खाते रखने होंगे।

3) संस्थान के खातों को भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अथवा उसके विवेक पर उसके नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा हेतु खुला रखना होगा।

4) राज्य सरकार अथवा संगठन को अनुमोदित परियोजना पर आये व्यय का समायोजन करते हुए और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदानों के उपयोग दर्शाते हुए सनदी लेखाकार/सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा अपने संपरीक्षित लेखा विवरण भारत सरकार को सौंपने होंगे।

5) परियोजना की कार्य पद्धति को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निश्चित किये गये किसी ढंग से जैसे और जब भी आवश्यक समझा जायेगा, समीक्षा हेतु खुला रखना होगा।

6) आवेदक राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र/संगठन अपने कार्यों में समुचित मितव्ययिता बरतेगी।

7) आवेदक संगठन, इस परियोजना को प्रथम किस्त जारी होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

8) केन्द्रीय सहायता से अधिगृहीत भवन और सम्पदा पर पहला ग्रहणाधिकार भारत के राष्ट्रपति का होगा और भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना न भवन, न ही उपकरण दूसरी पार्टियों को पट्टे अथवा बंधक पर दिया जायेगा। तथापि, अन्य पार्टियों को अस्थायी इस्तेमाल के लिए प्रेक्षागृह के पट्टे और अन्य परियोजना सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा।

9) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिसरों का इस्तेमाल पूरे वर्ष इष्टतम रूप से किया जाता रहे।

10) प्राप्तकर्ता संगठन को स्वयं प्रारम्भ में एक वचनबद्धता पत्र देना होगा कि परिसर के दिन–प्रतिदिन के कार्य–कलापों/संचालन के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करायेगा।

11) केन्द्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी अनुमोदित परियोजना लागत के भाग की सीमा तक आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित होगी और परिसर के संचालन या लागत वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने आदि के लिए नहीं होगी।

12) अनुदान प्राप्तकर्ता को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में अनुदान की शर्तों का पालन करने के लिए एक बंध–पत्र (बॉड) निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। अनुदान शर्तों का पालन न करने की स्थिति में बन्ध–पत्र का उल्लंघन करने पर भारत सरकार की प्रचलित उधार दर और इस पर ब्याज सहित अनुदान की वसूली का भारत सरकार निर्णय ले सकती है तथा विलम्ब के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दण्डात्मक दर से वसूली कर सकती है।

13) स्कीम के तहत सभी लाभार्थी संगठनों को अनुदान की स्वीकृति के छः माह के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है तथा उसके पश्चात योजना के पूरा होने तक हर तीन महीने पर अर्थात त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।

14) अनुदानग्राही संगठन परिसर में महत्वपूर्ण स्थान पर मंत्रालय के नाम को उपयुक्त ढंग से दर्शाते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता को ज्ञापित करेगा।

15) जारी अनुदान का प्रयोग प्रशासकीय भवन, आवासीय क्वार्टर, निदेशक के बगले अथवा किसी बाह्य विकास जैसे सम्पर्क मार्ग आदि के लिए नहीं किया जायेगा।

16) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर ऐसी अन्य शर्तें लगायी जा सकती हैं।

*****

5

# कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि

**क. स्कीम**

इस स्कीम को 'कलाकार पेंषन स्कीम और कल्याण निधि' के रूप में जाना जाएगा। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित दो प्रकार के अनुरोधों पर विचार किया जाएगा :

(i) वर्ष 1961 की स्कीम के अधीन विद्यमान लाभार्थी ; और

(ii) लेखकों, कलाकारों आदि के नये मामले, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुदान के लिए पात्र हैं।

**ख. पात्रता**

(i) उक्त स्कीम के अधीन सहायता हेतु पात्र होने के लिए, किसी व्यक्ति का कला और साहित्य आदि में महत्त्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। परंपरागत विद्वान, जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है, भी पात्र होंगे, चाहे उनकी कोई कृति प्रकाषित न भी हुई हो।

(ii) आवेदक की निजी आय (पति / पत्नी की आय सहित) 4000 / – रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) आवेदक की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए (आश्रितों के मामले में यह लागू नहीं है)।

आवेदन–पत्र निर्धारित फार्म में भरा जाए तथा इसे संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रषासन के माध्यम से अनुभाग अधिकारी (एस एंड एफ अनुभाग), संस्कृति मंत्रालय, पुरातत्व भवन, आईएनए, नई दिल्ली को भेजा जाए। केन्द्रीय कोटा से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सीधे भी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय समय–समय पर आवष्यक समझे जाने पर आवेदन–पत्र में संषोधन कर सकता है।

**ग. सहायता का स्वरूप**

सरकार से सहायता मासिक भत्ते के रूप में हो सकती है। केन्द्र और राज्य कोटे के अधीन अनुषंसित कलाकारों को दिया गया ऐसा भत्ता केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रषासन द्वारा साझा किया जाएगा, जिसमें से सम्बधित राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रषासन प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 500 रु0 प्रतिमाह भत्ता देगा। ऐसे मामलों में प्रति लाभार्थी को केन्द्र द्वारा दिया जाने वाला मासिक भत्ता 3500 / – रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा और केन्द्रीय कोटा के अधीन संस्तुत मामलों में सहायता की राषि प्रति लाभार्थी 4000 / – रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

**घ. आवेदकों का चयन**

(i) राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रषासन की अनुषंसाओं के आलोक में, आवेदक के वित्तीय साधनों और प्रसिद्धि, केन्द्र–राज्य कोटे के तहत दी जाने वाली सहायता की मात्रा और सहायता प्राप्त करने वालों की संख्या, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित 'विषेषज्ञ समिति' द्वारा, निधियों की उपलब्धता पर, तय की जाएगी।

(ii) ''केन्द्रीय कोटा'' से दी जाने वाली सहायता की राषि और सहायता प्राप्तकर्ताओं की संख्या का निर्णय आवेदक की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के बाद विषेषज्ञ समिति की अनुषंसाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों को अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के समक्ष अवष्य रखा जाएगा।

ड. **वितरण**

i) **केन्द्र राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कोटा :** अंतिम रूप से चयन हो जाने पर, केन्द्र सरकार संस्वीकृतियॉं जारी करती है और सहायता प्राप्तकर्त्ताओं को सहायता की अपनी शेयर राषि जारी करती है तथा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रषासनों को सहायता का अपना शेयर जारी करने की भी सलाह देती है।

ii) **केन्द्रीय कोटा :** केन्द्रीय कोटे के मामलों में, केन्द्र सरकार संस्वीकृति जारी करेगी और सहायता प्राप्तकर्त्ताओं को सीधे ही भुगतान करेगी।

च. **नवीकरण**

उपरोक्त उपबंधों के अध्यधीन, स्कीम के अधीन स्वीकृत आवर्ती मासिक भत्ता ऐसी अवधि के लिए होगा जिसे केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाए और/अथवा जो जीवन और आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर वर्ष–दर–वर्ष आधार पर जारी रखा जाए।

छ. **भत्ता रोकना**

(i) यदि भत्ता प्राप्तकर्ता की वित्तीय क्षमता 4000/– रुपए प्रतिमाह से अधिक हो जाती है तो उक्त स्कीम के अधीन भत्ते को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) सरकार, अपने विवेक से, भत्ता प्राप्तकर्त्ता को तीन महीने का नोटिस देकर, भत्ते को समाप्त भी कर सकती है।

(iii) कोई भत्ता प्राप्तकर्त्ता, सरकार को लिखित नोटिस देकर भत्ते प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ भी सकता है। ऐसे मामलों में अधिकार छोड़ने के पत्र की तिथि से भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

ज. **मृत्यु होने की स्थिति में**

भत्ता प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु होने पर, आश्रितों की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने के बाद, केन्द्र सरकार के विवेक से उपरोक्त वित्तीय सहायता जारी रखी जा सकती है।

**नोट :**

वित्तीय सहायता प्राप्तकर्त्ता की मृत्यु के मामले में भुगतान का तरीका निम्नानुसार होगा :

1. पति/पत्नी के लिए–जीवन पर्यन्त

2. आश्रितों के लिए – विवाह अथवा रोजगार मिलने अथवा 21 वर्षों की आयु होने तक।

**राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि**

झ. **परिचय :–**

संस्कृति मंत्रालय 1961 से साहित्य, कला और जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में दीन–हीन परिस्थितियों में रह रहे विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता नामक स्कीम चला रहा है। एक 'राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि' का प्रावधान करने के लिए इस स्कीम के दायरे को बढ़ाया जा रहा है जो अस्पताल में भर्ती होने तथा तत्काल कदम उठाए जाने वाली अन्य आकस्मिकताओं के मामलों में इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकारों और कलाकारों के आश्रितों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देगा।

ञ. **उद्देश्य :–**

इस निधि का उद्देश्य इस स्कीम के अतंर्गत वित्तीय सहायता पाने वाले कलाकारों तथा कलाकार की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा :–

(क) जब एक कलाकार की मृत्यु हो जाए और उसके आश्रितों की सहायता करना आवश्यक हो।

(ख) जब इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकार को चिकित्सा उपचार / बीमारी के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता की

आवश्यकता हो और वह अपनी आजीविका चलाने तथा अपने बच्चों की सहायता करने की स्थिति में न हो और / अथवा अपने इलाज के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हो।

(ग) जब किसी कलाकार को आकस्मिक शारीरिक विकलांगता के समय वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो।

**ट. निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता :–**

1. इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकार तथा कलाकार की मृत्यु के पश्चात कलाकार पर आश्रित व्यक्ति।

2. कलाकार की मृत्यु होने पर, परिवार के आश्रित सदस्यों को वित्तीय सहायता का तरीका निम्नानुसार होगा :–

   2.1 पति अथवा पत्नी–कलाकार की मृत्यु के पश्चात, आवश्यकता की स्थिति में सर्वप्रथम वित्तीय सहायता कलाकार के पति अथवा पत्नी को प्रदान की जाएगी।

   2.2 आश्रितों के लिए –विवाह होने अथवा रोजगार प्राप्त करने अथवा 21 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो।

**ठ. वित्तीय सहायता की सीमा :–**

प्रदान की गई वित्तीय सहायता गैर–आवर्ती प्रवृति की होगी तथा किसी भी अवसर पर वित्तीय सहायता की राशि निम्नलिखित सीमा तक प्रतिबंधित होगी :–

(1.) उपरोक्त ञ (क) में उल्लेखानुसार कलाकार की मृत्यु की स्थिति में –2 लाख रूपये

(2.) उपरोक्त ञ (ख) में उल्लेखानुसार चिकित्सा उपचार हेतु –1 लाख रूपये

(3.) उपरोक्त ञ (ग) में उल्लेखानुसार आकस्मिक शारीरिक विकलांगता में कलाकार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर –50,000/– रूपये

**ड. निधि का प्रशासन :–**

निधि का समग्र प्रशासन संस्कृति मंत्रालय में निहित होगा। यह सहायता विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय अथवा संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) द्वारा प्रदान की जाएगी।

**ढ. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं :–**

इस स्कीम के अंतर्गत शामिल कलाकारों/लाभार्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में जीवन/आयु प्रमाण–पत्र को मूल रूप में राजपत्रित अधिकारी/काउंसलर /एम.पी./एमएलए से विधिवत सत्यापित कराकर वार्षिक रूप से (प्रत्येक वर्ष) अप्रैल के महीने में भारतीय जीवन बीमा निगम को निम्नलिखित पते पर भेजना आवश्यक है।

प्रबंधक (पीएण्डजीएस)
भारतीय जीवन बीमा निगम
पीएण्डजीएस विभाग, मंडल कार्यालय –1
एन्यूटी सैल,
छठा एवं सातवां तल,
जीवन प्रकाश, 25, कस्तूरबा गांधी (केजी) मार्ग
नई दिल्ली–110001

जिस बैंक में लाभार्थी का बैंक खाता हो, उस बैंक के प्रबंधक द्वारा विहित पत्र में विधिवत सत्यापित बैंक प्राधिकार, पत्र, 'स्कीम' के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों द्वारा उपरोक्त पते पर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को प्रस्तुत करना होगा, यदि इसे एलआईसी को प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

*****

# 6

# गैर लाभार्थी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

## संक्षिप्त नाम : सांस्कृतिक कार्य अनुदान स्कीम (सीएफजीएस)

**क. शीर्षक**

इस स्कीम को '' गैर – लाभार्थी संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम'' कहा जाएगा।

**ख. कार्य क्षेत्र**

इस स्कीम में सोसाइटियों, न्यासों तथा विश्वविद्यालयों सहित, जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार, अनुसंधान, कार्यशालाएं, उत्सव तथा प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं, सभी गैर लाभार्थी संगठनों को सहायता देना शामिल है। ये संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का xxi), न्यास अधिनियम, कंपनी अधिनियम या केन्द्र या राज्य सरकार के अन्य किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए और कम से कम तीन वर्ष से कार्यरत होने चाहिए।

तथापि, यह स्कीम ऐसे संगठनों या संस्थाओं के लिए नहीं होगी जो धार्मिक संस्थाओं या स्कूलों/कॉलेजों के रूप में कार्य कर रहे हों।

अनुदान, सांस्कृतिक विरासत, कलाओं, साहित्य और अन्य सृजनात्मक कार्यों के परिरक्षण या संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर सम्मेलनों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों जैसे सभी प्रकार के परस्पर मेलजोल के मंचों के लिए दिया जाएगा।

**ग. पात्रता**

1) अनुदान का पात्र होने के लिए आवेदक संगठन का समुचित रूप से गठित ऐसा प्रंबधन निकाय या शासी परिषद होनी चाहिए जिसकी शक्तियां, कार्य व जिम्मेदारियां लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित व निर्धारित हों।

2) संगठन द्वारा परियोजना लागत के कम से कम 25 प्रतिशत तक मैचिंग संसाधनों का करार किया होना चाहिए या इसकी योजना बनाई जानी चाहिए।

3) संगठन के पास उस समारोह/परियोजना को शुरू करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक तथा अनुभव होना चाहिए जिसके लिए अनुदान की मांग की गई हो।

4) यथा आवेदित ऐसे समारोह के आयोजनों के विगत अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

**घ. कार्यकलाप जिनके लिए सहायता दी जानी है और सहायता की सीमा**

वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दी जा सकती है :

1) किसी भी कला रूप/महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मामलों पर सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, उत्सव, प्रदर्शनियां आयोजित करना और लघु अनुसंधान परियोजनाएं आदि शुरू करना।

2) सांस्कृतिक विषयों व उनके प्रकाशनों सहित उनके संबंध में सर्वेक्षण, प्रायोगिक परियोजनाएं आदि संचालित करने जैसे विकास किस्म के कार्यकलापों पर व्यय की पूर्ति करना।

**ड. सहायता की मात्रा :**

उक्त पैरा 4 के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान, विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा संस्तुत व्यय का 75 प्रतिशत तक परन्तु प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 लाख रू. तक दिया जाएगा। अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में (सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संस्कृति मंत्रालय के अनुमोदन से) 20.00 लाख रूपए की राषि प्रदान की जा सकती है।

**च. लेखाकरण पद्धतियां**

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में अलग लेखे रखे जाएंगे।

1) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के लेखाओं की समीक्षा, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसके विवेक पर उसके नामिती द्वारा की जा सकेगी।

2) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, भारत सरकार को अनुमोदित परियोजना पर किए गए व्यय का उल्लेख करते हुए और पूर्व वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का ब्यौरा देते हुए किसी सनदी लेखाकार से संपरीक्षित लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुदान प्राप्तकर्ता को प्राप्त अनुदान की समग्र राशि और उस पर भारत सरकार की वर्तमान दर पर ब्याज तत्काल वापिस करना होगा बशर्तें कि सरकार द्वारा विशेष रूप से ब्याज माफ न किया गया हो।

3) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन की, सरकार द्वारा कभी भी आवश्यक समझे जाने पर कोई समिति नियुक्त करके या सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके से भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा सकेगी।

4) अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन, विदेश मंत्रालय से अनुमति लिए बिना विदेशी प्रतिनिधिमण्डल को आमंत्रित नहीं करेगा, जिसके लिए आवेदन अनिवार्यतः संस्कृति मंत्रालय के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा।

5) यह ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की जाएं।

**छ. आवेदन प्रस्तुत करने की पद्धति**

आवेदन, किसी भी राष्ट्रीय अकादमी या भारत सरकार के तहत संस्कृति से सम्बद्ध किसी अन्य संगठन या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन, राज्य अकादमियों द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

**ज. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**

(1) संगठन का संविधान

(2) प्रबंधन बोर्ड या शासी निकाय का संविधान और प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा

(3) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि

(4) निम्नलिखित सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :

  (i) परियोजना की अवधि सहित उस परियोजना का विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है तथा परियोजना के लिए सेवा में लगाए जाने वाले स्टाफ की अर्हताओं तथा अनुभव का ब्यौरा;

  (ii) आवर्ती व गैर–आवर्ती व्यय का अलग से मदवार ब्यौरा देते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण।

  (iii) स्रोत जिनसे सहयोगी निधियां प्राप्त की जाएंगी।

(5) आवेदक संगठन के गत तीन वर्षों के आय व व्यय का विवरण तथा किसी सनदी लेखाकार या सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन–पत्र की प्रतिलिपि

(6) समुचित मूल्यवर्ग के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में क्षतिपूर्ति बॉण्ड

(7) संस्वीकृत निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में बैंक खाते का ब्यौरा

**झ. किस्त**

अनुदान, 75 प्रतिशत (प्रथम किस्त) और 25 प्रतिशत (दूसरी किस्त) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

**ञ. भुगतान का तरीका**

भुगतान केवल सम्बद्ध संगठन के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अतंरणों से किया जाएगा।

यह स्कीम सम्पूर्ण वर्ष खुली रहेगी। आवेदन पत्र किसी भी समय निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट "www.indiaculture.nic.in" पर उपलब्ध विस्तृत विवरण के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा और पूर्ण आवेदन पत्र ''निदेषक, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, 14, सीएसपी सिंह मार्ग, इलाहाबाद : 211001 (उ.प्र.)'' को भेजा जाएगा।

**संपर्क विवरण :**

1. अनुभाग अधिकारी, एस एंड एफ अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, डी विंग, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
2. निदेषक, एन सी जेड सी सी, 14, सी एस पी सिंह मार्ग, इलाहाबाद – 211001 (उ.प्र.)।

*****

7

# संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोशिप) प्रदान करने की स्कीम

**क. उद्देश्य**

सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करने से पता चला है कि षिक्षाविदों, वैज्ञानिकों के लिए संस्थागत ढांचा तथा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई षिक्षावृत्तियों (फेलोषिप) के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने के पर्याप्त अवसर हैं, सृजनात्मक कला के क्षेत्रों में अथवा हमारे कुछ पारम्परिक कलारूपों को पुनर्जीवित करने के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, जिसके माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएँ और अवसर प्रदान किए जाते हों। संभवतः वित्तीय सुरक्षा से युक्त स्वतंत्र वातावरण से इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने के लिए अपेक्षित अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि 10–14 वर्षों के आयु–वर्ग (सांस्कृतिक प्रतिभा शोध शिक्षावृत्ति योजना) तथा 18–25 वर्षों के आयु–वर्ग (विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकार हेतु शिक्षावृत्ति योजना) के व्यक्तियों के लिए स्कीम हैं, लेकिन हमारे कुछ पारम्परिक कला–रूपों को पुनर्जीवित करने की बाबत अत्यधिक उन्नत प्रषिक्षण अथवा वैयक्तिक सृजनात्मक प्रयास के लिए बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कोई स्कीम नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति (फेलोषिप) प्रदान करने की स्कीम चलाने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम में ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के कलाकार भी शामिल होंगे।

ये अध्येतावृत्तियाँ अनुसंधान उन्मुख परियोजनाएँ शुरू करने के लिए प्रदान की जाती हैं। आवेदक को परियोजना प्रारंभ करने के संबंध में अपनी योग्यताओं का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

अध्येतावृत्तियाँ, प्रषिक्षण प्रदान करने, कार्यषालाएं, सेमिनार आयोजित करने, अथवा स्मरणों को लिपिबद्ध करने/अथवा आत्मकथा, कथा साहित्य आदि लिखने के लिए नहीं प्रदान की जाती हैं।

**ख. फील्ड/क्षेत्र**

1. मंच, साहित्यिक व रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृतियां

   1.1 मंच कलाएँ (संगीत/नृत्य/रंगमंच लोक, कठपुतली सहित परंपरागत एवं स्वदेशी–कलाएँ)

   1.2 साहित्यिक कलाएँ (यात्रा–विवरण/ साहित्य का इतिहास और सिद्धांत)

   1.3 रूपंकर कलाएँ (लेखाचित्र–कला/मूर्तिकला/लोक चित्रकला सहित चित्रकला और परंपरागत पेंटिंग्स पर शोध कार्य सृजनात्मक फोटोग्राफी)

2. संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियाँ

   निम्नलिखित क्षेत्रों में ''संस्कृति से सम्बद्ध नए क्षेत्रों'' में परियोजनाएं आमंत्रित हैं :

   1. भारत विद्या
   2. पुरालेखषास्त्र
   3. संस्कृति का समाजषास्त्र
   4. सांस्कृतिक अर्थषास्त्र
   5. स्मारकों के संरचनात्मक और इंजीनियरी पहलू
   6. मुद्रा शास्त्र

7. संरक्षण के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू

8. कला और विरासत के प्रबंधन पहलू

9. संस्कृति और सृजनात्मकता के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययन

इनका उद्देष्य कला और संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों में समकालीन मुद्दों में नई शोध तकनीकों, प्रौद्योगिकीय और प्रबंधन सिद्धांतों के विष्लेषणात्मक अनुप्रयोग को प्रोत्साहन देना है। सामान्य और सैद्धांतिक वृहत् अध्ययनों पर विचार किया जाएगा। प्रस्ताव, नवीन और अनुप्रयोग उन्मुख और वरीयतः अन्तर–विधा किस्म का होना चाहिए।

**ग. नाम**

इस स्कीम को 'संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्तियां प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जाना जायेगा।

**घ अध्येतावृत्तियों की संख्या**

अध्येतावृत्तियों की संख्या प्रत्येक वर्ष 400 होगी। ये दो प्रकार की अध्येतावृत्तियां हैः वरिष्ठ और कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 40 वर्ष और इससे अधिक आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 20,000/– रू. की दर से 200 होगी जबकि 25–40 वर्ष की आयु समूह के कलाकारों के लिए प्रतिमाह 10,000/– रू. की दर से कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों की संख्या 200 होगी। आयु की गणना प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से की जाएगी।

**ड. प्रकाशन अनुदान**

इसके अलावा, चुनिंदा परियोजना दस्तावेजों के प्रकाशन की लागत के अधिकतम 20,000/– रू. या 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, की एक बारगी दिया जाने वाला अनुदान हो सकता है। इसे अनुदानप्राप्तकर्ताओं के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

**च. पात्रता**

वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदक, अभावग्रस्त परिस्थितियों में विद्यमान कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय से पेंषन प्राप्तकर्त्ता नहीं होना चाहिए।

आवेदक, इससे पहले सदृश अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। तथापि, जिस आवेदक को कनिष्ठ अध्येतावृति प्रदान की गई हो, वह वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते कि पहली परियोजना पूरा होने के बाद 5 वर्ष का समय बीत चुका हो।

स्कीम के पैरा II (ख) में सूचीबद्ध क्षेत्र/दायरे में पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक है।

**छ. शर्ते**

वरिष्ठ और कनिष्ट अध्येतावृतियों के तहत प्राप्तकर्ता को छमाही प्रगति रिपोर्ट जमा करानी होगी। ऐसी रिपोर्ट समय से प्राप्त न होने पर अध्येतावृति राशि मंत्रालय द्वारा रोकी जा सकती है। रोजगार प्राप्त आवेदकों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा।

चुने गए उम्मीदवारों को उन परियोजनाओं के संबंध में शैक्षिक अथवा अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान कार्य आयोजित करना होगा जिसके लिए उन्हें अध्येतावृत्तियॉ प्रदान की गई हैं। उन्हें अपनी परियोजना दो वर्ष के अंदर पूरी करनी होगी और उसे इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी के बिना अधिकतम तीन माह तक समयवृद्धि की अनुमति होगी।

**ज. निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन**

प्रत्येक मामले में एक वर्ष बाद सत्र के बीच में निष्पादन की समीक्षा/मूल्यांकन किया जाएगा और अध्येतावृत्ति का आगे जारी रहना इस समीक्षा/मूल्यांकन पर निर्भर करेगा।

**झ. चयन की प्रकिया**

1. आवेदन पत्र, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रषिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), प्लॉट नं. 15, सेक्टर–7, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 द्वारा समय – समय पर प्रकाषित विज्ञापन के अनुसार, केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

2. यदि आवेदक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों/विष्वविद्यालयों इत्यादि में कार्यरत हैं, तो अध्येतावृत्ति के लिए चयन होने पर उन्हें दो वर्ष की अवधि का अवकाष लेना होगा। उन्हें अध्येतावृत्ति के अपने आवेदन को विभाग/संस्था/उपक्रम/विष्वविद्यालय इत्यादि के प्रमुख के माध्यम से इस लिखित आष्वासन के साथ प्रेषित करना चाहिए कि अध्येतावृत्ति के मंजूर होने पर उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए अवकाष प्रदान किया जाएगा। लागू अन्य शर्तों के अतिरिक्त अवकाष मंजूर होने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर अध्येतावृत्ति की प्रथम किस्त जारी की जाएगी।

3. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जो प्रथम चरण में सभी आवेदनों की जांच करेगी और उनमें से विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदवारों के अपेक्षाकृत संख्या में संभावित चयन के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ठ उम्मीदवारों की लघु सूची बनाएगी।

4. विशेषज्ञ समिति द्वारा लघु सूची में रखे गए कनिष्ट अध्येतावृत्ति उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो फिर उनमें से विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षाकृत संख्या में कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ठ उम्मीदवारों को चुनेगी। वरिष्ठ अध्येतावृत्तियों के मामले में ऐसा साक्षात्कार आवश्यक नहीं होगा।

**ञ. भुगतान का तरीका**

प्रदान की गई राषि का अंतरण केवल अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

**संपर्क विवरण :**

1. अनुभाग अधिकारी, एस एंड एफ अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, डी विंग, जीपीओ कॉम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।

2. निदेषक, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रषिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी), प्लॉट नं. 15, सेक्टर–7, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

*****

# 8

# विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्तियॉं प्रदान करने की स्कीम

**क शीर्षक**

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्तियॉं प्रदान करने की स्कीम

**ख उद्देश्य**

स्कीम का उद्देष्य असाधारण प्रतिभा वाले युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, स्वांग दृष्य कला, लोक , पारम्परिक और स्वदेषी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत में उच्च प्रषिक्षण के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

**ग संख्या**

शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या 400

**घ विषय/क्षेत्र जिनमें शिक्षावृत्तियां दी जा सकती हैं**

**(1) भारतीय शास्त्रीय संगीत**

शास्त्रीय हिन्दुस्तानी संगीत (गायन और वाद्य) शास्त्रीय कर्नाटक संगीत (गायन और वाद्य इत्यादि)

**(2) भारतीय शास्त्रीय नृत्य/संगीत**

भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी नृत्य/संगीत, मणिपुरी नृत्य/संगीत, थांगटा, गौडिया नृत्य, छऊ नृत्य/संगीत, सतरिया नृत्य।

**(3) रंगमंच**

रंगमंच कला का कोई विषिष्ट पहलू, जिसमें अभिनय, निर्देषन आदि शामिल हैं किन्तु नाट्यलेखन और अनुसंधान शामिल नहीं है।

**(4) दृश्य कलाएं**

रेखांकन, मूर्तिकला, चित्रकारी, सृजनात्मक फोटोग्राफी, मृत्तिका और सिरेमिक्स आदि।

**(5) लोक, पारम्परिक और स्वदेशी कलाएं**

कठपुतली, स्वांग, लोक रंगमंच, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक संगीत, आदि (एक सोदाहरण सूची पैरा 8 'टिप्पणी' में देखी जा सकती है)।

**(6) सुगम शास्त्रीय संगीत**

(क) ठुमरी, दादरा, टप्पा, कव्वाली, ग़ज़ल

(ख) कर्नाटक शैली पर आधारित सुगम शास्त्रीय संगीत आदि

(ग) रवीन्द्र संगीत, नज़रूल गीति, अतुलप्रसाद

**ङ शिक्षावृति की अवधि एवं कार्यकाल**

सामान्यतः शिक्षावृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी।

प्रत्येक मामले में प्रषिक्षण का स्वरूप अध्येता के पिछले प्रषिक्षण तथा पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः, यह किसी गुरू/प्रषिक्षक अथवा मान्यता प्राप्त संस्था की उच्च प्रषिक्षुता के स्वरूप की होगी।

अध्येता को कठोर प्रषिक्षण लेना होगा। इस प्रकार के प्रषिक्षण में संबंधित विषय/क्षेत्र में सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करने में लगे समय के अतिरिक्त अभ्यास के लिए प्रतिदिन कम से कम तीन घंटे का समय और संबंधित विषयों को समझना भी शामिल है।

प्रत्येक अध्येता को यात्रा, पुस्तकों, कला सामग्री या अन्य उपस्कर और ट्यूशन या प्रशिक्षण प्रभार, यदि कोई हो, पर अपने रहन–सहन के व्यय को पूरा करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह 5000/– रू. का भुगतान किया जाएगा।

**च पात्रता की शर्तें**

(1) अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(2) अभ्यर्थियों में उनके प्रषिक्षण को प्रभावी ढंग से आगे चलाने के लिए पर्याप्त सामान्य ज्ञान होना चाहिए।

(3) अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण को प्रभावी ढंग से आगे चलाने के लिए अपनी इच्छा का प्रमाण देना होगा।

(4) चूँकि, ये शिक्षावृत्तियॉ उच्च प्रषिक्षण के लिए दी जाती हैं, न कि नए सीखने वालों के लिए, अतः अभ्यर्थियों के पास चुने हुए कार्यकलाप के क्षेत्र में प्रवीणता डिग्री होनी चाहिए।

(5) अभ्यर्थी को अपने गरू/संस्थानों से न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन के साथ वर्तमान गुरू/संस्थान और पूर्व गुरू/संस्थान (यदि कोई हो) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रपत्र के भाग–II में इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(6) अभ्यर्थी को सम्बद्ध कलाओं/विद्याओं में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(7) अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष में 1 अप्रैल को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जिस वर्ष में आवेदन किया जा रहा है। आयु सीमा में छूट नहीं है।

**छ विज्ञापन**

प्रत्येक वर्ष सीसीआरटी द्वारा आवेदन आमंत्रित करने संबंधी विज्ञापन समय–समय जारी किया जाएगा।

**ज साक्षात्कार के समय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**

साक्षात्कार के समय आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज (फोटो सहित) जमा कराने होंगे :

1. शैक्षिक योग्यताओं, अनुभवों इत्यादि की एक–एक स्व सत्यापित प्रति। किसी भी हालत में मूल दस्तावेज नहीं भेजने चाहिए।

2. मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो, अथवा आयु को कोई अन्य संतोषजनक प्रमाण (जन्म पत्रियों के अलावा) की एक सत्यापित प्रति।

3. नवीनतम पासपोर्ट आकार का एक फोटो।

4.जो उम्मीदवार चित्रकला, मूर्तिकला और प्रयुक्त कला के क्षेत्र में शिक्षावृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन पत्रों के साथ उत्कृष्ट मूल कृतियों की, स्व सत्यापित फोटो भी भेजनी होगी। दृष्यकला के लिए ललित कलाओं में स्नातक अथवा समकक्ष न्यूनतम अर्हता है।

5. यदि आवेदक एक से अधिक क्षेत्र के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग ऑनलाइन आवेदन–पत्र भेजना चाहिए।

6. चूंकि ये शिक्षावृत्तियां उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए दी जाती हैं, अतः अभ्यर्थी को अपने गुरू/संस्थानों से न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। आवेदन के साथ वर्तमान गुरू/संस्थान और पूर्व गुरू/संस्थान (यदि कोई हो) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**झ सामान्य**

1. अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षात्कार/प्रदर्शन के लिए उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार / प्रदर्शन की तारीख, समय और स्थान की सूचना अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में दिये गये ई–मेल के माध्यम से दी जायेगी। चयन पूर्णतः योग्यता आधार पर किया जाएगा।
2. परिणाम मंत्रालय की वेबसाइट (www.indiaculture.nic.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। निर्णय पत्र उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा।
3. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो उसे इस मंत्रालय को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए। सूचित करते समय प्रशिक्षण के विषय/ क्षेत्र फाईल संख्या (यदि कोई हो) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. आगे के किसी भी पत्र व्यवहार के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित ब्यौरे अवश्य दें :–

   (क) स्कीम का नाम (ख) सुस्पष्ट अक्षरों में उम्मीदवार का नाम (ग) प्रशिक्षण का विषय/क्षेत्र (घ) पंजीकरण संख्या।

**सम्पर्क:**

(1) अनुभाग अधिकारी, एस एंड एफ अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, डी–विंग, जीपीओ काम्पलैक्स, आईएनए, नई दिल्ली।

(2) निदेशक, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) प्लाट नं. 15, सेक्टर–7, द्वारका, नई दिल्ली–110075

**ञ टिप्पणी : लोक, पारम्परिक व स्वदेशी कला की सांकेतिक सूची**

**ट. कठपुतली रंगमंच**

**(क) छाया कठपुतली**

1. उड़ीसा की रावणछाया
2. महाराष्ट्र का चमड्याचा बाहुल्या
3. केरल का तोल पावाकूतु
4. तमिलनाडु का तोलु बोम्मलाटा
5. आंध्र प्रदेष का तोलु बोम्मलाटा
6. कर्नाटक का तोलागु गोंबे अट्टा

**(ख) छड़ या धागा कठपुतली**

1. पष्चिम बंगाल का पुतुलनाच
2. राजस्थान की कठपुतली
3. कर्नाटक का गोंबेअट्टा
4. केरल का पावाकूतु
5. तमिलनाडु का बोम्मलाटा
6. उड़ीसा का सखी–कुंडेई
7. महाराष्ट्र का कलासूत्री बहुली
8. बिहार का चदर बदर

**(ग) दस्ताना कठपुतली**

1 उत्तर प्रदेष की गुलाबो सिताबो

2 केरल का पावा कथकली

**(घ) पारम्परिक रंगमंच**

**(क) भक्ति संगीत**

1. कथाकालक्षेपम की हरिकथा
2. तेवारम, तिरूपुगाज, कावडिचिंदु
3. महाराष्ट्र के भजन और अभंग
4. विभिन्न धार्मिक समुदायों के गीत
5. मणिपुर का संकीर्तन
6. बंगाल का बाउल
7. दिव्यप्रबन्दम और अरैया सेवाई

**(ख) लोक संगीत**

1. सभी क्षेत्रों के महिला गीत
2. बच्चों के तथा बच्चों द्वारा गाए गीत
3. महाकाव्यों से संबंधित गीत
4. विभिन्न जातियों के गीत
5. सभी क्षेत्रों की देवी माता की भेंटें
6. उत्तर प्रदेष, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की विभिन्न प्रकार की लावणी
7. महाराष्ट्र के गोलण
8. दक्षिण के कुरवंजी गीत
9. नागेसी–हरदेसी (कर्नाटक) सहित विभिन्न क्षेत्रों के कलगी तुरा
10. गौरव गीत (कलगी तुरा)
11. कर्नाटक और महाराष्ट्र के गोंधल
12. बिंगी पद (अंटिके पंटिके)
13. तत्त्व गीत (एकतारी मेला)
14. किन्नरी जोगी गीत
15. काणे–पद
16. गीगीपद
17. गुंडिका पद
18. जोकुमार गीत
19. दोम्बी दास के गीत (गाथा)

20. नील गार के गीत
21. पंढरी भजन
22. रिवायत के गीत (सवाल–जवाब) और मर्सिया कहानी
23. लोक तथा जनजातीय संगीत वाद्य
24. समष्टि वादन (पंचमुख–वाद्य, करडी, मजलू, वेलगा, सिट्टी, मेला, छकड़ी, अंजुमन आदि)

**(ठ) अन्य विविध परम्परागत स्वरूप**

1. मणिपुर का पेनाइसेई
2. लोक संगीत (जाति संगीत)
3. राजस्थान का मांड
4. गोवा का रणमाल्येम
5. असम का देवधानी
6. मध्य प्रदेष की चांदयानी
7. कष्मीर का भांड जष्न
8. तेय्यमतुरा
9. तिब्बती कलावस्तु तथा अभिलेखागार के पुस्तकालय, धर्मषाला में तिब्बती चित्रकला और काष्ठ षिल्प का अध्ययन।

**यह सूची उदाहरणस्वरूप है, न कि सम्पूर्ण।**

*****

# 9

# टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति

**क. उद्देश्य**

यह स्कीम, संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन विभिन्न संस्थाओं तथा देष में चिन्हित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुप्राणित करने तथा पुनरूज्जीवित करने के लिए शुरू की गई है, जो परस्पर हित की परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए इन संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने के लिए विद्वानों / षिक्षाविदों को प्रोत्साहित करती है। संस्थाओं में नवीन ज्ञानभंडार अनुप्राप्ति करने की दृष्टि से, इस स्कीम में इन अध्येताओं/षिक्षाविदों के इन संस्थाओं के मुख्य उद्देष्य से संबंधित परियोजना और अनुसंधान कार्य आरंभ करने के लिए संस्थाओं में विषिष्ट संसाधन के चयन हेतु तथा उन्हें नवीन सृजनात्मक दृष्टिकोण तथा शैक्षिक उत्कर्ष से उन्हें समृद्ध करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम में भारतीय नागरिक तथा विदेषी नागरिक भाग ले सकते हैं। विदेषियों का अनुपात एक वर्ष में प्रदान की गई कुल अध्येतावृत्ति का सामान्यतया एक–तिहाई से अधिक नहीं होगा।

**ख. शीर्षक**

इस स्कीम को ''टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक शोध अध्येतावृत्ति '' के नाम से जाना जाएगा।

**ग. भाग लेने वाले संस्थान**

इस स्कीम में संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के अधीन नीचे सूचीबद्ध सभी संस्थाएं शामिल होंगी तथा भविष्य में ऐसी ही अन्य संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) की राय है कि इस स्कीम में ऐसे ही गैर–मंत्रालयीय सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक स्रोत जैसे –पांडुलिपियों, कलाकृतियों, पुरावस्तुएं, पुस्तकें, प्रकाषन, अभिलेख आदि भी शामिल हो सकते हैं तथा इसके संसाधनों पर काम करने के लिए विषिष्ट विद्वानों को नियुक्त करके तथा प्रकाषन, जो विषय की हमारी समझ अथवा संस्था को समृद्ध करता है, निकालकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक संस्थाओं से उन्हें स्कीम में शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, एनएससी, अपनी स्वयं की क्षमता से, ऐसी संस्थाओं की पहचान करता है, जिन्हें स्कीम से लाभ देने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उनसे सहमति प्राप्त होने पर इस स्कीम में संबंधित संस्थानों को षामिल किया जाएगा। इस स्कीम के लिए संस्कृति मंत्रालय तथा गैर–संस्कृति मंत्रालय की संस्थाएं जो इस स्कीम द्वारा वर्तमान में शामिल की गई हैं, को दो श्रेणियों (I व II) तथा 4 विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं

**1. समूह – 'क' : पुरातत्व, पुरावस्तु, संग्रहालय एवं दीर्घाएं**

**I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (9)**

i. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली

ii. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली

iii. भारतीय संग्रहालय, कोलकाता

iv. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

v. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद

vi. इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

vii. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता

viii. ललित कला अकादेमी, नई दिल्ली

ix. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगषाला, लखनऊ

**II. गैर–संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (3)**

i. छत्रपति षिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुम्बई

ii. गांधी संग्रहालय, पटना

iii. राजकीय संग्रहालय एवं कला दीर्घा, चंडीगढ़

**2. समूह – 'ख' : अभिलेखागार, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षावृत्ति**

**I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (6)**

i. राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

ii. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता

iii. रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर (उ. प्र.)

iv. खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

v. राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता

vi. गांधी स्मृति एवं दर्षन समिति, नई दिल्ली

**II. गैर–संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (4)**

i. एषियाटिक सोसायटी, मुम्बई

ii. आंध्र प्रदेष राज्य अभिलेखागार एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

iii. तंजावुर महाराजा सरफोजी का सरस्वती महल पुस्तकालय एवं अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर

iv. भंडारकर ओरियंटल अनुसंधान संस्थान, पुणे

## 3. समूह – 'ग' : मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र

**I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (10)**

i. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता

ii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

iii. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली

iv. उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला

v. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद

vi. पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता

vii. उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर

viii. पष्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर

ix. दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

x. दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर

**II. गैर–संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (शून्य)**

## 4. समूह – 'घ' : मंचकला एवं साहित्य कलाएं

**I संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (4)**

i. संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली

ii. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली

iii. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई

iv. साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली

**II. गैर–संस्कृति मंत्रालय के संस्थान (1)**

i. जवाहरलाल नेहरू विष्वविद्यालय (कला एवं सौन्दर्य शास्त्र विद्यालय), नई दिल्ली

## घ. स्कीम का कार्य क्षेत्र

स्कीम का कार्य क्षेत्र वे अनुसंधान परियोजनाएं, जो अपने अप्रयुक्त संसाधनों को सुलझाती हैं, पर काम करने के लिए, चिन्हित सांस्कृतिक संस्थान द्वारा विषिष्ट योग्यता वाले विद्वानों को नियुक्त करना हैं। संस्थान तथा विद्वान खोज किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे, लेकिन अनुसंधान का विषय एक संस्थान तक सीमित नहीं होना चाहिए। सुविधा, मॉनीटरिंग, लेखाकरण तथा उत्तरदायित्व के उद्देष्य के लिए पैरा 3 में सूचीबद्ध एक संस्थान, प्रत्येक परियोजना के लिए 'नोडल संस्थान' होगा तथा अध्येता को उस संस्थान से संबद्ध/जोड़ा जाएगा।

**1. शोध क्षेत्र तथा पात्र परियोजनाएं**

1.1 चयनित अध्येता सामान्यतः उस परियोजना पर कार्य करेगा जो नोडल संस्थान को उसके संसाधनों को सुलझाने के लिए लाभकारी है। शोध का विषय ऐसा होना चाहिए कि वह अध्येतावृत्ति देने वाले नोडल संस्था के संसाधनों और सुविधाओं को उपयुक्त रूप से आगे बढ़ाए, यद्यपि इसके साथ ही वह अन्य संस्थानों के संसाधन और सुविधाएं लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

1.2 यदि अनुसंधान का विषय एक संस्था से आगे बढ़ता है अथवा अध्येतावृत्ति अन्य रूप से अन्य संस्थान के संसाधनों और सुविधाओं को प्राप्त करने की आवष्यकता महसूस करता है तो अध्येतावृत्ति प्रदान करने वाला नोडल संस्थान, अन्य संस्थानों को अध्येतावृत्ति की सिफारिष करेगा। ऐसे विरल मामले में जहां अध्येता के लिए दो संस्थान लगभग समान महत्व के हों तो दूसरे संस्थान को 'सह–संस्थान' के रूप में समझा जाए और दोनों पक्षों द्वारा बौद्धिक संपदा, प्रकाषन, क्रेडिट शेयरिंग, सुविधाएं आदि के संबंध में द्विपक्षीय समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं। लेकिन लेखाकरण 'नोडल संस्थान' के पास ही रहेगा।

1.3 चूंकि यह स्कीम, नोडल संस्थान के सांस्कृतिक संसाधनों को सुलझाने पर केन्द्रित है अतः परियोजना उसी दिषा में चलनी चाहिए, अर्थात्, नोडल संस्थान के संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना। परियोजना के आवष्यक निवेष नोडल संस्था और (विरले मामले में) सह–संस्थान में उपलब्ध संसाधनों के साथ अत्यधिक जुड़ा होना चाहिए।

1.4 इसके अंत में, परियोजना परिणाम से नोडल संस्थान, सह–संस्था, यदि कोई हो, तथा विचाराधीन विषय को लाभ मिलना चाहिए; तथा संस्थान/व्यक्ति के विद्यमान ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए।

**2. टैगोर राष्ट्रीय अध्येता के रूप में नियुक्ति के लिए विद्वानों की पात्रता**

2.1 ऐसे विद्वान जो गहन शैक्षणिक ज्ञान अथवा व्यावसायिक ख्याति वाले तथा अपने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के प्रति महत्वपूर्ण योगदान किये हों, जैसाकि प्रख्यात और संदर्भित जर्नलों में प्रकाशित हुआ हो तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में परिलक्षित हुआ हो, अथवा कला या संस्कृति के किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य वाले व्यक्ति, अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने हेतु विचार के लिए पात्र होंगे।

2.2 नियुक्त किए जाने वाले अध्येता के पास पिछले पैरा (4.2.1) में उल्लिखित विश्वसनीयता तथा नोडल संस्थान द्वारा शामिल क्षेत्र में गहन ख्याति होनी चाहिए। चूंकि मान और मानदेय दोनों ही काफी उच्च स्तर के हैं; अतः प्रायोजित संस्थान की संस्थान स्तरीय 'खोज–सह–जांच समिति' और 'राष्ट्रीय चयन समिति' (आगे पैरा 11 में परिभाषित) टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं की सिफारिष/चयन करते समय यह ध्यान में रखें।

2.3 अतः ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए जिन्हें टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए चुना जाता है :

2.3.1 शोध व अनुभव काल के संबंध में उच्च प्रतिष्ठा;

2.3.2 प्रकाषनों की अत्यधिक प्रभावी सूची, जिन्हें विद्वता के क्षेत्र में स्वीकार किया गया हो;

2.3.3 सीधे राष्ट्रीय संस्थान और/या सम्बद्ध संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं के संचालन में पूर्व अनुभव।

2.4 संक्षेप में, टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए चुना गया व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने अपने कार्यक्षेत्र में 'प्रसिद्ध व्यक्ति' का दर्जा पा लिया हो या वह अत्यधिक आदरणीय हो। यह उचित है कि जो उक्त विवरण के दायरे में नहीं आते वे अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन न करें या उन्हें इतना ऊंचा सम्मान व मानदेय देने पर विचार न किया जाए जो इस अध्येतावृत्ति के तहत भारत के किसी विद्वान को दिया जाता है।

## ङ चयन की शर्तें

चुने गए अध्येता को नोडल संस्था में भाग लेना होगा क्योंकि स्कीम का उद्देष्य ऐसे संस्थानों को शैक्षिक सुविज्ञता उपलब्ध करवाना तथा नोडल संस्था के कार्यकलापों में शैक्षिक अनुकूलन सृजित करना है। लम्बी अवधि तक अध्येताओं की वास्तविक उपस्थिति से नोडल संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों व सांस्कृतिक विषेषज्ञों का शैक्षिक अनुकूलन होगा तथा इससे अन्य संस्थानों से आने वाले अतिथि षिक्षाविदों के साथ मेलजोल करने का अवसर भी मिलेगा। यद्यपि अध्येताओं को परियोजना कार्य के प्रयोजनों से या अपनी अन्य व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण समय–समय पर बाहर जाना पड़ सकता है परन्तु अध्येतावृत्ति की मुख्य अवधि के दौरान आषा है कि वे प्राथमिक रूप से नोडल संस्थान व इसके संसाधन के साथ काम करेंगे। अतः ऐसे उम्मीदवार इस अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं ले सकते जो अन्यत्र अधिक व्यस्त हैं या जो नियमित सेवा में है या जिनकी सेवा जारी है। इसी प्रकार, जो उम्मीदवार उस नगर में प्रवास नहीं कर सकते, जहां नोडल संस्थान स्थित है, सामान्यतया उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। परन्तु यदि व्यक्ति या संसाधन, शोध का ऐसा मुख्य आधार हैं कि उसके लिए उसकी उक्त नगर में लगातार उपस्थिति की जरूरत नहीं है तो एन एस सी ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है। इस स्कीम में भाग लेने वाले संस्थान में नियोजित उम्मीदवारों पर भी सर्वाधिक अपवादस्वरूप परिस्थितियों (जिसके बारे में एनएससी द्वारा निर्णय लिया जाएगा) को छोड़कर अपने मूल संस्थान में अध्येता होने पर प्रतिबंध होगा।

## च. टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों की संख्या व उनका वित्त पोषण

1. प्रारंभ में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अध्येतावृत्ति का आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रति वर्ष 15 अध्येतावृत्तियों का भुगतान किया जाता है। इसकी कुल संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय के लगभग सभी संस्थानों के पास अपने अध्येताओं पर खर्च करने के लिए पर्याप्त निधियां है। एक संस्थान एक वर्ष में अधिकतम दो अध्येतावृत्तियां प्रदान कर सकता है परन्तु पात्र प्रस्ताव प्राप्त होने पर राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) को विषेष रूप से एएसआई और आईजीएनसीए जैसे व्यापक आधार वाले संस्थानों के मामले में उक्त शर्त में ढील देने का विवेक होगा।

2. यदि वर्ष 2009–10 से प्रारंभ करते हुए किसी वर्ष के लिए, संस्कृति मंत्रालय की निधियों से प्रदान की गई अध्येतावृत्तियां 15 से कम हैं, तो शेष अध्येतावृत्तियों को ठीक अगले वर्ष में आगे ले जाया जा सकता है बषर्ते कि उस वर्ष में इस प्रयोजनार्थ निधियां हों। इसी प्रकार, वित्त वर्ष विषेष में प्रस्तुत आवेदनों व परियोजनाओं को भी आगे ले जाया जा सकता है और उन पर अगले वर्ष विचार किया जा सकता/उनकी सिफारिष की जा सकती है बषर्ते कि उन्हें अन्यथा विचार के योग्य पाया जाए।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि संस्कृति मंत्रालय के तहत सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालय, उन्हें आबंटित समग्र योजनागत बजट में से टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति पर खर्च करेंगे जबकि स्वायत्त संगठन (संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित),

उन्हें वार्षिक योजना अनुदानों या आन्तरिक व्यवस्था से उपलब्ध निधियों के सामान्य पूल से अध्येतावृत्तियों का खर्च वहन करेंगे। यदि उनमें से किसी भी संगठन को इस प्रकार सेवा में लिए गए अध्येताओं की सहायता हेतु अतिरिक्त निधियों की आवष्यकता पड़ती है तो, संस्कृति मंत्रालय, स्वायत्त संगठनों के मामले में उनके सहायता अनुदान आबंटन के भाग के रूप में अपेक्षित अतिरिक्त निधियां आबंटित करेगा और यदि संबंधित संस्थान, मंत्रालय का सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय है तो अतिरिक्त बजट प्रावधान करेगा। इन संस्थानों को, इसमें आगे निर्धारित मुख्य पैरामीटरों के भीतर और एनएससी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार इस स्कीम को संचालित करने के लिए (जिसके लिए मंत्रालय यथा उक्त उल्लिखित सहायता अनुदान/बजट आबंटन प्रदान करेगा) पूर्ण स्वतंत्रता व नम्यता होगी।

4. स्कीम के तहत आने वाले संस्कृति मंत्रालय के संस्थानों से इतर संस्थानों को सीधे इस स्कीम के बजट शीर्ष से निधियां प्रदान की जाएगी, जिनका उपयोग इन संस्थानों द्वारा उनके लिए काम किए जाने हेतु चुने गए टैगोर राष्ट्रीय अध्येता (अध्येताओं) पर खर्च करने के लिए किया जाएगा और इसका अलग से लेखा रखा जाएगा।

## छ. टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का मूल्य

1. टैगोर राष्ट्रीय अध्येता, जो एक विष्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थानों अथवा भारत के सरकारी ढांचे से हो, ग्रेड वेतन आदि सहित उसी वेतन का पात्र होगा जो वेतन उसने अपने मूल संगठन में रहते हुए प्राप्त किया हो। नोडल संस्थान द्वारा नियोक्ता के भविष्य निधि आदि में मूल या अनिवार्य अंषदान का भी भुगतान किया जाएगा जैसाकि नियोक्ता द्वारा अध्येता के अपने मूल संगठन में रहते हुए उसे किया जाता।

2. कोई अध्येता, जो विदेष अथवा विष्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान अथवा सरकार से भिन्न ढांचे से अथवा जो अपनी सेवा से अब सेवानिवृत्त हो गया हो अथवा अपना पेंषन ले रहा हो, 80,000/– रु. प्रतिमाह के नियत मानदेय का पात्र होगा।

3. ऐसी टॉप–अप राषि, जो एनएससी द्वारा निर्धारित की जाए, उस अध्येता को देय होगी जो चुनिंदा मामलों में अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर रहा हो जिससे उसके परिलब्धियों की कुल राषि मानदेय की सीमा तक या इससे अधिक हो जाएगी। परन्तु किसी भी स्थिति में टॉप–अप की राषि प्रतिमाह 80,000/– रु. से अधिक नहीं होगी।

4. ऐसे अध्येता को मानदेय का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जो मानदेय के बराबर अन्य स्रोतों से पूंजी राषि प्राप्त कर रहा हो। तथापि, ऐसे अध्येता को आकस्मिक अनुदान और अन्य भत्ते आदि सुविधाएं, जो एन एस सी द्वारा तय की गई हों, प्राप्त होंगी।

## ज. आकस्मिक अनुदान

विदेश में रहने वाले अथवा सेवा करने वाले विदेषी अनुसंधान अध्येता और भारतीय अनुसंधान अध्येता को अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान एक बार नोडल संस्थान द्वारा देष से अपने निवास अथवा अपने निवास से देष तक इकोनॉमी श्रेणी का वापसी हवाई किराया दिया जाएगा/प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्कीम के तहत अध्येतावृत्ति लेने वाले सभी अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान 2.50 लाख रु. प्रतिवर्ष की सीमा तक रखे जाने वाले अनुसंधान सहायकों को शैक्षिक यात्रा करने के लिए आकस्मिक व्यय 'वास्तविकता' के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। आकस्मिक अनुदान की समुचित निगरानी और नियंत्रण के लिए, नोडल संस्थान इस उद्देष्य के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर रखेगा।

## झ. अध्येतावृत्ति की अवधि

अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम दो वर्ष की होगी। आपवादिक मामलों में संस्थान, एनएससी को, इसके द्वारा दिए गए कार्य की गुणवत्ता के मूल्यांकन द्वारा समर्थित होने पर एक और वर्ष तक विस्तार की अवधि के लिए या दो वर्ष से कुछ कम की अवधि की सिफारिष कर सकता है। अध्येतावृत्ति कार्यभार ग्रहण की तारीख से दी गई मानी जाएगी और 'महीनों' व 'वर्षों' की गिनती तदनुसार की जाएगी।

## ञ. चयन मापदंड

### 1. आवेदन

संस्कृति मंत्रालय अथवा संबंधित संस्थान अध्येतावृत्ति का व्यापक रूप से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्र जिनके पाठकों की संख्या अधिक हो और अपनी वेबसाइट पर, (जिसमें पूरे विवरण होने चाहिएं) तथा संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक संगठनों/फोरम के माध्यम से स्कीम का प्रचार भी करेगी ताकि स्कीम का अधिकाधिक प्रचार हो। ऐसे पात्र उम्मीदवार वर्ष के दौरान सीधे संबंधित संस्थान/नोडल संस्थान को आवेदन कर सकते हैं जो भागीदार किसी भी संस्थान के संसाधनों पर आधारित कोई परियोजना पूरा करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय निकाल सकें। उम्मीदवार किसी सादे कागज पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके साथ जीवन–वृत्त, प्रकाषनों की सूची, उस कार्य के एक पृष्ठ के सार–संक्षेप, जिस पर वह कार्य करना चाहता है/चाहती है, सहित अन्य दस्तावेज तथा दो संस्तुतकर्त्ताओं के सम्पर्क सूत्रों सहित उनके नाम संलग्न किए जाएंगे। आवेदक को इस आषय का उल्लेख करते हुए एक घोषणा पत्र संलग्न करनी चाहिए कि यदि अध्येतावृत्ति के लिए उसका चयन होता है तो वह अध्येतावृत्ति का कार्यकाल पूरा करेगा/करेगी।

### 2. चयन

उपर्युक्त पद्धति से प्राप्त आवेदनों की जांच इस प्रयोजनार्थ गठित संस्थान स्तरीय खोज–सह–चयन जांच समिति (आई एल एस एस सी) (जिसका विस्तृत उल्लेख पैरा 11 में किया गया है) द्वारा की जाएगी, और विचार किए जाने योग्य पाए गए आवेदनों की उक्त समिति द्वारा लघु सूची तैयार की जाएगी और राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) को इसकी सिफारिष की जाएगी। ऐसे सर्वोत्कृष्ट वरिष्ठ विद्वानों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल होने के लिएए आमंत्रित किया जाएगा जिनकी इस स्कीम से संगतता के अनुसार विषेषज्ञता के क्षेत्रों में सुविज्ञात प्रतिष्ठा हो।

### 3. खोज व आमंत्रण

तथापि, उम्मीदवारों का चयन ऐसे उम्मीदवारों तक सीमित किए जाने की आवष्यकता नहीं है जो विज्ञापन के जरिए आवेदन करते हैं। संबंधित संस्थान को स्वतः ऐसे प्रख्यात विद्वानों के नाम पर विचार करने की छूट होगी जो संस्थान और आई एल एस एस सी के सदस्यों के विचार से इस क्षेत्र से संबंधित विषय में सुविज्ञ हों तथा यह कि संस्थान को उन्हें एन एस सी को सिफारिष हेतु उक्त विद्वानों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए आमंत्रित करने की स्वतंत्रता होगी। अंतिम निर्णय एन एस सी का होगा जो संबंधित संस्थान के परामर्ष से किसी भी प्रख्यात विद्वान को अध्येता (लेकिन केवल संस्कृति मंत्रालय के अधीन किसी संस्थान के लिए) बनने के लिए आमंत्रित भी कर सकती है। संबंधित संस्थान के न्यासी बोर्ड/षासी निकाय तथा राष्ट्रीय चयन समिति (एनएससी) के बीच उत्पन्न मतांतर की स्थिति में मामले को संस्कृति मंत्रालय के स्तर पर निपटाया जाएगा।

## ट. चयन की प्रकिया

1. प्रत्येक संस्थान द्वारा संस्थान स्तरीय खोज–सह–चयन जांच समिति (आईएलएसएससी) गठित की जाएगी। संबंधित संस्थान का निदेषक आईएलएसएससी का संयोजक होगा तथा इसमें कम से कम तीन षिक्षाविद् या सांस्कृतिक विषेषज्ञ और अधिकतम दो अधिकारी होंगे। एक ही स्टेषन पर संस्थान या सम्बद्ध संस्थान में अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिष्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि आईएलएसएससी में मनोनीत दो में से कम से कम एक अधिकारी व्यवसायी/विषय विषेषज्ञ हो। स्वायत्त संस्थान के मामले में आईएलएसएससी का गठन, संस्थान द्वारा उसके शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा। तथापि, यदि शासी निकाय/न्यासी बोर्ड की कोई बैठक नहीं होती है या उनका अनुमोदन लेना संभव न हो तो, अध्यक्ष के अनुमोदन से आईएलएसएससी का गठन किया जा सकता है और इसे जब भी आगे शासी निकाय/न्यासी बोर्ड की बैठक हो उसकी अभिपुष्टि के लिए उसके समक्ष रखा जा सकता है। सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से यह आषा होगी कि वे जहां तक संभव हो आईएलएसएससी का गठन उनके सलाहकार बोर्डों/समितियों के सदस्यों में से करेंगे और इसके लिए संबंधित प्रषासनिक प्रभाग में संस्कृति मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
2. चयन, अध्ययन की प्रासंगिकता व नोडल संस्थान के लिए इसकी अपेक्षा तथा साथ ही संबंधित विद्वान की ख्याति व प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाएगा। केवल ऐसे प्रस्तावों का चयन किए जाएं जो (क) ऐसे विद्वानों की सेवाएं लेने,

जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो और राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सर्किल में जिनके कार्य की प्रामाणिक रूप से सराहना की गई हो; (ख) ऐसे संसाधनों को प्रकाषित करने जिनका सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह उपयोग न किया गया हो; से संबंधित हो और जिनसे (ग) ऐसे प्रकाषन में परिणत हों जो संबंधित संस्थान के लिए लाभप्रद हों। यह प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी।

3. प्रथम चरण में, खोज–सह–जांच प्रक्रिया के भाग के रूप में व्यापक रूप से विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार आईएलएसएससी द्वारा परियोजनाओं तथा उम्मीदवारों की लघु सूची तैयार किया जाना शामिल हो सकता है। प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के अलावा, आईएलएसएससी से आषा है कि वह सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी तथा संगत परियोजनाओं की पहचान करेगी, इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित विद्वानों की खोज करेगी, ऐसे विद्वानों से सम्पर्क करेगी तथा उन्हें अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यदि विचार किए जाने के योग्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो आईएलएसएससी को मजबूरन ऐसे प्रस्तावों की सिफारिष करने की आवष्यकता नहीं है जो वांछित स्तर के नहीं हैं या एन एस सी द्वारा विचार किए जाने के लिए अप्रासंगिक हैं। समुचित क्षेत्रों/षोध परियोजनाओं का पता लगाना तथा ऐसे उपयुक्त विद्वानों की खोज करना आईएलएसएससी के अधिदेष का भाग होगा जो उन शोध परियोजनाओं को करने के योग्य हों। आईएलएसएससी अपने सदस्यों की निजी जानकारी के आधार पर ऐसा कर सकती है और/या संबंधित संस्थान के शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के सदस्यों तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित विभिन्न विषेषज्ञ समितियों के सदस्यों सहित इस क्षेत्र में अन्य ज्ञानवान/प्रख्यात व्यक्तियों की सलाह ले सकती है। आईएलएसएससी की प्रक्रिया अपनाने का मुख्य उद्देष्य यह सुनिष्चित करना है कि परियोजनाओं तथा अध्येताओं के चयन में उच्चतम मानकों का पालन किया गया है और यह कि स्कीम की ब्राण्ड इक्विटी से कोई समझौता नहीं किया गया है। जबकि आईएलएसएससी के शैक्षिक सदस्यों को स्वयं अयोग्य नहीं माना जाएगा, यदि वे स्कीम के तहत कोई परियोजना करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, फिर भी आईएलएसएससी को यह सुनिष्चित करने का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी प्रस्तावित परियोजना की सिफारिष नहीं की गई है जो संबंधित संस्थान के शासी निकाय/न्यासी बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा किए जाने का प्रस्ताव हो, जिससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा होती है। आईएलएसएससी के सदस्य से संबंधित प्रस्ताव, यदि कोई हो, पर बैठक में तभी विचार किया जाएगा जब उम्मीदवार सदस्य उपस्थित न हो। अतः उम्मीदवार सदस्य को आईएलएसएससी की उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिसमें उसका स्वयं के नाम पर विचार किया जाना हो; और यदि उसे अध्येतावृत्ति दी जाती है तो आईएलएसएससी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तथापि, संस्कृति मंत्रालय को इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना के समाप्त होने के बाद उसे आईएलएसएससी के सदस्य के रूप में पुनः शामिल करने की छूट होगी।

4. द्वितीय चरण में, एन एस सी द्वारा प्रत्येक संस्थान के संबंध में लघु सूचीबद्ध उम्मीदवारों के आवेदनों/नामों पर विचार किया जाएगा। सचिव (संस्कृति) एन एस सी के संयोजक तथा संस्थान का निदेषक या प्रमुख उसका पदेन सदस्य होंगे। एन एस सी के अन्य सदस्य प्रतिष्ठित विद्वान या कलाकार, या ऐसे विषेषज्ञ होंगे जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाए। एन एस सी अध्येताओं के चयन व अध्येतावृत्तियों के संचालन की निगरानी करने के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। एन एस सी का पुनर्गठन किया जा सकता है और वह विभिन्न भागों में कार्य कर सकती है तथा एन एस सी का प्रत्येक भाग संस्थानों के समूह विषेष के प्रस्तावों को देखेगा। तथापि, यदि एक समूह में श्रेणीबद्ध किसी संस्थान का प्रस्ताव ज्यादातर उन परियोजनाओं के स्वरूप का है जिस पर एन एस सी के अन्य भागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी परियोजनाओं को एन एस सी के ऐसे अन्य भाग को सौंपा जा सकता है। आईएलएसएससी के मामले में एन एस सी के सदस्य ऐसे क्षेत्रों का सुझाव भी दे सकते हैं जिनका संस्थान विषेष में अध्ययन किए जाने की आवष्यकता है और ऐसे विद्वानों के नामों का प्रस्ताव कर सकते हैं जो उन क्षेत्रों में परियोजना के साथ न्याय करने के योग्य हों। प्रख्यात विद्वानों का समूह छोटा होने से शायद स्कीम के तहत एन एस सी (या आईएलएसएससी) के सदस्यों के इसके दायरे से बाहर रखना संभव न हो। तथापि, एन एस सी से संबंधित किसी भी सदस्य के प्रस्तावों, यदि कोई हो, पर तभी विचार किया जाएगा, जब उम्मीदवार सदस्य उपस्थित न हो। वास्तव में ऐसे उम्मीदवार सदस्य को एन एस सी की उस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसमें उसके अपने नाम पर विचार किया जाना हो और यदि उसे अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है तो एन एस सी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। तथापि, संस्कृति मंत्रालय को इस स्कीम के तहत उसकी परियोजना के समाप्त होने के बाद उसे एनएससी के सदस्य के रूप में पुनः शामिल करने की छूट होगी।

## ठ. स्कीम का कियान्वयन

प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रबंधित फेलोषिप की कुल संख्या, भाग लेने वाली संस्थाओं के परामर्ष से समय–समय पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा तय की जाएगी। यह, संस्था में पहले ही विद्यमान वास्तविक सुविधाओं, अध्येता की योग्यताओं को भरपूर लाभ उठाने के लिए उन्हें गाइड और प्रेरित करने की संस्थान की क्षमता, प्रकाषन तथा अनुसंधान में इसके पिछले रिकार्ड के विषेष क्षेत्र आदि में अनुसंधान/अध्ययन की आवष्यकता जैसे कतिपय मानदंडों पर आधारित होगी। कुल आबंटन की 2 प्रतिषत की राषि, स्कीम के संचालन से संबंधित खर्चों को वहन करने के लिए अलग से रखी जाए तथा इसमें आउटसोर्सिंग अथवा परामर्ष के माध्यम से अध्येता द्वारा पूरे किए गए अनुसंधान कार्य की निगरानी, कियान्वयन, निरीक्षण, पुनरीक्षा आदि शामिल है।

## ड. अध्येतावृत्ति राशि जारी करना

अध्येतावृत्ति की राषि नोडल संस्थान द्वारा प्रत्येक अध्येता को मासिक आधार पर जारी की जाए। सभी अध्येता, नोडल संस्थान को अध्येतावृत्ति की अवधि के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। अध्येता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोडल संस्थान को छमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इन्हें इन पर टिप्पणियों के साथ नोडल संस्थान द्वारा एन एस सी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि अध्येता द्वारा प्रस्तुत की गई छमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलता है कि किया गया कार्य असंतोषजनक है और यदि एन एस सी की यह राय हो कि आगे के अनुदान बन्द अथवा कम कर दिये जाएं, तो तदनुसार नोडल संस्थान को अनुदेष दिया जाएगा। वैसे अध्येता को निधि प्रवाह निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए।

## ढ. अध्येताओं को सहायता

1. नोडल संस्थान द्वारा अध्येताओं को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना शोध कार्य कर सकें। इसमें पेरिफिरल व संयोजकता युक्त कम्प्यूटर तथा संस्थान की सुविधाओं में कार्य स्थल प्रदान करना शामिल होगा, ताकि शोध करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। बैठने की उपयुक्त व्यवस्था, पुस्तकालय सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इन अध्येतावृत्तियों का एक महत्वपूर्ण लाभ अध्येताओं को अध्ययन व शोध सामग्री के लिए राष्ट्रीय संस्थानों में सुगम्यता होगी। इस स्कीम के तहत रखे गए विदेषी अध्येताओं के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनिवार्य राजनीतिक/सुरक्षा निकासी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाएगी। संबंधित संस्थाओं के प्रमुख संस्थान में कार्यरत सभी अध्येताओं के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। संस्कृति मंत्रालय में इस स्कीम के प्रभारी निदेषक/उप सचिव, स्कीम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
2. प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है ताकि अध्येता, संबंधित संस्थान या अन्य सम्बद्ध संस्थानों और संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें, जिसकी "वास्तविक आंकड़ों" के आधार पर प्रतिवर्ष अधिकतम 1.00 लाख रु. तक की प्रति पूर्ति की जाएगी/उसका भुगतान किया जाएगा बषर्ते कि पर्याप्त शैक्षिक पारस्परिकता की व्यवस्था की गई हो।

## ण. आवास

कोई अध्येता अपने वेतन, जिसमें ग्रेड वेतन अथवा दिया गया मानदेय शामिल है, किराया की रसीद प्रस्तुत करने पर 30 प्रतिषत तक आवास भत्ते का पात्र होगा।

## त. अन्यत्र व्यवस्था भत्ता

बाहर के एक अध्येता को एक लाख रूपये का एकमुष्त अनुदान अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान उसके रहने के पुराने स्टेषन से नये स्टेषन तक उसके व्यक्तिगत सामान की पैकिंग तथा परिवहन के लिए व्यवस्था भत्ता के रूप में दिए जाएंगे, यदि वह स्टेषन छोड़ता है अथवा अन्यथा, किताबों, शैक्षिक वस्तुओं को ले जाता है। स्टेषन छोड़ने के लिए भत्ते के बराबर की राषि अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर दी जाएगी। अध्येतावृत्ति की समाप्ति पर और कार्यभार ग्रहण करने पर अपने स्थान/आवासीय देष से इकॉनॉमी हवाई यात्रा किराया प्रदान किया जाएगा/उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

## थ. प्रकाशन

किसी अध्येता के लिए अपेक्षित होगा :—

(1) अध्येतावृत्ति के अन्तर्गत अपने अनुसंधान के विषय पर प्रतिवर्ष एक सार्वजनिक व्याख्यान देना।

(2) अपनी अवधि की समाप्ति पर, अध्येता को अध्येतावृत्ति के अधीन पूरे किए गए कार्य पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्राप्त की गई और प्रत्याषित आउटपुट निर्दिष्ट की जाएगी। वह एन एस सी को अपने अनुसंधान के निष्कर्ष पर एक प्रस्तुति भी देगा।

(3) नोडल संस्थान परियोजना के पूरी होने पर प्रत्येक अध्येता के अनुसंधान के कार्य को प्रकाषित करेगा। अध्येतावृत्ति दिए जाने के फलस्वरूप अनुसंधान कार्य के अधिकारों का स्वामित्व नोडल संस्थान का होगा। बशर्ते कि एन एस सी लिखित में दिये जाने वाले न्यायोचित कारणों से कोई अन्य व्यवस्था की अनुमति न दे। कॉपीराइट के मामले पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था के सहयोग से अध्येता के कार्य से हुई शैक्षिक आउटपुट को इंटरनेट/वेब प्रकाषन के माध्यम से सार्वजनिक भी बनाया जाएगा।

(4) यदि नोडल संस्थान प्रकाषन कार्य नहीं करता है या सह—प्रकाषन प्रबंध नहीं करता है और अध्येतावृत्ति के पूरा होने के बाद एक वर्ष के भीत्तर पुस्तक के वास्तविक मुद्रण के लिए सहायता प्रदान नहीं करता है तो अध्येता को उस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय के सहयोग का विधिवत् रूप से आभार प्रकट करते हुए तथा नोडल संस्थान के अधिकारों को स्वीकार करते हुए निजी प्रकाषन के माध्यम से प्रकाषित करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(5) परियोजना के सह—प्रकाषन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अध्येता ऐसे किसी निजी प्रकाषकों की व्यवस्था भी कर सकता है जो नोडल संस्थान के साथ कार्य को सह—प्रकाषित करने पर सहमत हो और इसे परियोजना के पूरा होने के एक वर्ष के भीत्तर उसे ऐसे प्रकाषन के लिए स्वीकार करे। प्रकाषन में प्रतिष्ठित नामों के साथ सहयोगों का स्वागत किया जाएगा।

(6) परियोजना की भाषा, परियोजना के स्वरूप तथा/या अध्येता के भाषा कौषल द्वारा निर्धारित किए जाने की अनुमति होगी। जहां कोई परियोजना अंग्रेजी भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा में की जाती है तो नोडल संस्थान, अनुवाद तथा अनूदित कृति के प्रकाषन की व्यवस्था भी करेगा।

## द. टैगोर शोध अध्येताओं के रूप में अध्येताओं की नम्य नियुक्ति

**1. यदि आईएलएसएससी या एन एस सी का यह मत हो कि :**

(1.1) अध्येता इतनी प्रतिष्ठा का व्यक्ति नहीं है कि उसे टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान की जाए, परन्तु उसका स्तर उत्कृष्ट है और वह ऐसे कतिपय विषय पर काम करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त है जिसे संबंधित संस्थान सर्वाधिक उपयोगी समझे, चाहे वह मूल शोध हो, संस्थान में उपलब्ध संसाधनों की पहचान और उनका सूची पंजीकरण या ऐसे नए संसाधनों के अभिलेख तैयार करने या उनके सृजन से संबंधित हो, जो संस्थान के पास होने चाहिए; या

(1.2) परियोजना दो वर्ष से कम अवधि की हैं, तो वे अध्येता को, परियोजना के लिए यथा पर्याप्त अवधि के लिए 50,000/— रु. (कुल) तक के कम मानदेय पर अध्येता की सेवा लेने का प्रस्ताव रख सकते हैं। तथापि, यदि ऐसा अध्येता भारत में किसी विष्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान या सरकारी तन्त्र से है तो वह ग्रेड वेतन आदि सहित उसी वेतन का हकदार होगा जो उसे अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए मिलता। नियोक्ता के भविष्य निधि में मूल या अनिवार्य अंषदान आदि का भी नोडल संस्थान द्वारा उतना भुगतान भी किया जाएगा जो नियोक्ता द्वारा अध्येता के अपने मूल संगठन में कार्य करते हुए अदा किया जाता। ऐसे सभी अध्येताओं को वास्तविक आंकड़ों के आधार पर अधिकतम 10,000/— रु. प्रतिमाह तक आकस्मिक अनुदान तथा इस स्कीम में प्रावधानषुदा अन्य भत्तों/लाभों का उस सीमा तक परियोजना के स्वरूप व अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा जो प्रत्येक मामले में आईएलएसएससी/एन एस सी द्वारा, (टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं के मामले में लागू सीमाओं के भीत्तर) विषेष रूप से निर्धारित किया जाए।

2. इन अध्येताओं तथा टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं में अन्तर रखने के लिए उन्हें टैगोर शोध अध्येता कहा जाएगा, परन्तु उनके यथा लागू वही सभी दायित्व होंगे जो स्कीम के तहत टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं को सौंपे गए हैं।

3. टैगोर राष्ट्रीय अध्येताओं की भांति, टैगोर शोध षिक्षावृत्तियों के मामलों (तथा उनकी नियुक्ति की शर्तें) की सिफारिष अधिमानतः आईएलएसएससी (अभूतपूर्व मामलों में एन एस सी पैरा 10.3 के अनुसार चुन सकती है और संबंधित संस्थान की सहमति का सुझाव दे सकती है) द्वारा की जा सकती है और अन्ततः इसका निर्णय एन एस सी द्वारा किया जा सकता है जबकि छह माह से अधिक की अवधि की परियोजनाओं वाले टैगोर शोध अध्येताओं के मामले में छमाही/अंतिम रिपोर्टों की समीक्षा एन एस सी द्वारा की जाएगी, 6 माह या इससे कम अवधि की परियोजनाओं के मामले में ऐसी रिपोर्टों की समीक्षा अपने स्तर पर आईएलएसएससी द्वारा की जा सकती है।

4. ऐसे उम्मीदवारों के अलावा जो टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करते हैं परन्तु उन्हें टैगोर शोध षिक्षावृत्ति की पेषकष की जाती है तो अन्य उम्मीदवारों को उसी पद्धति से सीधे टैगोर शोध षिक्षावृत्ति का आवेदन करने की छूट होगी, जैसाकि टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के पैरा 10.1 में निर्धारित किया गया है।

5. ऐसे टैगोर शोध अध्येताओं की कुल संख्या, जिन्हें एक वर्ष में चुना जाना है तथा उन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्कीम बजट से भुगतान किया जाना है, किसी भी वर्ष में 25 से अधिक नहीं होगी।

## ठ. पुनः आवेदन करना

एक बार टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने पर उम्मीदवार, उसी या इस स्कीम के तहत शामिल अन्य किसी संस्थान में इस स्कीम के तहत अध्येतावृत्ति/षिक्षावृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकता, परन्तु यह प्रतिबंध टैगोर शोध अध्येताओं पर लागू नहीं होगा।

## सम्पर्क ब्यौरे :

(1) अनुभाग अधिकारी, शिक्षावृत्ति एवं अध्येतावृत्ति अनुभाग, संस्कृति मंत्रालय, द्वितीय तल, पुरातत्व भवन, डी–विंग, जीपीओ कॉम्प्लैक्स, आईएनए, नई दिल्ली

(2) निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली (फोन : 011–23015333, 23017599)

*****

10

# संग्रहालय पेशेवरों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम

संस्कृति मंत्रालय के तहत यह एक नई केन्द्रीय स्कीम है जिसे संग्रहालयों में विभिन्न स्तरों अर्थात पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के संग्रहालयों में प्रशिक्षित पेशेवरों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए विकसित किया गया है।

## क. पृष्ठभूमि

संस्कृति मंत्रालय के 14 सूत्री संग्रहालय सुधार एजेंडा के एक भाग के रूप में संग्रहालय कार्मिकों के व्यावसायिक विकास को जरूरी महत्व दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संग्रहालयों में मानव संसाधनों को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करने, उनके कौशल को उन्नत करने और उनकी नेतृत्व प्रबंधन गुणवत्ताओं को उन्नत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौजूदा समय में भारत के पास संग्रहालय पेशेवरों के लिए बहुत कम सेवाकालीन कौशल विकास और प्रशिक्षण सुअवसर हैं। सेवाकालीन कार्यक्रमों में ऐसे क्षमता निर्माण से दर्शकों के लिए हमारे संग्रहालय अधिक आनन्ददायी, शिक्षापरक और लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में, समाज के सभी वर्गों की पहुंच और हमारे अमूल्य कला संग्रहों का अद्यतन प्रणाली तथा सर्वोत्तम पद्धति से प्रबंधन और परिरक्षण करने में सहायता मिलेगी। स्कीम से संग्रहालय प्रबंधन डिजाइन, शिक्षा, विपणन जैसे संग्रहालय कार्यों जिनका अधिकांश भारतीय संग्रहालयों में अभाव पाया जाता है, के विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता और विशेषज्ञता सृजित करने की कल्पना भी की जा रही है।

यह समझा जाता है कि वर्तमान में, ऐसे सेवाकालीन प्रशिक्षण की जरूरतों को प्रतिष्ठित, अनुभवी और प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय संग्रहालयों और संस्थानों के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। यहां इस बात पर भी बल दिया जाता है कि देश में पूरे संग्रहालय क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए स्कीम को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर सभी प्रकार के संग्रहालयों सरकारी संग्रहालयों के साथ–साथ आम लोगों के लिए खोले गये गैर–लाभार्थी संग्रहालय संस्थानों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

यह आशा की जाती है कि स्कीम संग्रहालय क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में संग्रहालय क्षेत्र के पूर्ण विकास को सक्षम बनायेगी।

## ख. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का कार्य क्षेत्र

इस स्कीम का कार्य क्षेत्र उन संस्थानों की सहायता करना होगा जो निम्नलिखित क्षेत्रों जैसे 14 सूत्री संग्रहालय सुधार कार्य सूची, 2009 में चिन्हित और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध संस्थानों और संग्रहालयों के सहयोग से अपनी निपुणता / कौशल को उन्नत बनाने के लिए गहन क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने पेशेवरों को लगाना चाहते हैं :

1. संग्रहालय प्रबंधन : प्रलेखीकरण, निवारक देखभाल और भण्डारण
2. संग्रहालय /प्रदर्शनी डिजाइनः प्रदर्शन, लाइटिंग, व्याख्या और पहुंच
3. संग्रहालय प्रबंधन, विपणन और नेतृत्व प्रशिक्षण
4. संग्रहालय शिक्षा एवं आउटरीच
5. संग्रहालय संग्रहों के बेहतर संरक्षण के लिए संग्रहालय संग्रह/वैज्ञानिक अध्ययन का परिरक्षण और संरक्षण

## ग. स्कीम के ब्यौरे

इस स्कीम के तहत संग्रहालयों (राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर के सरकारी संग्रहालयों और अन्य गैर–लाभार्थी निकायों) को सीधे अथवा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृति निधि या अन्य संस्थान जिसे संग्रहालय क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिदेश हो, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से नामित नोडल संस्थानों के माध्यम से वित्तीय अनुदान के रूप में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निधि उपलब्ध कराई जाएगी।

1. सेवाकालीन संग्रहालय पेशेवरों को प्रख्यात अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अच्छे से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों / इंटर्नशिप / अध्येतावृत्तिओं / कार्यशालाओं में उनकी भागीदारी के लिए सहायता।
2. इस स्कीम के तहत अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों या सेमिनारों में भागीदारी के लिए सहायता नहीं प्रदान की जाएगी।

इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता (प्रतिवर्ष 1 करोड़ रू. की अधिकतम सीमा तक) संग्रहालय पेशेवरों के देश में प्रशिक्षण और विकास हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थानों तथा सांस्कृतिक प्रशिक्षण और संसाधन केन्द्र (सीसीआरटी) जैसे संस्कृति मंत्रालय के संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी।

## घ. पात्रता

केन्द्र और राज्य सरकारों के तहत सभी संग्रहालय भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 या सदृष कानून के तहत सोसाइटियों, स्वैच्छिक संस्थानों अथवा न्यास के रूप में पंजीकृत संग्रहालय या ऐसे ही संस्थान इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

आवेदक संस्थान को निम्नलिखित षर्तें पूरी करनी चाहिए :

1. आवेदक संस्थान आवेदन करने से पहले पंजीकरण के पष्चात से कम से कम 5 (पांच) वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना चाहिए। तथापि, असाधारण और योग्य मामलों में सचिव (संस्कृति) के निर्णय से इस शर्त में छूट दी जा सकती है, और कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करना चाहिए।
2. इसके पास इसके कार्यकरण के लिए सुपरिभाषित संघटन और नियमावली / उपनियम होने चाहिए।
3. इसके पास संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु ऐतिहासिक / सांस्कृतिक / वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं के वास्तविक संग्रह (कम से कम 500 वस्तुओं) का स्वामित्व और कब्जा होना चाहिए जो हर समय जनप्रदर्शन के लिए हो। संग्रहालय द्वारा कब्जे वाली और प्रदर्शित वस्तुओं की प्रकृति और संख्या को इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते वक्त प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया होना चाहिए।
4. संग्रहालय जन सेवा के लिए और गैर–लाभार्थी होना चाहिए।
5. आवेदक संस्थानों को योजना के आलोक में प्रशिक्षण के लिए अपनी उपयुक्तता को दर्शाते हुए आवेदन के साथ प्रावरण पत्र, अग्रेषण भेजना चाहिए कि संग्रहालय ने अपने संग्रहालयों में उन्नयन के लिए विकास कर लिया है।

### ड. आवेदक संस्थानों द्वारा नामित उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :–

1. उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. उम्मीदवार की प्रारंभिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।
3. संस्थान द्वारा प्रशिक्षण पर भेजने के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार / उम्मीदवारों को संग्रहालय में / के लिए कम से कम पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और इसके साक्ष्य स्वरूप संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए यदि उसने आवेदक संस्थान के साथ पांच वर्ष तक कार्य नहीं किया है।
4. वे व्यक्ति जिन्होंने संग्रहालय / संस्थान के साथ कार्य नहीं किया है और केवल स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस अनुदान के माध्यम से कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

5. उपरोक्त (क) पात्रता श्रेणी के अनुसार न्यास /सोसाइटी के रूप में पंजीकृत गैर–सरकारी संग्रहालयों के उम्मीदवारों के मामलों में संग्रहालय को निम्नलिखित ढंग से इस स्कीम के तहत मंत्रालय से प्राप्त सहायता को सूचित करना चाहिए :–

5.1 संग्रहालय के प्रवेश पर मुख्य स्थान पर संस्कृति मंत्रालय का लोगो और नाम प्रदर्शित होना चाहिए और इसे अनुदान जारी होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक सहायता को ज्ञापित करते हुए उस स्थान पर होना चाहिए।

5.2 संग्रहालय / उम्मीदवार द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण की अंतिम रिपोर्ट में मंत्रालय की सहायता ज्ञापित होनी चाहिए।

5.3 अंतरराष्ट्रीय संस्थान / संग्रहालय जिन्हें सहयोग दिया जा रहा है उम्मीदवार की मदद करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के योगदान को ज्ञापित करते हुए एक पत्र उपलब्ध कराना चाहिए।

## च. वित्तीय अनुदान की शर्तें

1. केन्द्रीय / राज्य सरकार संग्रहालयों के मामले में संग्रहालय को इस स्कीम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत का 80 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 30 लाख रू. की सीमा तक होगी। भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 अथवा सदृश कानून के तहत सोसाइटी, स्वैच्छिक संस्थान अथवा न्यास के रूप में पंजीकृत संग्रहालयों के संबंध में वित्तीय सहायता प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत का 70 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 20 लाख रू. प्रति संग्रहालय होगी। शेष लागत का प्रबंध सम्बंधित संग्रहालय द्वारा स्वयं किया जाएगा।

2. संग्रहालय पेशेवरों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से वित्तीय अनुदान संग्रहालय को तीन साल में एक बार दिया जाएगा।

3. अनुदान में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे :–

3.1 मेज़वान संस्थान का प्रशिक्षण शुल्क

3.2 प्रशिक्षण के उद्देश्य से विदेश और घरेलू यात्रा

3.3 प्रशिक्षण के दौरान निर्वाह लागत (भोजन एवं आवास) के लिए

3.4 ऐसे प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पुस्तकें अथवा अन्य बौद्धिक सामग्री की खरीद

3.5 स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए लागत

3.6 विदेश यात्रा के लिए यात्रा बीमा (जहां विदेश द्वारा आवश्यक हो)

3.7 वीजा शुल्क और ऐसी ही अनुमति के लिए लागत

4. आवेदक संस्थान अपने उम्मीदवार/उम्मीदवारों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फार्म 1 में निर्धारित प्रारूप में नामित कर सकते हैं।

5. प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संस्थान / संग्रहालय जिनके साथ प्रशिक्षण में भागीदारी प्रस्तावित है, संग्रहालय उम्मीदवार की मेजवानी के लिए लिखित में सहमत होना चाहिए अथवा इस अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले भागीदारों की मेजवानी की इच्छा को व्यक्त करने वाला आमंत्रण पत्र उपलब्ध कराना चाहिए।

6. अनुदान की स्वीकृति और जारी करना विदेशी संस्थान / संग्रहालय से प्राप्त प्रवेश की पुष्टि करने वाला मूल पत्र और ऐसे प्रशिक्षण के लिए यदि आवश्यक हो, विदेश यात्रा की वचनबद्धता के लिए (आवेदन करने के छः माह की अवधि के भीतर समाप्त न हो रहे) वैध पासपोर्ट को जमा करने के अध्यधीन होगा।

7. इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच संस्कृति मंत्रालय में होगी और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् अनुदान की स्वीकृति दी जाएगी।

## छ. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

1. इस स्कीम के तहत वित्तीय अनुदान संस्कृति मंत्रालय द्वारा दो किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त मंत्रालय के भाग के रूप में 75 प्रतिशत होगी। यह राशि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृत और जारी की जाएगी।

2. मंत्रालय के हिस्से की बकाया 25 प्रतिशत राशि की दूसरी किस्त तब जारी की जाएगी; जब–

   i. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रथम किस्त के तहत दिए गए अनुदान के 100 प्रतिशत के साथ अपना निजी अंशदान (केन्द्रीय/ राज्य सरकार संग्रहालयों के मामले में 20 प्रतिशत और अन्य संग्रहालयों के मामले में 30 प्रतिशत) अनुदान प्राप्तकर्ता ने उपयोग कर लिया हो। दूसरी किस्त केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की पिछली किस्त के साथ संग्रहालय के मैचिंग शेयर के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र और किसी संस्था या सनदी लेखाकार द्वारा लेखा–परीक्षा के विवरण की प्राप्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी ; और

   ii. उम्मीदवार ने अपने प्रशिक्षण से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो।

3. संस्कृति मंत्रालय अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों में ऐसी प्रशिक्षण पहलों की सफलता के मूल्यांकन और प्रभाव की एक वर्ष के बाद समीक्षा शुरू कर सकता है और संस्थान मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ऐसी समीक्षा के लिए सहयोग करेगा।

## ज. प्रशिक्षण की अवधि

किसी भी क्षमता निर्माण अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कम से कम दो सप्ताह से लेकर अधिक से अधिक दो वर्ष हो सकती है।

## झ. स्कीम की निगरानी

इस स्कीम के तहत संस्थानों को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सहायता अनुदान की एक तीन सदस्यीय समिति जिसमें संयुक्त सचिव (संग्रहालय) अध्यक्ष के रूप में और निदेशक/उप–सचिव (संग्रहालय) और निदेशक /उप–सचिव (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल होंगे, निगरानी करेगी।

## ञ. स्कीम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

स्कीम पूरे वर्ष खुली रहेगी और प्रस्ताव जमा करने की कोई निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी। संस्कृति मंत्रालय में स्कीम के तहत आवेदनों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परिष्करण और मूल्यांकन किया जाएगा। निर्धारित आवेदन प्रारूप के अलावा इसमें उल्लिखित अनुलग्नक के साथ फार्म–1 में आवेदक, भाग लेने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत आकलन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्ताव को जमा करेगा।

*****

# 11

# संग्रहालय अनुदान स्कीम

## क. पृष्ठभूमि

संग्रहालय राष्ट्र की संस्कृति के संग्रह होते हैं जिनमें लंबी अवधि के दौरान किसी देश की संस्कृति और विरासत के विकास के साक्ष्यों के सुस्पष्ट उदाहरण मौजूद होते हैं। अतः, देश के संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण संस्कृति मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में शामिल एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। 12वीं योजना से पूर्व, यह मंत्रालय संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2 स्कीमों को चला रहा था, नामतः

1. क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता स्कीम ; और
2. महानगरों में संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम।

इन स्कीमों ने XIवीं योजना अवधि में बड़ी संख्या में संग्रहालयों को वित्तपोषण प्रदान करने का कार्य किया, तथापि ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि मंत्रालय को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के आधार पर बड़े स्तर के संग्रहालयों के वित्तपोषण हेतु एक कार्यतंत्र भी विकसित करना चाहिए। यह देखा गया कि अभी तक केवल सरकार द्वारा एकल रूप से किए जाने वाले संग्रहालय विकास कार्य में निजी/ कॉरपोरेट क्षेत्र की भागीदारी की काफी गुंजाइश है। यह पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तरों के समतुल्य बड़े स्तर के संग्रहालयों के विकास हेतु वित्तपोषण की बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है जिसे सरकार इन 2 मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत प्रदान करने में असमर्थ थी। अतः, निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वृहतर वित्तपोषण की संभावनाओं सहित एक नई स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ–साथ, इस क्षेत्र में स्कीमों के आधिक्य से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न आकार के संग्रहालयों के वित्तपोषण हेतु विभिन्न घटकों के साथ एक एकल (अंब्रेला) स्कीम के अंतर्गत इन 3 स्कीमों को विलयित कर दिया जाए।

## ख. उद्देश्य

राज्य सरकारों और सोसाइटियों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों तथा सोसाइटी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा नए संग्रहालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायत प्रदान करना और क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करना तथा साथ ही देश में संग्रहालय आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए संग्रहालय व्यावसायिकों की क्षमताओं का विकास करना इस स्कीम का उद्देश्य है। इसके अलावा, XIIवीं योजना अवधि में राज्य की राजधानियों में संग्रहालयों के विकास संबंधी स्कीम के घटक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य की राजधानी में स्थित कम से कम एक केन्द्रीय /राज्य सरकार संग्रहालय शुरू और विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।

## ग. कार्य क्षेत्र

नए संग्रहालयों की स्थापना तथा संगत कानूनों के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत राज्य सरकारों, संगठनों, संस्थानों, ट्रस्टों, स्थानीय निकायों, अकादमिक संस्थानों आदि द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित संग्रह रखने वाले संग्रहालय शामिल होंगे :

1 पुरावस्तु

2 मुद्राशास्त्र

3 चित्रकला

4 नृजातीय संग्रह

5 लोक कला

6 कला एवं शिल्प, वस्त्र, मुहर आदि सहित अन्य वस्तुएं

7 उपरोक्त विधाओं में से किसी एक अथवा समस्त को प्रदर्शित करते हुए ऑन लाइन आभासी संग्रहालय।

नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस स्कीम के 3 घटक होंगे :–

1 जिला और क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना और विकास

2 राज्य की राजधानियों में संग्रहालयों का विकास

3 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में बड़े स्तर के संग्रहालयों की स्थापना और विकास

पात्रता मानदंड, स्वीकार्य अनुदान की मात्रा और प्रत्येक घटक के अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार है :

## (क) जिला और क्षेत्रीय संग्रहालय की स्थापना और विकास

### i पात्रता

सभी राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों, भारतीय सोसाइटी अधिनियम 1860 (XXI) अथवा राज्य सरकारों के सदृश कानूनों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत सोसाइटियां अनुदान हेतु विचार किए जाने की पात्र हैं। आवेदक संस्थान द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए :

### ii शर्तें

(क) आवेदक संस्थान को आवेदन करने से पहले कम से कम तीन वर्ष पूर्व अस्तित्व में होना चाहिए। तथापि, विशेषज्ञ समिति अपने विवेक के आधार पर असाधारण मामलें में इसमें छूट दे सकती है, इसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए ;

(ख) इसके कार्यकरण के लिए इसका एक सुपरिभाषित संघटन और निर्धारित नियमावली / उप नियम होने चाहिए ;

(ग) इसके पास संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु ऐतिहासिक और / अथवा सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक महत्वपूर्ण संग्रह का स्वामित्व और कब्जा होना चाहिए और वस्तुओं की संख्या को परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए;

(घ) इसे संग्रहालय के रख–रखाव करने और आवर्ती लागतों को वहन करने में सक्षम होना चाहिएं ;

(ड) इसके पास उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं, संसाधन और कार्मिक होने चाहिएं जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है ;

(च) इसे राज्य सरकार से (संस्कृति विभाग अथवा समकक्ष) इसके संतोषजनक कार्य–निष्पादन के संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(छ) इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।

(ज) इसे उस भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां यह संग्रहालय अवस्थित है अथवा निर्मित किया जाना प्रस्तावित है और यहां तक आगन्तुकों का पहुंचना सुगम होना चाहिए।

(झ) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं आकलित लागत को लोक निर्माण विभाग (अथवा समकक्ष संगठन) द्वारा सत्यापित और प्रमाणित होना चाहिए।

### iii अन्य शर्तें :–

1. आवेदक संगठन को नीचे दिए गए घटकों को शामिल करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करना चाहिए :

(क) निदानात्मक अध्ययन समेत संग्रहालय की दशा के संबंध में रिपोर्ट।

(ख) संग्रहालय का आधुनिकीकरण और विकास किस प्रकार किया जाएगा इसका उल्लेख करते हुए एक कार्यनीति पत्र जिसमें संग्रहालय के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के नियोजित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने की योजना भी शामिल होगी।

(ग) संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित कदम की विस्तृत लागत, क्रम और समय सीमा को शामिल करते हुए एक कार्य योजना ;

2. परियोजना प्रस्ताव में नवीकरण/ मरम्मत, वीथियों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरण, प्रकाशन, संरक्षण, प्रयोगशाला / संरक्षण परियोजना, संग्रहालय, पुस्तकालय, उपकरण और प्रलेखीकरण आदि के विभिन्न पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सदृश संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा इसको भी परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और इसमें विशिष्ट समय–सीमा को भी दर्शाया जाना चाहिए।

**ii संग्रहालयों की श्रेणियां**

घटक स्कीम के अंतर्गत सहायता के उद्देश्य हेतु संग्रहालयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :–

(क) श्रेणी I : सरकारी स्वामित्व वाले राज्य स्तरीय संग्रहालय तथा उत्कृष्ट संग्रहों सहित प्रतिष्ठित संग्रहालय ;

(ख) श्रेणी II : सभी अन्य संग्रहालय

## iii वित्तीय सहायता की धनराशि

| क्र.सं. | उद्देश्य | श्रेणी | वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नए संग्रहालयों की स्थापना | श्रेणी – I | 10 |
| 2 | नए संग्रहालयों की स्थापना | श्रेणी – II | 5 |
| 3 | मौजूदा संग्रहालयों का विकास | श्रेणी – I | 8 |
| 4 | मौजूदा संग्रहालयों का विकास | श्रेणी – II | 4 |

## वित्तीय अनुदान की शर्तें

(क) यह अनुदान केवल एक बार दिया जाएगा। आगे की किसी आवश्यकता को आवेदक संस्थान द्वारा पूरा किया जाएगा।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत जिस संस्थान को अनुदान दिया गया है वह संस्थान पिछले अनुदान की अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 10 वर्ष गुजरने से पहले पश्चातवर्ती अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा।

(ग) भारत सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के वित्तपोषण तक सीमित होगी और यह संग्रहालय चलाने के लिए नहीं होगी।

(घ) किराया, वेतन, विद्युत बिल आदि जैसे आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ङ) सिविल कार्यों के लिए अनुमोदित अनुदान के 60 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(च) संग्रहालयों के लिए भूमि और कलाकृतियों को खरीदने के लिए अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(छ) स्वीकार्य घटक के लिए केन्द्र सरकार कुल परियोजना लागत का 80 प्रतिशत तक प्रदान करेगी। आवेदक को परियोजना लागत के कम से कम 20 प्रतिशत का वहन करना होगा।

(ज) सिक्किम सहित उत्तर–पूर्व क्षेत्र में संग्रहालयों के मामलों में, स्वीकार्य घटक के लिए केन्द्र सरकार कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक प्रदान करेगी और आवेदक को परियोजना लागत के कम से कम 10 प्रतिशत का वहन करना होगा।

(झ) जहां कहीं भी कार्य को सरकारी एजेंसियों के अलावा किन्हीं अन्य एजेंसियों को सौंपा गया है वहां मुक्त निविदा/कोटेशन आमंत्रित करके पारदर्शी प्रतिस्पर्धी पद्धति के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी को चुना जाना चाहिए। इस विषय में इस मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

## iv. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

क. सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 2 : 1 : 1 के अनुपात में 3 किस्तों में जारी किया जाएगा। पहली किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

ख. दूसरी किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किश्त की 80 प्रतिशत राशि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता की धनराशि से आनुपातिक सदृश अंश का उपयोग कर चुका हो।

ग. तीसरी एवं अंतिम किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का शेष 25 प्रतिशत है, केवल तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी पहली और दूसरी किस्तों तथा सदृश अंशदान का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।

घ. पूर्व किस्त और संगठन के आनुपातिक सदृश अंश के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र और चार्टर्ड अकाउंटेट फर्म द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण की प्राप्ति के पश्चात् दूसरी और तीसरी किस्तें, जारी की जाएगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाए कि पहले जारी की गई किस्तों तथा संस्थान की सदृश अंशदान राशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए कर लिया गया है जिसके लिए उक्त अनुदान संस्वीकृत किया गया था। दूसरी और तीसरी किस्तों का जारी किया जाना सरकार द्वारा अपेक्षित / मांगे गए अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा।

### V. स्वीकार्य घटक

इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए अनुदान से निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए जाने की पात्रता रखते हैं :

1. वीथियों का नवीकरण / मरम्मत, विस्तार और आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरणः

(क) सरकारी संग्रहालयों के लिए इस उद्देश्य हेतु योजना और लागत अनुमान पीडब्ल्यूडी से प्राप्त होना चाहिए और अन्य संग्रहालयों के मामले में यह पीडब्ल्यूडी/ पंजीकृत आर्किटेक्ट से प्राप्त होना चाहिए।

(ख) सरकारी संग्रहालयों के लिए पीडब्ल्यूडी तथा अन्य संग्रहालयों के मामले में पीडब्ल्यूडी / पंजीकृत आर्किटेक्ट से एक समापन–सह–मूल्यांकन प्रमाण–पत्र कार्य समापन से तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**2. प्रकाशन**

(क) सूचीपत्र

(ख) संग्रहालय संदर्शिका

(ग) गैलरी –शीट्स

(घ) फोटो–इंडेक्स काड्र्स

(ड) चित्र पोस्ट कार्ड

(च) संग्रहालय वस्तुओं के चित्र सहित पत्रक

(छ) मोनोग्राफ्स

(ज) संक्षिप्त सूची आदि

अंतिम किस्त के जारी होने से पहले प्रकाशित दस्तावेज की दस प्रतियां केन्द्र सरकार को भेजी जानी चाहिए। इस प्रकार प्रकाशित दस्तावेज के मुख्य पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियां शामिल की जानी चाहिए ''संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रकाशित''।

## 3. संरक्षण प्रयोगशालाएं / संरक्षण परियोजनाएं

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता संरक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विस्तार और स्तरोन्नयन तथा विहित प्रोफार्मा में वस्तुओं के संरक्षण के लिए होगी। यह अनुदान इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्रयोगशाला के पास उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। जहां प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं है, वहां इस कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा संरक्षण कार्य निम्न में से किसी एक के माध्यम से किया जाएगा :–

(क) राष्ट्रीय कला, संरक्षण एवं संग्रहालय–विज्ञान संग्रहालय संस्थान, जनपथ, नई दिल्ली।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास।

(ग) राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण शोध प्रयोगशाला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(घ) एगमोर संग्रहालय, चेन्नई।

(ड) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता।

अंतिम किस्त जारी करने से पहले, संगठन द्वारा संरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

## 4. संग्रहालय पुस्तकालय का विकास

मौजूदा संग्रहालय पुस्तकालयों के स्तरोन्नयन तथा संग्रह को बढ़ाने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

## 5. उपकरणों की खरीद

निम्नलिखित उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :

**I. उपकरण (सामान्य)**

(क) पोडियम और पैनल जैसे प्रदर्शक सामान

(ख) संग्रहालय वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु विशेष लाइटिंग

(ग) प्रलेखीकरण के लिए कंप्यूटर

(घ) कैमरे, स्लाइड प्रोजेक्टर और स्क्रीन

(ड) सी.सी.टी.वी.

**II. सुरक्षा प्रणाली के लिए उपकरण (केवल श्रेणी–I संग्रहालयों के लिए)**

डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हस्त चालित मेटल डिटेक्टर, वाहन निरीक्षण शीशे, रेडियो सेट, हैंड बैगेज एक्सरे मशीन, सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग प्रणालियां, दरवाजों के लिए चुम्बकीय चिटकनी, ग्लास ब्रेक डिटेक्टर्स, चुम्बकीय स्विच, वाइब्रेशन डिटेक्टर्स, अलार्म सिस्टम, विडियो मोशन डिटेक्टर्स, पैसिव इंफ्रारेड उपकरण, इंफ्रारेड बीम बैरियर आदि।

III. कोई अन्य उपकरण जिसे विशेषज्ञ समिति द्वारा आवश्यक माना जाए।

संगठन द्वारा अनुदान राशि से खरीदे गए उपकरण की सूची प्रस्तुत की जाएगी।

## 6. प्रलेखीकरण

सभी संग्रहालयों को फोटो–प्रलेखीकरण और अंकीकरण जैसी प्रमाणित और उभरती प्रौद्योगिकियों का इष्टतम उपयोग करके अपने संग्रहों का सम्पूर्ण और गहन प्रलेखीकरण रखने का प्रयास करना चाहिए। संस्थानों को पुस्तिकाओं, ब्रोशरों आदि को प्रकाशित करने या कोई अन्य प्रलेखीकरण के लागत अनुमान के ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए। प्रलेखीकरण के ब्यौरे संगठन द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे।

## 7. परियोजना अवधि

परियोजना को प्रथम किस्त जारी होने के समय से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। परियोजना के सम्पन्न होने में यदि कोई विलंब होता है तो विलंब के लिए पूर्ण औचित्य का वर्णन करते हुए मंत्रालय से समय विस्तार की अनुमति मांगी जा सकती है इसमें चूक होने पर बाद वाली किश्त जारी नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय समेकित वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सहित अपने अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से किए जा रहे कार्य का वास्तविक निरीक्षण करने के लिए संग्रहालय का दौरा करने हेतु तैनात कर सकता है।

## 8. स्कीम के तहत आवेदन करने और प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने की प्रक्रिया

यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म 'क' में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले–आओ पहले–पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा। राज्य संग्रहालयों के अलावा अन्य संग्रहालयों के मामले में, स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के आवेदन मंत्रालय को अंतिम रूप से संस्तुत करने से पहले इसे जिला उपायुक्त / कलेक्टर (जिस जिले में संग्रहालय अवस्थित हो) द्वारा संबंधित राज्य सरकार को प्रायोजित किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को आवेदक के कार्यकलाप तथा जहां यह संग्रहालय स्थापित किया गया है उस जगह की स्थिति के बारे में अपनी टिप्पणी करनी चाहिए।

निर्धारित आवेदन प्रपत्रों (प्रपत्र–क) एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट http://indiaculture.nic.in पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की धनराशि संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने के लिए प्रस्तावित कलाकृतियों की संख्या और मूल्य के अनुपात में है।

इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। प्राधिकारी द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके, समय दर समय, किश्तों में, निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। यह विशेषज्ञ समिति, स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संग्रहालयों का निरीक्षण भी करेगी ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

**नोट :** निधियों के दुरूपयोग अथवा समय–सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा। चूककर्ता संगठनों को काली–सूची में डाल दिया जाएगा और भारत सरकार से भविष्य में अनुदान प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा तथा कानून के अधीन अभियोग चलाया जाएगा।

# (ख) राज्यों की राजधानियों में संग्रहालयों का विकास

### i. उद्देश्य

प्रत्येक राज्य की राजधानी में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के कम से कम एक संग्रहालय का विकास और आधुनिकीकरण करना संग्रहालय अनुदान स्कीम के इस घटक का उद्देश्य है। इसका एक अन्य उद्देश्य इन

संग्रहालयों में व्यावसायिकों की प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है (और इस घटक में से प्रतिवर्ष अधिकतम 1 करोड़ रू. का वित्त–पोषण इनके प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है)।

## ii. पात्रता

संग्रहालय अनुदान स्कीम के इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु राजधानी शहरों में केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के मौजूदा प्रतिष्ठित संग्रहालय पात्र हैं।

**शर्तें** :–

(क) इस संग्रहालय को राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी में अवस्थित होना चाहिए।

(ख) इसे एक प्रतिष्ठित संग्रहालय होना चाहिए जिसमें वस्तुओं /कलाकृतियों का महत्वपूर्ण संग्रह हो।

(ग) विगत दो वर्षों में इसमें वार्षिक रूप से प्रतिवर्ष 1 लाख आगन्तुक आए हों।

## iii वित्तीय अनुदान की राशि

वित्तीय अनुदान की राशि प्रति संग्रहालय पंद्रह करोड़ रूपयों तक सीमित होगी तथा इस घटक से निधियां उपलब्ध करवाते हुए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संग्रहालय को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। आवेदक संग्रहालय द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होगी जिसे तैयार करके प्रस्ताव के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा और जिसमें उक्त निधियों की सहायता से आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के सभी पक्षों के विवरणों को दर्शाया जाएगा। डी.पी. आर तैयार करने की लागत संग्रहालय को संवितरित अनुदान की राशि में समायोजित की जाएगी।

**शर्तें** :

(क) यह अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जाएगी।

(ख) भारत सरकार की वित्तीय देयता अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास को वित्तपोषित करने तक ही सीमित होगी एवं संग्रहालय चलाने के लिए नहीं होगी।

(ग) यह अनुदान किराया, वेतनों, बिजली के बिलों आदि जैसे आवर्ती व्ययों को कवर करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) संस्वीकृत अनुदान की केवल 60 प्रतिशत राशि ही सिविल कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(ङ) इस अनुदान का उपयोग संग्रहालय के लिए भूमि अथवा कलाकृतियों के प्रापण में नहीं किया जाएगा।

(च) जिस संस्थान को इस स्कीम के तहत अनुदान दिया गया हो वह पूर्व अनुदान की अंतिम किश्त के भुगतान से 10 वर्ष समाप्त होने से पहले अनुदान का पात्र नहीं होगा।

## iv. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

i सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 2 : 1 : 1 के अनुपात में 3 किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

ii दूसरी किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किश्त की 80 प्रतिशत राशि का उपयोग कर चुका हो।

iii तीसरी एवं अंतिम किश्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का शेष 25 प्रतिशत है, केवल तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा जारी पहली और दूसरी किश्तों का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।

iv दूसरी और तीसरी किश्तें, पूर्व किस्त के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के पश्चात् जारी की जाएगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाए कि पहले जारी की गई किस्तों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया हो जिसके लिए उक्त अनुदान संस्वीकृत किया गया था। दूसरी और तीसरी किश्तों का जारी किया जाना भी सरकार द्वारा अपेक्षित / मांगे गए अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा।

## v. स्वीकार्य घटक

स्कीम के पैरा क 5 में दिए गए कार्यकलाप (घटक क के अधीन) स्कीम के अधीन उपलब्ध करवाए गए अनुदान से आरंभ किए जा सकते हैं।

## vi. परियोजनावधि

यह परियोजना, पहली किस्त जारी किए जाने से पांच वर्ष के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि परियोजना के निष्पादन में कोई विलंब हो तो विलंब का पूर्ण औचित्य सिद्ध करते हुए मंत्रालय से विस्तार की अनुमति की मांग की जा सकती है, जिसकी अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तरवर्ती किस्त जारी नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय, समेकित वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सहित अपने अधिकारियों को संग्रहालय का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है ताकि वह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से किए गए कार्य का वास्तविक निरीक्षण कर सके।

## vii. आवेदन करने की प्रक्रिया और स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार

यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म 'ख' में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा। एक वित्त वर्ष में इस घटक के तहत एक से अधिक संग्रहालय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

निर्धारित आवेदन प्रपत्रों (प्रपत्र–ख) एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की साईट http://indiaculture.nic.in पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए। इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके, समय दर समय, किस्तों में, निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। यह विशेषज्ञ समिति, स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संग्रहालयों का निरीक्षण भी करेगी ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

## ग. सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति में बड़े स्तर के संग्रहालयों की स्थापना व विकास

## i. उद्देश्य

देश के विभिन्न भागों में संग्रहालयों की उपलब्धता से संबंधित विद्यमान कमी को पूरा करने की दृष्टि से एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में राज्य सरकारों और नागरिक समाज के एक संयुक्त उद्यम के तौर पर, पहचान किए गए शहरों में बड़े स्तर के संग्रहालयों (50 करोड़ रूपयों से अधिक) की स्थापना हेतु एक नई योजना का प्रस्ताव है। इस संग्रहालय में उपलब्ध सुविधाएं उच्च स्तर की एवं अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के समतुल्य होंगी तथा उनकी प्रचालनात्मक लागत को विभिन्न आगंतुक सुविधाओं व प्रवेश शुल्क आदि से जनित राजस्व के द्वारा पूरा किया जाएगा। संग्रहालय का दैनिक प्रशासनिक

कार्य शासी निकाय जैसे शीर्षस्थ निकाय को अभ्यावेदन द्वारा, केवल नीति स्तर निर्णय लेने में शामिल सरकारों (केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों) के साथ संलग्न नागरिक समाज / स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रचालक द्वारा किया जाएगा।

**ii. पात्रता**

राज्य सरकारें / सभी स्वैच्छिक संस्थान, सोसायटियां, स्थानीय निकाय व भारतीय सोसायटी अधिनियम, 1860 (XXI) के अधीन एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत न्यास या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, अनुदानों के लिए पात्र हैं। उनके पास न्यूनतम 1500 उत्कृष्ट ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कलाकृतियों का संग्रह होना चाहिए। उन्हें निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :–

(क) इसका गठन आवेदन से कम से कम तीन वर्ष पूर्व किया गया हो। तथापि, विशेषज्ञ समिति के विवेकानुसार कुछ विशेष मामलों में इस शर्त में छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किए जाएंगे ;

(ख) उसके पास कार्य करने के लिए सुपरिभाषित संविदा एवं निर्धारित नियम / उप नियम हो ;

(ग) वह संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक और / या सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक संपन्न संग्रह का स्वामी हो (न्यूनतम 1500 कलाकृतियां) व वस्तुओं की प्रकृति और संख्या का उल्लेख परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से किया जाए;

(घ) वह संग्रहालय के रख–रखाव तथा सभी आवर्ती लागतों को वहन करने में सक्षम हो ;

(ङ) उसके पास आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं, संसाधन और उस कार्य को निष्पादित करने हेतु कार्मिक मौजूद हों जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है ;

(च) उसके पास राज्य सरकार (संस्कृति विभाग या समतुल्य) से प्राप्त प्रमाण–पत्र हो जिसमें उसके संतोषजनक निष्पादन का प्रमाण हो ;

(छ) उसे निजी लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा हो ;

(ज) वह उस भूमि का मालिक हो जिस पर संग्रहालय स्थित हो या निर्मित किए जाने का प्रस्ताव हो, जहां आगंतुक आसानी से पहुंच सकें।

(झ) आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजनाओं व अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित व प्रमाणित किया गया हो।

**अन्य शर्तें :–**

(क) आवेदक संगठन को नीचे दिए गए घटकों को शामिल करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव तैयार करना चाहिए :

(i) निदानात्मक अध्ययन समेत संग्रहालय की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट ;

(ii) संग्रहालय का आधुनिकीकरण और विकास किस प्रकार किया जाएगा इसका उल्लेख करते हुए एक कार्यनीति पत्र जिसमें संग्रहालय के दीर्घकालिक प्रबंधन को सुनिश्चित करने के नियोजित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने की योजना भी शामिल होगी ;

(iii) संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक कदम की विस्तृत लागत, क्रम और समय–सीमा को शामिल करते हुए एक कार्य योजना ;

(ख) परियोजना प्रस्ताव में नवीकरण / मरम्मत, वीथियों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, संचित संग्रह का आधुनिकीकरण, प्रकाशन, संरक्षण, प्रयोगशाला / संरक्षण परियोजनाएं, संग्रहालय, पुस्तकालय, उपकरण और प्रलेखीकरण आदि के विभिन्न पक्षों का उल्लेख होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सदृश संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा इसको भी परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए और इसमें विशिष्ट समय–सीमा को भी दर्शाया जाना चाहिए।

## iii. अनुदान की राशि

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कीम के तहत, परियोजना लागत की अधिकतम 40 प्रतिशत राशि तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जोकि अधिकतम 20 करोड़ रू. तक होगी, चाहे उसका संबंध नया संग्रहालय स्थापित करने से हो या विद्यमान संग्रहालय के आधुनिकीकरण से। परियोजना लागत का शेष भाग स्वयं संस्थान द्वारा या राज्य सरकार/कॉरपोरेट व सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उद्यम द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

**शर्तें :–**

(क) यह अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की जाएगी।

(ख) जिस संस्थान को इस स्कीम के तहत अनुदान दिया गया हो वह पूर्व अनुदान की अंतिम किस्त के भुगतान से 10 वर्ष समाप्त होने से पहले अनुदान का पात्र नहीं होगा।

(ग) भारत सरकार की वित्तीय देयता अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास को वित्तपोषित करने तक ही सीमित होगी एवं संग्रहालय चलाने के लिए नहीं।

(घ) यह अनुदान किराया, वेतनों, बिजली के बिलों आदि जैसे आवर्ती व्ययों को कवर करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ङ) संस्वीकृत अनुदान की केवल 60 प्रतिशत राशि ही सिविल कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(च) इस अनुदान का उपयोग संग्रहालय के लिए भूमि अथवा कलाकृतियों के प्रापण में नहीं किया जाएगा।

(छ) जहां पर भी कार्य सरकारी एजेंसियों को न सौंपकर किसी अन्य एजेंसी को सौंपा गया है, वहां कार्यान्वयन एजेंसी का चयन खुला टेंडर/ कोटेशन आमंत्रित करते हुए एक पारदर्शी प्रतियोगी प्रक्रिया से किया जाएगा। तत्संबंधी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) आवेदन करते समय, आवेदक संस्थान परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत अपने पास तैयार रखेगा।

(झ) यह भविष्य में अपने आवर्ती व्यय से निपटने के लिए एक वास्तविक संवहनियता योजना भी प्रस्तुत करेगा।

(ञ) सभी प्रयोजनों के लिए अनुदान 40:60 के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। अनुमानित लागत की अधिकतम तथा 40 प्रतिशत तक की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी (अधिकतम 20 करोड़ रू. तक) व बची हुई 60 प्रतिशत या शेष राशि यदि कोई हो, राज्य सरकार /संस्थान/ कॉरपोरेट निकायों, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ट) योजनावधि में इस घटक के अंतर्गत केवल एक परियोजना प्रस्ताव संस्वीकृत किया जाएगा।

## iv. वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

(क) सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार का अंशदान 4 किस्तों में जारी किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक किस्त संस्वीकृत अनुदान का 25 प्रतिशत होगी। पहली किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर तुरंत संस्वीकृत और जारी कर दी जाएगी।

(ख) दूसरी किस्त, जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता, केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रथम किस्त की 80 प्रतिशत राशि और साथ ही अपनी निधियों में से आनुपातिक अनुरूप अंशदान का उपयोग कर चुका हो।

(ग) तीसरी किस्त जो केन्द्र सरकार के अंशदान का 25 प्रतिशत है, तब जारी की जाएगी जब अनुदान प्राप्तकर्ता, केन्द्र सरकार द्वारा जारी दूसरी किस्त की 80 प्रतिशत राशि के साथ–साथ अनुरूप अंशदान का पूर्ण उपयोग कर चुका हो।

संस्वीकृत राशि के शेष 25 प्रतिशत की चौथी किस्त का भुगतान तब किया जाएगा जब अनुदान प्राप्तकर्ता ने पहली 3 किस्तों में संवितरित अनुदान का उपयोग उनके अनुरूप अनुदान के साथ पूर्ण रूप से कर लिया हो।

(घ) दूसरी और तीसरी एवं चौथी किस्तें, पूर्व किस्त और संगठन के समतुल्य आनुपातिक अनुरूप अंशदान के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेट फर्म द्वारा संपरीक्षित लेखाओं के विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के पश्चात् जारी की जाएगी। इस विवरण में यह भी प्रमाणित किया जाए कि पहले जारी की गई किस्तों व संस्थान के अनुरूप अंशदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया हो जिसके लिए उक्त अनुदान संस्वीकृत किया गया था। दूसरी और तीसरी व चौथी किस्तों का जारी किया जाना सरकार द्वारा अपेक्षित / मांगे गए अन्य दस्तावेज, यदि कोई हो, के प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर होगा।

## v. अवसंरचना का विकास

स्कीम के पैरा क 5 में दिए गए कार्यकलाप (घटक क के अंतर्गत) स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए गए अनुदान से आरंभ किए जाने के पात्र हैं।

## vi परियोजनावधि

यह परियोजना, पहली किस्त जारी किए जाने से पांच वर्ष के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि परियोजना के निष्पादन में कोई विलंब हो तो विलंब का पूर्ण औचित्य सिद्ध करते हुए मंत्रालय से विस्तार की अनुमति की मांग की जा सकती है, जिसकी अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तरवर्ती किस्त जारी नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय, समेकित वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि सहित अपने अधिकारियों को संग्रहालय का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है ताकि वह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से किए गए कार्य का वास्तविक निरीक्षण कर सके।

## vii आवेदन करने की प्रक्रिया और स्कीम के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार

यह स्कीम वर्ष भर खुली रहेगी। परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं होगी। इस घटक के तहत वित्तीय सहायता के लिए इस स्कीम के साथ संलग्न फॉर्म 'ख' में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आगे बढ़ाया व आंका जाएगा। एक वित्त वर्ष में इस घटक के तहत एक से अधिक संग्रहालय को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

निर्धारित आवेदन प्रपत्रों (प्रपत्र–ग) एवं उनमें वर्णित अनुबंधों के अलावा, आवेदकों द्वारा उक्त प्रस्ताव प्रत्येक मद के विस्तृत अनुमानों सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। डीपीआर का एक नमूना संस्कृति मंत्रालय की वेबसाईट http://indiaculture.nic.in पर दिया गया है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, योजना एवं अनुमानों को लोक निर्माण विभाग (या समतुल्य संगठन) द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रस्ताव में संबंधित संग्रहालय की विद्यमान विजिटर प्रोफाइल एवं परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसे प्रोफाइलों में दर्शाये गए परिवर्तन भी सम्मिलित होने चाहिए।

इन आवेदनों को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अधीन स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संवीक्षित किया जाएगा तथा इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अनुदान संस्वीकृत किए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने पर, संबंधित संयुक्त सचिव, मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग से परामर्श करके, समय दर समय, किश्तों में, निधियां जारी करने हेतु सक्षम हो जाएंगे। यह विशेषज्ञ समिति, स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले संग्रहालयों का निरीक्षण भी करेगी ताकि निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

*****

# 12

# संग्रहालय संग्रहण के अंकीकरण के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्कीम

यह एक नई केन्द्रीय स्कीम है जिसे विद्वानों, अनुसंधान कर्ताओं और सुविज्ञ आंगतुकों को संवर्धित सुलभता उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश भर में विभिन्न स्तरों अर्थात राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के स्तर पर संग्रहालयों में उपलब्ध कला वस्तुओं और पुरावस्तुओं का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से XIIवीं योजनावधि के दौरान आरंभ किए जाने हेतु विकसित की गई है।

## क. पृष्ठभूमि

संस्कृति मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए 14–सूत्री संग्रहालय सुधार कार्यसूची के एक भाग के तौर पर देश के विभिन्न भागों में संग्रहालयों में पुरावस्तुओं के अंकीकृत दस्तावेजीकरण के क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल, अधिकतर संग्रहालयों में दस्तावेजीकरण की स्थिति अच्छी नहीं है और संग्रहालयों द्वारा अनुरक्षित पुरावस्तुओं के ब्यौरे अभिग्रहण पंजिका में केवल भौतिक रूप में उपलब्ध है जिसका रख–रखाव संग्रहालयों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि कुछ मामलों में अभिग्रहण पंजिका में उपलब्ध सूचना प्रामाणिक नहीं है तथा पुरानी हो गई है। अतः इन संग्रहालयों की संग्रहण प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अंकीय संग्रहण प्रबंधन प्रणाली की सहायता ली जाए। इसके अलावा, पुरावस्तुओं के दस्तावेजीकरण के अंकीकरण की सहायता लेने से विभिन्न पुरावस्तुओं की स्थिति से संबंधित सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसका उपयोग तब संबंधित संग्रहालय की वेबसाइट तैयार करने के लिए किया जा सकता है जहां विद्वानों, शोधकर्ताओं और साथ ही साथ इच्छुक व्यक्तियों की सुगम उपलब्धता हेतु इस पूरे डाटा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा।

## ख. स्कीम का ब्यौरा :

इस स्कीम के तहत, देश भर में फैले संग्रहालयों की कला वस्तुओं के अंकीकरण तथा उनकी आकृतियां/कैटेलॉग वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा विभिन्न संग्रहालयों को अनुदान के रूप में निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस स्कीम के दो घटक होंगे, एक अवसंरचना की स्थापना से संबंधित (विशेष उद्देश्य से तैयार चैनलों के माध्यम से संग्रहालय स्तर के सर्वर/कंप्यूटरों से जोड़ा गया सेंट्रल सर्वर) तथा दूसरा, संग्रहणों के अंकीकरण से संबंधित टेम्पलेट आधार पर पूर्ण ब्यौरे सहित क्रॉस–इनडेक्स किया हुआ होगा। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य होगा अपने संग्रहणों के ऑनलाइन डाटाबेस को सामान्य जनता द्वारा ऑनलाइन देखे जाने हेतु सहज रूप से उपलब्ध करवाना। इस स्कीम की निधियों का एक भाग (प्रति वर्ष अधिकतम 2 करोड़ रू. तक) संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 या समरूप कानून के अंतर्गत पंजीकृत मंत्रालय तथा अन्य राज्य सरकार एवं निजी संग्रहालयों के अधीन संग्रहालयों के संग्रहणों को प्रदर्शित करती संयुक्त वेबसाइट तैयार करने के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए किया जाएगा।

## ग. पात्रता

राज्य सरकारों, पंजीकृत सोसाईटियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, न्यासों और गैर सरकारी संगठनों के अधीन वे सभी संग्रहालय, जो भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 या सदृश कानून के तहत पंजीकृत हैं, इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। आवेदनकर्ता संगठन को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :

## घ. पात्रता की शर्तें

1. आवेदनकर्ता संस्था पंजीकरण के पश्चात्, आवेदन करने से कम से कम 3 वर्ष पहले से मौजूद होनी चाहिए। तथापि,

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर सचिव संस्कृति द्वारा विशेष और पात्र मामलों में छूट दी जा सकती है, जिसके कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएं।

2. उस संस्था के पास कार्यकरण हेतु एक पूर्णतः स्पष्ट संविधान और निर्धारित नियम/ उप–नियम होने चाहिए।

3. ऐसी आवेदनकर्ता संस्थाएं जो ऐतिहासिक और/अथवा सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के एक बड़े संग्रहण का स्वामित्व और अधिकार रखती हों (न्यूनतम 500 वस्तुएं), जिन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया हो। इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय संग्रहालय द्वारा अधिकार में ली गई प्रदर्शित वस्तुओं की प्रकृति और संख्या उस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

4. वे अपने संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन के संबंध में राज्य सरकार (संस्कृति विभाग या समतुल्य) का एक प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध करवाएं।

5. उक्त संस्था किसी लाभ के लिए न चलाई जा रही हो।

6. आरंभ किए जाने वाले प्रस्तावित अंकीकरण कार्य की योजना और अनुमान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करवाकर विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए जाएं।

7. आवेदनकर्ता संस्थाएं अपने संग्रहणों को जन–सूचना हेतु वेबसाइट पर देखने हेतु साझा करने पर सहमत होनी चाहिए।

## ङ. संग्रहालयों की श्रेणियां :

स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के प्रयोजन से संग्रहालयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : श्रेणी–I, सरकार के स्वामित्व में विशिष्ट संग्रहणों सहित राज्य स्तर के संग्रहालयों और प्रसिद्ध संग्रहालयों से संबंधित होगी। श्रेणी– II, अन्य सभी संग्रहालयों से संबंधित होगी।

श्रेणी–I के संग्रहालयों के लिए, स्कीम के तहत दी जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि डिजिटलीकरण की परियोजना लागत का 80 प्रतिशत होगी, जो प्रति संग्रहालय अधिकतम 50 लाख रूपए तक होगी। श्रेणी–II के संग्रहालयों के लिए अधिकतम राशि, डिजिटलीकरण की परियोजना लागत का 80 प्रतिशत होगी, जो प्रति संग्रहालय अधिकतम 25 लाख रू. तक होगी। परियोजना लागत की शेष 20 प्रतिशत राशि की व्यवस्था संबंधित संग्रहालय द्वारा स्वयं की जाएगी। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में संग्रहालयों के मामले में केन्द्र सरकार श्रेणी–I और श्रेणी–II संग्रहालयों हेतु कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक उपलब्ध करवाएगी, जैसा ऊपर दिया गया है।

## (च) वित्तीय अनुदान की शर्तें:

(क) स्कीम के अन्तर्गत संग्रहालय के संग्रह के डिजीटलीकरण और वेबसाइट के विकास के लिए वित्तीय सहायता दस वर्षों में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी। बाद के वर्षों में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि के स्तरोन्नयन के लिए होने वाली आवश्यकताओं को आवेदक संग्रहालय द्वारा अपनी धनराशि से पूरा किया जाएगा।

(ख) यह अनुदान कम्प्यूटर हॉर्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के अभिप्रापण तथा स्कैनर्स, कैमरों आदि जैसे अन्य उपकरणों तथा वेबसाइट के विकास जैसे पूंजीगत प्रकृति के कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा और इसे वेबसाइट होस्टिंग तथा प्रबंधन शुल्कों, इस उद्देश्य के लिए आई.टी स्टाफ के वेतन जैसे व्यय की आवर्ती मदों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) जहां कहीं भी यह कार्य सरकारी एजेंसियों के अलावा अन्य किसी एजेंसी को सौंपा जाएगा वहां आवेदक संस्थान द्वारा कार्यान्वयनकारी एजेंसी को सूचीबद्ध करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खुली निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करके पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी पद्धति के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को चुनना चाहिए। इस संबंध में आवेदक संस्थान द्वारा मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

## (छ) ऐसे कार्य क्षेत्र जिनके लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा :

1. देश भर में प्रतिष्ठित संग्रहालयों द्वारा उपयोग किए जा रहे समुचित मानक सॉफ्टवेयर को प्राप्त और उपयोग करके

संग्रहालय की संग्रह–प्रबंधन प्रणाली का डिजीटलीकरण

2. डिजीटलीकरण के उद्देश्य के लिए संग्रहालय के कला संबंधी कार्यों की फोटोकॉपी

3. संग्रहालय वेबसाइट का सृजन अथवा स्तरोन्नयन

4. संग्रहालय वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक प्रसार के लिए संग्रहालय में उपलब्ध कार्यों के डिजीटल कैटलॉग का सृजन करना

5. संग्रहालय के डिजीटलीकरण कार्यों के लिए सर्वर्स, क्लाइंटस, लैन, स्कैनर्स, कैमरे आदि जैसे हार्डवेयर का प्रापण

6. ऑनलाइन संग्रहालय पुस्तकालय का विकास

7. संग्रहालय के लिए अन्तरक्रियात्मक सूचना पटलों का विकास

## (ज) वित्तीय अनुदान को जारी करने की प्रक्रिया :

(क) स्कीम के अन्तर्गत यह वित्तीय अनुदान मंत्रालय द्वारा दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाएगा। केन्द्र सरकार की 50 प्रतिशत की पहली किस्त इस उद्देश्य के लिए गठित संस्कृति मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुदान प्राप्त करने के बाद ही मंजूर और जारी की जाएगी।

(ख) वित्तीय अनुदान के शेष 50 प्रतिशत की दूसरी किस्त अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रथम किस्त के अन्तर्गत दिए गए अनुदान के 100 प्रतिशत तथा अपने योगदान के 10 प्रतिशत के उपयोग करने के बाद जारी की जाएगी। द्वितीय किस्त का जारी होना केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की पूर्वकिस्त तथा संग्रहालय के 10 प्रतिशत सदृश योगदान के संबंध में सनदी लेखाकार की फर्म द्वारा लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र तथा लेखा विवरण प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

## (झ) परियोजना की अवधि :

आवेदक संस्थान द्वारा शुरू की गई डिजीटलीकरण परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान की पहली किस्त के जारी होने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। यदि परियोजना को पूरा करने में कोई बिलंब हो रहा है तो विलंब के कारणों का पूरा औचित्य संबंधी ब्यौरा देते हुए मंत्रालय से समय बढ़ाने की अनुमति मांगी जा सकती है और ऐसा नहीं करने पर बाद वाली किस्त जारी नहीं की जाएगी। यदि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब हुआ और इस विलंब के समय में संग्रहालय द्वारा मंत्रालय से कोई अनुमति नहीं ली गई हो तो संबंधित संग्रहालय को मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित दण्ड स्वरूप ब्याज के साथ मंत्रालय द्वारा इसे प्रदान किए गए अनुदान की समस्त राशि वापस लौटानी होगी। मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता से किए जा रहे कार्य का वास्तविक सत्यापन करने के लिए संग्रहालय का दौरा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय अपना प्रतिनिधि तैनात कर सकता है।

## (ञ) स्कीम के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया :

यह स्कीम वर्ष भर खुली है और प्रस्तावों को जमा करने के लिए एक निर्धारित अंतिम तारीख होगी। स्कीम के अन्तर्गत आवेदनों पर पहले–आओ पहले–पाओ आधार पर कार्रवाई और विचार किया जाएगा। विहित आवेदन प्रपत्र–I को उसमें वर्णित अनुलग्नक समेत प्रस्तुत करने के अलावा, आवेदक को मंत्रालय से अनुरोध किए जा रहे वित्तीय अनुदान से शुरू किए जाने वाले कार्यों की मदों तथा किए जाने वाले प्रापण के संबंध में विस्तृत आकलनों का उल्लेख करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक मामले में इन आकलनों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के जिला सूचना अधिकारी द्वारा अवश्य सत्यापित /प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस परियोजना प्रस्ताव में परियोजना के प्रत्येक चरण को पूरा होने के लिए प्रतिबद्ध समय सीमा का भी अवश्य विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।

संग्रहालय अनुदान स्कीम के अन्तर्गत अनुदानों की सिफारिश करने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में स्थापित विशेषज्ञ समिति द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी तथा इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसके अनुमोदन के बाद अनुदान को अनुमोदित किया जाएगा।

*****

# 13

# विज्ञान शहरों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश

**क. अवधारणा**

कोई विज्ञान शहर अवधारणात्मक रूप से विज्ञान केंद्र के तुल्य होगा। तथापि, यह परिमाप में अपेक्षाकृत बड़ा होगा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करेगा तथा शिक्षा और मनोरंजन वित्तीय तौर पर स्वःधारणीय होगा। इसकी अवधारणा इस प्रकार तैयार की जाएगी कि यह विद्यार्थियों, परिवारों, पर्यटकों और आम जनता के लिए आकर्षक और उपयोगी हो। यह अपने प्रस्तुतीकरण में नवीनतम संचार साधनों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगा।

**ख. मुख्य उद्देश्य**

1. लोगों के बीच वैज्ञानिक अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का विकास करने, उनके बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने, समझाने और इसे बनाए रखने के उद्देश्य से उद्योग और मानव कल्याण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा उनके अनुप्रयोगों का निरूपण करना।
2. प्रदर्शनियों, सेमिनारों, लोकप्रिय व्याख्यानों, विज्ञान शिविरों तथा विभिन्न अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों और आम व्यक्तियों के लाभार्थ, नगरों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संस्कृति की सार्वजनिक समझ का संवर्धन करना और उसे बढ़ाना।
4. स्कूलों और कॉलेजों में दी गई विज्ञान शिक्षा का अनुपूरण करना तथा विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक उत्सुकता और सृजनशीलता की भावना का पोषण करने के लिए स्कूल से बाहर विभिन्न शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन करना।
5. विज्ञान शिक्षा और विज्ञान लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान संग्रहालय प्रदर्शों, प्रदर्शन उपस्कर और वैज्ञानिक शिक्षण साधनों की डिजाइन तैयार करना, उसका विकास और निर्माण करना।
6. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के विशिष्ट विषयों पर विज्ञान शिक्षकों/विद्यार्थियों/युवा उद्यमियों/ तकनीकीविदों/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/ गृहिणियों और अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

**ग. अंतर्वस्तु**

विज्ञान शहर के प्रदर्श और कार्यकलाप के प्रस्तुतीकरण में वैज्ञानिक मूल्यों और नवीनता का उचित मिश्रण होगा ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से आम लोगों को आकर्षित करने में सक्षम हो सके। विज्ञान शहर के प्रदर्शों और कार्यकलापों की संरचना करने में शिक्षा और मनोरंजन पर मुख्य जोर होगा। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यकलापों में आंगतुकों की भागीदारी के लिए व्यापक अवसर प्रदान करेगा। निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया जा सकता है :

**(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ अंतर्संबंध**

1.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अधुनातन क्षेत्रों तथा रूचिकर और आनंददायी वस्तुगत प्रस्तुतिकरण, वृहत् आरूप वाली फिल्मों, 3डी प्रस्तुतिकरण, वास्तविक अनुभवों, अनुरूपकों और अनेक हाइ–टेक प्रणालियों जैसे अनुभव आधारित और निमज्जित प्रदर्शों के माध्यम से समाज पर उनके प्रभाव से परिचित कराने हेतु एक विज्ञान प्रदर्शनी हॉल; वस्तुगत प्रस्तुतिकरण भारतीय प्रयास को रेखांकित करेंगे।

1.2 प्रदर्श अपनी विषयवस्तु में बहुआयामी होंगे तथा अपनी प्रकृति में यथासंभव दक्ष और बौद्धिक होंगे जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए क्षेत्रों के आविर्भाव के साथ ये विषय समयांतराल में बदल जाते हैं। तथापि, मौजूदा संदर्भ में, नैनो–प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और ऑप्टिकल फाइबर, कंप्यूटर्स, पृथ्वी विज्ञान, मानव शरीर, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो इन्फोर्मेटिक्स, भारी उद्योग, कृषि पर्यावरण और वैज्ञानिक अवधारणाओं की हाल में प्राप्त जानकारी आदि जैसे विषयों पर विचार किया जा सकता है।

1.3 कारपोरेट निकायों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, वैज्ञानिक विभागों आदि के लिए उनके कार्यकलाप के संबंधित क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मौजूद स्थिति और अनुसंधान एवं विकास पहलों को दर्शाने के लिए एकनिष्ठ अवसंरचना प्रदान की जाएगी।

1.4 600–1000 सीटों वाला एक बहुप्रयोज्य ऑडिटोरियम जिसमें विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम और विज्ञान फिल्म प्रदर्शन किए जा सकें, शैक्षिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक/कारपोरेट कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें, (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक मिलियन दर्शक विज्ञान शहर देखने आएंगे, ऑडिटोरियम की क्षमता निर्धारित की गई है।)

अन्य संस्थानों को अपने सम्मेलन, व्याख्यान, बैठक, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किराया प्रभारों का भुगतान कर विज्ञान शहर में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बिजली प्रभारों, निगम करों आदि सहित ओडिटोरियम के नियमित रखरखाव और प्रचालन के लिए सभी व्यय पूरे किए जा सकें। यद्यपि रियायती दरों पर बिजली प्रदान करने तथा गैर–वाणिज्यिक दर पर निगम कर सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा, तथापि इन कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए सभी करों और रॉयल्टी का वहन आयोजकों द्वारा किया जाए।

### (2) प्रयोग और पाठ्यक्रम अनुपूरण

2.1 विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा का अनुपूरण करने वाले परस्पर क्रियाशील प्रदर्श यहां विकसित और स्थापित किए जाएंगे जिनका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांतों का रोचक तथा मनोरंजक तरीके से व्याख्या करना होगा।

2.2 आगंतुकों और विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक कार्यकलाप आधारित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जिनका उद्देश्य जनजागरूकता फैलाना तथा जैवप्रौद्योगिकी, नैनोप्रौद्योगिकी, फोटोनिक्स आदि जैसे अधुनातन विज्ञान और इंजीनियरी का समावेश और समझ पैदा करना होगा। ऐसी प्रयोगशालाओं का उद्देश्य विज्ञान केन्द्रों और शैक्षिक संस्थानों को सक्रिय अधुनातन विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोग तथा अनुसंधान से जुड़े अनुसंधान संस्थानों के साथ जोड़ना होगा।

### (3) चारदीवारी से बाहर विज्ञान का अनुशीलन

साइंस पार्क का उद्देश्य ''मनोरंजनयुक्त शिक्षा'' अर्थात् मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। इसकी रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाएगी कि विज्ञान अनौपचारिक ''प्रायोगिक और बौद्धिक'' दृष्टिकोण से दैनिक जीवन में प्रासंगिक हो सके। इसकी विशेषता संचार का द्विआयामी माध्यम होगा–प्रदर्श और कार्यकलाप। प्रदर्श अधिकांशतः परस्पर कार्यशील होंगे तथा प्राकृतिक और बिना दबाव वाली परिस्थितियों में खेल–खेल में और आनंदपूर्वक विज्ञान की बुनियादी बातें सीखने में एक साथ बच्चों और बड़ों की सहायता करेंगे। यहां सामाजिक स्तर, शिक्षा या आयु वर्ग पर ध्यान दिए बिना सभी की रूचि अनुसार कुछ न कुछ होगा जिससे सीखने की संस्कृति कायम होगी। साइंस पार्क व्यवसाय, उद्योग तथा समुदाय को एकजुट करने के लिए एक सेतु का काम करेगा।

### (4) दर्शकों के मनोरंजन की सुविधाएंः

इस क्षेत्र में जल निकाय, प्राकृतिक पगडंडी, सड़क, रेलगाडियों, जलस्रोतों, खाद्य निकाय केंद्रों, उपहार और स्मृति चिह्नों की दुकानें, भोजनालय, विश्राम गृह और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी जिससे न केवल दर्शकों की आवश्यकता की पूर्ति होगी बल्कि उनको लंबे समय तक रोक कर रखा जा सकेगा।

### (5) मूलभूत ढांचा

विज्ञान शहर में जनता के लिए निम्नलिखित मुख्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीः–

(क) 5 से 7 बड़ी संवादात्मक विज्ञान प्रदर्शनियों सहित विज्ञान अन्वेषण हॉल

(ख) डिजिटल डोम थियेटर, 3–डी शो, सिमुलेटर तथा अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनियों सहित अंतरिक्ष की सैर

(ग) क्रियाकलापों एवं प्रयोगों द्वारा विज्ञान को समझाने के लिए प्रदर्शन क्षेत्र बाह्य साइंस पार्क

(घ) विकास पार्क / ऑडिटोरियम

(ड.) कार्यशाला

(च) कैफेटेरिया, उपहार की दुकान, आगंतुक इंटरप्रिटेशन क्षेत्र सहित जन उपयोगिताएं।

(छ) कार कार्किंग

**घ. पात्रता के मानदण्ड और मूल भूत ढांचा**

विज्ञान शहर या तो राज्य की राजधानी या ऐसा शहर जिसकी आबादी 50 लाख से कम न हो, में होना चाहिए। विज्ञान शहर की अवस्थिति का निश्चय करते समय, सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि वह स्व–संवहनीयता हेतु कम से कम 10 लाख दर्शकों को प्रतिवर्ष आकर्षित कर सके।

1. विज्ञान शहरों की स्थापनाएं वरीयतापूर्वक केवल उन्हीं स्थानों पर की जाएगी, जहां पर कोई मुख्य विज्ञान केंद्र पहले से मौजूद न हो। तथापि, ऐसे क्षेत्र जहां विज्ञान केंद्र से काफी अधिक प्रगति हुई हो अर्थात वह विज्ञान शहर बनने के पात्र हों तो वहां विज्ञान केंद्र को क्षेत्रीय विज्ञान शहर के रूप में उन्नत कर दिया जाना चाहिए या उस स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक अलग विज्ञान शहर की स्थापना की जानी चाहिए।

2. राज्य सरकार, निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं निशुल्क प्रदान करेगी:–

   (i) शहर के बीच में और आसानी से पहुँच वाली पूर्णरूप से विकसित एवं बाधारहित कम से कम 25 एकड़ भूमि; (यद्यपि, सभी प्रर्दर्शों विशेषकर वे प्रदर्श जिनको खुले स्थान की आवश्यकता हो तथा भविष्य में जिनमें विस्तार की संभावना हो, वहां 30 एकड़ भूमि उपलब्ध कराना बेहतर होगा);

   (ii) सड़कों का मुख्य मार्ग से जुड़ा होना,

   (iii) दूरसंचार सुविधाएं,

   (iv) जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति,

   (v) सीवरेज और स्टार्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम,

   (vi) पर्याप्त सार्वजनिक/निजी परिवहन सुविधाएं

3. राज्य सरकारें और उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित सोसायटी/प्राधिकरण समूह केन्द्रीय सरकार के मानदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4. राज्य सरकार, जल, बिजली, स्थानीय कर आदि के लिए रियायती दरों में भुगतान करने का भी प्रावधान करेगी जैसा कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

**नोटः** उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा अतिविशिष्ट मामलों में उपर्युक्त मानदण्डों में छूट दी जा सकती है/या उन्हें संशोधित किया जा सकता है।

**ङ. प्रदर्शनी का क्षेत्रफलः**

**(1) भवन के अंदर प्रदर्शनियों के लिए भूमि क्षेत्रफल**

| | |
|---|---|
| (क) विज्ञान प्रदर्शन हॉल | – 10000 वर्ग मीटर |
| (ख) खुली प्रयोगशाला और पारस्परिक प्रदर्श हॉल | – 2500 वर्ग मीटर |
| (ग) प्रवेश प्लाज़ा और दर्शकों की सुविधाएं | – 1500 वर्ग मीटर |
| | कुल योगः 14,000 वर्गमीटर |

**(2) बाह्य प्रदर्शनः**

| | |
|---|---|
| (क) विज्ञान पार्क | 4,000 वर्ग मीटर |

स्थानीय मूलभूत ढांचा विकसित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि निर्मित और खुले क्षेत्रफलों का अनुपात 25:75 रहे जिससे कि दर्शकों को किसी एक विशेष स्थान पर ही सीमित होकर न रह जाना पड़े और वर्ष के उन विशेष दिनों की भीड़ के समायोजन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

भविष्य में किसी विस्तार के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। भूमि के एक भाग को वाणिज्यिक क्षेत्र की तरह विकसित किया जा सकता हैए जिसको विज्ञान शहर की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से दूसरी एजेंसियों को किराए पर दिया जा सकता है ताकि उसे स्व–संवहनीय बनाया जा सके।

**च. समय अनुसूची :**

विज्ञान शहर परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित समय 54 माह लगेगा जो मुख्य भवन के निर्माण कार्य के आरंभ होने से प्रारम्भ होगा। पहले चरण में, विज्ञान अन्वेषण हाल, जिसमें एक फुल डोम चल–चित्र प्रक्षेपण इकाई, एक घूर्णन अनुरूपी और एक 3–डी दृश्य मंच की स्थापना प्रवेश प्लाजा के साथ–साथ की जाएगी। इससे राजस्व की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

**छ. बजट (2011 से 2013 डीपीएआर पर आधारित औसत)**

नई विज्ञान शहर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए संपूर्ण लागत का अनुमानित व्यय 110.00 करोड़ रूपए है। फिर भी, किसी विशेष परियोजना का विस्तृत ब्यौरा निर्माण–स्थल की स्थिति, भवन के मानचित्र और निर्माण की स्थानीय कीमतों के आधार पर तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

योजना अवधि के दौरान किसी विज्ञान केन्द्र परियोजना के लिए निर्धारित लागत से अधिक व्यय एवं लागत वृद्धि का निर्धारण आरबीआई सूचंकाक द्वारा किया जाएगा तथा उसका वहन राज्य सरकार के अपने संसाधनों से किया जाएगा।

व्यय की विभिन्न मदों का सांकेतिक ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्र.सं | मदें | लागत करोड़ रू. में |
|---|---|---|
| i. | भवनों और अन्य निर्माण कार्यों में व्यय | |
| | क. भूमि की कीमत<br>'वैचारिक। राज्य सरकार, परियोजना के लिए अपने हिस्से के रूप में इसे बिना मूल्य प्रदान करेगी | 00.00 |
| | ख. विज्ञान शहर भवन 14,000 वर्ग मीटर, जिसमें आंतरिक (भवन के अंदर) प्रदर्शनी हाल (26,004/–रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से) | 36.41 |
| | ग. अत्यधिक भार को वहन करने के लिए अधिक मज़बूत संरचनात्मक ढांचा 14000X1675.00 | 2.35 |
| | घ. 35 वर्ग मीटर के ऊपर अधिक बड़ा मॉड्यूल 14,000X1950 | 2.73 |
| | ङ. मृदा जनित प्रतिरोधी बल 14,000X1241.00 | 1.74 |
| | च. बाहरी सर्विस कनेक्शन 17.5 प्रतिशत की दर से आंतरिक विद्युतीकरण | 7.57 |
| | छ. कार/बस पार्किंग क्षेत्र/अंदर की सड़के/भू–परिदृश्य/ जल निकाय/चार दीवारी | 2.72 |
| | ज. वातानुकूलन/ऊष्मारोधन/ध्वनिकता | 03.27 |
| | झ. ट्रान्सफार्मर (2 मेगावाट) यूपीएस/डी.जी.सेट/अग्नि शमन | 03.00 |
| | ञ. कुर्सियां/कार्पेट | 01.00 |
| | ट. योजना, पर्यवेक्षण और परामर्श शुल्क 6 प्रतिशत | 03.12 |
| | | **उप–योग 63.91**<br>(अर्थात 64.00) |

| | | |
|---|---|---|
| ii. | **प्रदर्शों, उपकरणों और भंडारगृहों पर व्यय :** | |
| | क. बृहद प्रारूप चलचित्र प्रक्षेपण इकाई, सहायक उपकरणों सहित | 14.00 |
| | ख. अनुरूपक/3डी चलचित्र मंच | 03.00 |
| | ग. प्रदर्श और कला वस्तुएं | |
| | (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, के अनुभवपरक थीमैटिक प्रदर्श। | 08.00 |
| | (ii) प्रयोग कार्य और पाठ्यक्रम पूरक के लिए पारस्परिकता वाले प्रदर्श | 02.00 |
| | घ. प्रक्षेपण–उपकरण, श्रव्य–दृश्य, विद्युतीय संस्थापन आदि | |
| | (i) ऑडिटोरियम के लिए | 01.00 |
| | (ii) डिजिटल पैनोरमा के लिए | 12.00 |
| | ड. विविध उपस्कर | |
| | (i) कार्यशाला के औजार और मशीनें | 01.00 |
| | च. प्रदर्शों की लागत सहित विज्ञान पार्क के विकास की लागत | 01.50 |
| | छ. परियोजना स्टाफ का वेतन | 02.50 |
| | ज. परियोजना स्टाफ के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता | 0.40 |
| | झ. अन्य प्रशासनिक खर्च | 0.40 |
| | त्र. विज्ञापन एवं प्रचार | 0.20 |
| | | **उप योग 46.00**<br>**जोड़ 109.91**<br>**(अर्थात् 110.00)** |
| iii | उपर्युक्त मद (ii) में विदेशी आदान–प्रदान घटक शामिल है | |
| | क. वृहद प्रारूप चलचित्र प्रक्षेपण इकाई, सहायक उपकरणों सहित | 14.00 |
| | ख. अंतरिक्ष कैपसूल (अनुपूरक) एवं 3–डी थियेटर | 03.00 |
| | ग. डिजिटल पैनोरमा के लिए प्रोजेक्शन उपस्कर | 08.00 |
| | घ. विविध, अन्य उपकरण | 1.00 |
| | | **उप योग 26.00** |
| iv. | विदेशी विशेषज्ञों को लाने या विदेशी विशेषज्ञता की खरीद के लिए कोई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है। | |

(उपर्युक्त अनुमान केवल बजट के उद्देश्यों के लिए है। विशेष परियोजनाओं के लिए विस्तृत लागत मूल्यों के अनुमानों को, परियोजनाओं के मास्टर योजनाओं के तैयार होने के बाद आकलित कर लिया जाएगा)।

| | |
|---|---|
| 1/4/2011 को दिल्ली का लागत सूचकांक | 49 % |
| 1/4/2012 को दिल्ली का लागत सूचकांक | 61 % |
| 1/4/2015 को दिल्ली का लागत सूचकांक यथा अनुपातिक आधार पर होगा | 97 % |
| यदि मिट्टी की वहन क्षमता अच्छी न हो तो भराव की लागत अतिरिक्त हो जाएगी (14000x12746.00)=17.84 करोड़ अर्थात् 18.00 करोड़ | |

**ज. क. वित्तपोषण–व्यवस्था**

(1) नए विज्ञान शहरों के लिए केंद्रीय सरकार की आर्थिक भागीदारी केवल 6600.00 लाख रू. तक सीमित रहेगी (कुल 11000.00 लाख रू. का 60 प्रतिशत)।

(2) विज्ञान शहर की स्थापना के लिए शेष धन 44.00 करोड़ रूपए (कुल 110.00 करोड़ रू. का 40 प्रतिशत) और 25 एकड़ भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु करेगी। राज्य सरकारों के 44.00 करोड़ रू. का सहयोग स्वयं उनके द्वारा या प्राइवेट/कारपोरेट अभिकरणों या दोनों के संयुक्त प्रयास द्वारा पूरा किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, राज्य सरकार, उस वर्ष के लिए अपना हिस्सा (44.00 करोड़ रूपए में से) पहले ही प्रदान कर देगी और केंद्रीय सरकार भी अपने हिस्से का आनुपातिक भाग, एक बार में ही (110.00 करोड़ रू. के 60:40 की अनुपातिक दर के आधार पर) जारी कर देगी।

**पूंजी व्यय की वर्षवार चरण–सारणी (लाख रू. में)**

| स्रोत | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | पंचम वर्ष | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार | 600 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 6600 |
| राज्य सरकार | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 4400 |
| योग | 1100 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 11000 |

4. तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा द्वीपीय क्षेत्रों के लिए पूंजी लागत को भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 90:10 के अनुपात में बांटा जाएगा।

**पूर्वोत्तर के लिए पूंजी व्यय की वर्षवार चरण–सारणी (लाख रू. में)**

| स्रोत | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | पंचम वर्ष | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार | 1000 | 4000 | 4000 | 900 | 0 | 9900 |
| राज्य सरकार | 200 | 400 | 400 | 100 | 0 | 1100 |
| योग | 1200 | 4400 | 4400 | 1000 | 0 | 11100 |

**झ. प्रबंधन और प्रचालन**

1) नए विज्ञान शहरों का संचालन तथा प्रबन्धन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई ऐसी सोसाइटियों द्वारा किया जाएगा, जिससे ये नए विज्ञान शहर स्वतंत्र रूप से स्वायत्त शासित निकाय के रूप में कार्य कर सकें। तकनीकी मार्ग–दर्शन और प्रदर्शों के विकास में परामर्श और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में एनसीएसएम को सामान्य भुगतान किया जाएगा। इन सोसाइटियों को परियोजना के प्रारंभ होने के पूर्व ही गठित किया जाएगा, जिससे वे केंद्र और राज्य सरकार, दोनों से मौद्रिक अनुदान प्राप्त करने में समर्थ हो सकें, और प्राइवेट/कारपोरेट/औद्योगिक स्रोतों से वित्तीय सहायता तथा आर्थिक संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकें। प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए अंतराल निधि का प्रयोजन पृथक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाएगा।

2) सभी विज्ञान नगरों का संभाव्य तरीकों से सर्वोत्तम रख–रखाव किया जाएगा जिससे वे स्वयं ही सभी प्रचालनों को बनाए रखने के निमित्त, पर्याप्त धन का आगमन सुनिश्चित कर सकें। फिर भी, भविष्य के विकास के लिए पूंजी अनुदान को विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है। कारपोरेट निवेश का विचार दो रूपों में किया जा सकता है– या तो पूंजी अनुदान या सार्वजनिक निजी भागीदारी और यदि यह नहीं हो पाने की स्थिति में है तो सुविधाओं और मूलभूत ढांचे के लगातार कई वर्षों के सदुपयोग से सृजित, राजस्व की सहायता से।

**ञ. मंत्रालय के अनुमोदन संबंधी पूर्वापेक्षाएं**

व्यवहार्यता रिपोर्टः किसी भी विज्ञान शहर की स्थापना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाते हैं। अध्ययन में यह सावधानी पूर्वक निश्चय करना आवश्यक होगा कि क्या प्रस्तावित विज्ञान शहर में यह क्षमता है

कि वह प्रतिवर्ष 10 लाख दर्शकों को आकर्षित कर सके और उसके आधार पर क्या उसमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सम्भावना है। व्यावसायिक परामर्श सेवादाताओं को एनसीएसएम के सक्रिय सहयोग सहित अध्ययन कार्य में लगाया जाएगा। एनसीएसएम को परामर्श देने के लिए उचित शुल्क देय होगा।

विज्ञान शहर में, यदि आवश्यकता पड़ती है तो, बाद के दिनों में, माड्यूल के लिए प्रावधान अवश्य होना चाहिए।

**ट. परियोजना का कार्यान्वयन**

नई विज्ञान नगर परियोजना का कार्यान्वयन, उनके राज्यों द्वारा बनाई गई संबंधित सोसाइटियों द्वारा किया जाएगा। यदि एनसीएसएम से परामर्श लेने का प्रयास किया जाता है तो वह तकनीकी मार्ग–दर्शन और मानचित्र, प्रदर्शन सामग्री के विकास और संस्थापन तथा उपकरणों के प्राप्त करने तथा उनके प्रचालन तक सीमित रहेगा। कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी एनसीएसएम से परामर्श लेने का एक भाग होगा।

**ठ. निगरानी**

विज्ञान शहर की परियोजना की निगरानी, भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार, उनके प्राइवेट / कारपोरेट भागीदार (यदि कोई हों), एनसीएसएम और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग और संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र के कम से कम 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उचित प्रतिनिधित्व के माध्यम से संबंधित राज्यों द्वारा बनाई गई उच्च स्तर की सोसाइटियों द्वारा की जाएगी।

**ड. विज्ञान शहर के लिए कर्मचारियों की मांग**

| क्र. स. | छठे वेतन आयोग के आधार पर पद और वेतनमान | वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन | पदों की संख्या | कुल वार्षिक पारिश्रमिक (लाख रुपए में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक (37,400–67,000रू.) | 8700, पीबी–4 | 1 | 12.00 |
| 2 | संग्रहाध्यक्ष (15600–39100 रू.) | 5400, पीबी–3 | 5 | 27.75 |
| 3 | कार्यपालक अभियंता (15600–39100 रू.) | 6600, पीबी–3 | 1 | 7.00 |
| 4 | शिक्षा सहायक (5200–20200 रू.) | 2800, पीबी–1 | 4 | 12.00 |
| 5 | तकनीकी सहायक (5200–20200 रू.) | 2800, पीबी–1 | 4 | 12.00 |
| 6 | तकनीशियन (5200–20200 रू.) | 1900, पीबी–1 | 8 | 15.50 |
| 7 | प्रशासनिक अधिकारी (15600–39100 रू.) | 6600, पीबी–3 | 1 | 7.00 |
| 8 | वित्त एवं लेखा अधिकारी (15600–39100 रू.) | 5400, पीबी–3 | 1 | 7.00 |
| 9 | सहायक (सामान्य) (9300–34800 रू.) | 4200, पीबी–2 | 8 | 30.00 |
| 10 | एसपीए (9300–34800 रू.) | 4600, पीबी–2 | 1 | 3.50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | उच्च श्रेणी लिपिक (5200–20200रू.) | 2400, पीबी–1 | 1 | 3.00 |
| 12 | अवर श्रेणी लिपिक (5200–20200रू.) | 1900, पीबी–1 | 8 | 16.00 |
| 13 | ड्राइवर (5200–20200 रू.) | 1900, पीबी–1 | 1 | 3.00 |
| | **योग** | | **44*** | **155.75~156.00** |

*सुरक्षा, गृह व्यवस्था, बागवानी कार्य बाह्य स्रोतों से होगा, अतः इस श्रेणी के लिए कर्मचारियों की भर्ती दर्शायी नहीं गई है।

## उद्घाटन के बाद अपेक्षित वार्षिक व्यय (लाख रूपए में)

| | व्यय की मद | पहला वर्ष | दूसरा वर्ष | तीसरा वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नियमित कर्मचारियों का वेतन | 156.00 | 172.00 | 190.00 |
| 2. | सुरक्षा/सफाई संविदा | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
| 3. | बिजली (रियायती दर पर) | 120.00 | 140.00 | 180.00 |
| 4. | प्रदर्श रख–रखाव | 25.00 | 40.00 | 50.00 |
| 5. | उपकरण का रख–रखाव | 15.00 | 15.00 | 20.00 |
| 6. | भवन का रख–रखाव | 10.00 | 10॰00 | 15.00 |
| 7. | भुगतान किए गए विज्ञापन | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 8. | स्पेस ओडिसी फिल्म लीज आदि | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 9. | विविध कार्यालय व्यय | 10.00 | 12.00 | 15.00 |
| 10. | आकस्मिक व्यय | 10.00 | 12.00 | 15.00 |
| 11. | नए विकास एवं गतिविधियां | 15.00 | 30.00 | 90.00 |
| 12. | यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| 13. | चिकित्सा | 5.00 | 6.00 | 10.00 |
| 14. | पुस्तक, फिल्म आदि | 00.50 | 00.75 | 1.00 |
| | **योग** | **476.50** | **562.75** | **726*** |

* विज्ञान शहर का आवर्ती व्यय और उसकी अन्तर राशि का वित्तपोषण इसके उद्घाटन के बाद संबंधित राज्य सरकार / संघ–राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

*****

14

# विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए संशोधित मानदण्ड

**क. प्रस्तावना**

1970 के दशक में योजना आयोग द्वारा विज्ञान संग्रहालयों की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था जिसने इन संस्थानों के विकास, भरण–पोषण और प्रभावी उपयोग हेतु कार्यप्रणाली पर कई सिफारिशें भी दी गयी थीं। यह, लोगों के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता और वैज्ञानिक सोच पैदा करने हेतु विज्ञान संग्रहालयों की अपार संभावनाओं को प्रकाश में लाया।

सबसे प्रमुख सिफारिशें थी, देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से ग्रामीण जनता की सेवा के लिए तीन स्तरों अर्थात राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर विज्ञान संग्रहालय केंद्रों की स्थापना।

इसके आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संग्रहालय/ केन्द्र, क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र और जिला विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है जो क्रमशः मुख्य नगर, राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में स्थित हों।

90 के दशक के दौरान जब एनसीएसएम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर रही थी, तब यह महसूस किया गया कि हालांकि पूर्वोत्तर राज्य आकार में छोटे हैं किंतु एक राज्य के रूप में उनकी अलग पहचान है। अतः पूर्वोत्तर में विज्ञान केंद्रों को जिला विज्ञान केन्द्रों का नाम देना अनुचित प्रतीत हुआ। फलस्वरूप ये केन्द्र उप–क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्रों के रूप में नामित हुए।

फिलहाल यहां अनेक नामपद्धतियां प्रचलित है जो विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों को श्रेणीबद्ध करती हैं। ऐसी भिन्न प्रकार की नामपद्धतियों राज्य सरकारों या अन्य एजेन्सियों को भ्रमित कर सकती हैं जो विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने की उत्सुक हैं। अतः यह प्रस्ताव दिया जाता है कि विज्ञान केंद्रों के लिए भिन्न–भिन्न नामपद्धितियों के स्थान पर ''विज्ञान केंद्र'' नामक एकल शीर्षक पर विचार किया जाना चाहिए तथा विज्ञान केंद्रों को स्थापित करने हेतु मानदंडो का निर्धारण उस स्थान की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए जहां विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो।

संस्कृति मत्रालय ने विज्ञान केन्द्र परियोजना और उनके वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित संशोधित मानदंड निर्धारित किए हैं :

**ख. उद्देश्य**

विज्ञान केन्द्रों के मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :

- लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रकृति का विकास करने और उनमें सामान्य जागरूकता का सृजन करने, बढ़ाने और कायम रखने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास तथा उद्योग और मानव कल्याण में उनके अनुप्रयोग को दर्शाना।
- प्रदर्शनियों, सेमिनार, लोकप्रिय व्याख्यान, विज्ञान कैंप और अन्य विविध कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा क्षेत्र के आम आदमी और छात्रों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।
- स्कूल और कॉलेजों में दी जा रही विज्ञान शिक्षा का अनुपूरण और छात्रों के बीच वैज्ञानिक अन्वेषण की मनोवृत्ति और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के बाहर विविध शैक्षिक क्रियाकलापों का आयोजन करना।
- विज्ञान शिक्षा और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु विज्ञान संग्रहालय प्रदर्शों, प्रदर्शन उपकरणों और वैज्ञानिक अध्यापन सामग्री को डिजाइन करना, विकसित और विरचित करना।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और उद्योग के विशेष विषयों पर विज्ञान शिक्षकों/युवा छात्रों, उद्यमियों/तकनीशियनों/शारीरिक रूप से विकलांगों/गृहिणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

**ग. संकल्पना**

विज्ञान केन्द्र, कुल मिलाकर समाज में अन्वेषण की मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग पर आधारित शिक्षा वातावरण, सृजनात्मक प्रतिभा और वैज्ञानिक मिजाज का सृजन प्रदान करता है। इसकी विशेषता उसके दो भागों में विभाजित संचार

माध्यम अर्थात् प्रदर्श एवं गतिविधियां हैं। यद्यपि भीतरी और बाहरी दोनों प्रदर्श मुख्यतः इंटरएक्टिव हैं, प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरी तरह से भागीदारी परक हैं और बच्चों एवं वयस्कों को समान रूप से कौतुक तथा आनंद से विज्ञान के मूलतत्व सीखने में सहायता करते हैं।

विज्ञान को अनुभव और प्रयोग के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। अतः विज्ञान शिक्षा अनिवार्यतः कार्य करके सीखने और प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए तथा पाठ्यपुस्तकें पढ़ने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। देश में व्याप्त विज्ञान निरक्षरता की दृष्टि से भारत में इसका बहुत महत्व है। दूसरी ओर विज्ञान केन्द्र, अपने आप करके सीखने के दृष्टिकोण को अपनाते हुए 'अनुभवमूलक विज्ञान' की गुंजाइश प्रदान करता है और आगंतुकों के लिए बडी संख्या में प्रयोगात्मक विकल्प सामने रखता है जिसके द्वारा वे स्वयं वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा हमारे देश में, औपचारिक विज्ञान शिक्षा की अनुपूर्ति में  बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है।

**घ. भौतिक और वित्तीय मांग**

**श्रेणी I (क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र)**

(क): 15 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर/नगर में स्थित विज्ञान केन्द्र

1. भूमिः राज्य सरकार द्वारा कम से कम 7 एकड़ विकसित भूमि (बेहतर होगा कि कोई निचला क्षेत्र न हो और सम आकर का हो) बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई जाएगी।

2. पूंजी व्ययः

श्रेणी I के विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक मूल निधि 14.50 करोड़ रूपए है।

3. लागत का विस्तृत ब्यौरा

| क्र. स. | कार्य/व्यय की मदें | | राशि (लाख रुपए में |
|---|---|---|---|
| 01 | लगभग 4000 वर्ग मी. के कवर क्षेत्र सहित आरएससी मुख्य भवन, प्लम्बिंग और स्वच्छता सहित सिविल निर्माण | | 855.36 |
| | विद्युतीय कार्य एवं वातानुकूलन | 106.92 | |
| | लिफ्ट और अग्निशमन | 25.00 | |
| | प्रेक्षागृह के लिए कुर्सियां | 5.00 | 1028.36 |
| | वास्तुकार शुल्क | 36.08 | |
| 02 | 50 प्रदर्श प्रत्येक सहित लगभग 600 वर्ग मी. की तीन विषयक वीथियां | | 220.00 |
| 03 | मार्ग एवं अपेक्षित प्रदर्शों (संख्या 50) लगभग 4 एकड़ क्षेत्र का विज्ञान पार्क | | 70.00 |
| 04 | इन्फलैटेबल गुम्बद वाली तारामंडल प्रणाली (तारामंडल) | | 5.00 |
| 05 | पूर्ण क्रियाशील प्रदर्श विकास प्रयोगशाला | | 9.00 |
| 06 | सभी अपेक्षित अवसंरचना सहित, कंम्प्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, भण्डार और कार्यालय आदि जैसी अन्य सुविधाएं | | 35.00 |
| 07 | भर्ती किये गए कार्मिक सदस्यों का प्रशिक्षण और अन्य विविध खर्चे | | 5.00 |
| 08 | उपकरण, फर्नीचर आदि सहित 3डी थिएटर सुविधा | | 30.00 |
| 09 | विविध (भवन/प्रेक्षागृह संकेतक, म्युरल्स आदि) | | 8.00 |
| 10 | परियोजना कार्मिकों का वेतन एवं यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता | | 40.00 |
| | कुल जोड | | 1450.36 ~ 1450.00 |

**(4) अपेक्षित निधि :–**

विज्ञान केन्द्र (स्कीम 'क') –इस श्रेणी के विज्ञान केन्द्र की अनुमानित लागत 14.50 करोड. रू. होगी। इनकी स्थापना ऐसे स्थानों/क्षेत्रों में जहां विज्ञान केन्द्र कार्यकलाप अभी तक शुरू नहीं हो पाये हैं या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे केन्द्रों के लिए एनसीएसएम के माध्यम से पूर्ण वित्तपोषण उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है। विज्ञान केन्द्र (स्कीम 'ख') –विज्ञान केन्द्र परियोजना (श्रेणी–I) की पूंजी लागत 14.50 करोड़ रू. होगी जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच भागीदारी 50:50 आधार पर होगी।

विज्ञान केन्द्र (स्कीम 'ग') –विज्ञान केन्द्र की पूंजी लागत 14.50 करोड़ रू. होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस विज्ञान केन्द्र परियोजना का पूर्ण वित्तपोषण करेंगे और विज्ञान केन्द्र की स्थापना इस बजट के भीतर एनसीएसएम की तकनीकी सहायता से करेगी।

**(5) पूँजी व्यय की वर्षवार चरण बद्धता** (रूपये करोड़ में)

| स्रोत | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | योग |
|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार | 2.50 | 3.25 | 1.50 | 7.25 |
| | 4.00** | 6.50** | 4.50** | 14.50** |
| राज्य सरकार | 7.25 जो परियोजना प्रारंभ होने के पहले ही अग्रिम के रूप में जारी किए जाने हैं। | | | |

** भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित मामले में:

आयोजित अवधि के दौरान किसी विज्ञान केन्द्र पर परियोजना की अधिक मात्रा में हुई लागत व्यय अथवा लागत बढ़ोतरी को भी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा और उसे आरबीआई सूचकांक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

**6. आवर्ती व्यय:**

आवर्ती व्ययों को सम्पूर्ण रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इनमें वे मामले अपवाद स्वरूप होंगे जिनमें भारत सरकार परियोजना का पूर्ण रूप से वित्त पोषण करने का निश्चय करती है और उसका प्रबन्धन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जैसी एजेंसियों के माध्यम से करती है। वर्तमान समय में, एक विज्ञान केन्द्र के लिए औसत वार्षिक आवर्ती व्यय 60.00 लाख से 75.00 लाख रूपयों के मध्य है। प्रत्येक वर्ष में, केन्द्र के रख–रखाव के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय और वर्ष–पर्यन्त चलने वाले कार्य कलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

**7 प्रचालन:**

विज्ञान केन्द्र का प्रचालन निम्नलिखित प्रचालनीय पद्धतियों से किया जा सकता है:

**स्कीम–'क'**

विज्ञान केन्द्र की स्थापना, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रदत्त निधि से की जाएगी और इसका प्रचालन संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे विज्ञान केन्द्र उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जहां पर विज्ञान केन्द्रों से सम्बंधित कार्यकलाप अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं। भविष्य में, स्कीम के तहत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के, किसी भी मामले में एक से अधिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना नहीं की जाएगी। जिन स्थानों में एनसीएसएम केन्द्र पहले से ही अस्तित्व में हैं, वहां पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तथापि, एनसीएसएम द्वारा स्थापित किए गए परन्तु सम्बन्धित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपे गए केन्द्रों की, आवश्यकता होने पर, उनके उद्देश्यों को पूरा करने और विज्ञान से सम्बन्धित कार्यकलापों के बेहतर समन्वय के लिए एनसीएसएम द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त निधियों से देख–भाल की जा सकती है।

**स्कीम–'ख'**

ऐसे राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जो एक से अधिक विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए इच्छुक हैं या विज्ञान केन्द्रों का त्वरित विकास चाहते हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी बशर्ते वे परियोजना के लिए 50:50 के अनुपात के

आधार पर लागत की हिस्सेदारी सहित निःशुल्क भूमि और केन्द्र की सम्पूर्ण प्रचालन लागत को केन्द्र के विकसित होने और उन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को सौंपने के बाद के व्ययों को वहन करने के लिए सहमत होते हैं।

**स्कीम–'ग'**

इस स्कीम के तहत, उन राज्य सरकारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो विज्ञान केन्द्र परियोजना में पूर्ण रूप से निधियॉ और भूमि तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने में उनको एनसीएसएम द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें राज्य सरकार की लागत पर प्रदर्श शामिल है।

राज्यों को सौंपी गई परियोजनाओं के मामले में, ऐसे विज्ञान केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई एक पंजीकृत सोसाइटी द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित किया जाएगा। तथापि, 'ख' और 'ग' दोनों स्कीमों के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा परियोजना की पूंजी लागत के अपने हिस्से को जारी करने के पश्चात तुरन्त ही सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक सदस्य सोसाइटी का पदेन सदस्य होगा या एनसीएसएम से आंगिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए एक नियंत्रक परिषद होगी। यह सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगी कि विज्ञान केन्द्र अपने उद्देश्यों से विचलित हुए बिना ही परिचालित हो रहा है।

**8. कार्यान्वयन रणनीतिः**

- **निर्माण**

स्कीम–'क' के अन्तर्गत स्थापित किए गए विज्ञान केन्द्र भवनों का निर्माण, अभिकल्पन विकास, सजावट कार्य और भवन की आन्तरिक तथा बाह्य प्रदर्शनियों की स्थापना एनसीएसएम करेगी। केन्द्र का परिचालन एनसीएसएम के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाएगा।

स्कीम–'ख' के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले विज्ञान केन्द्रों का कार्य टर्न– की आधार पर (विज्ञान केन्द्र का निर्माण और स्थापना सहित) एनसीएसएम द्वारा पूरा किया जाएगा और इसके पूर्ण होने पर वह इसको राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को सौंप देगी। राज्य सरकार से उसका शेयर या निधियों के प्राप्त होने के बाद ही एनसीएसएम निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी।

स्कीम–'ग' के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों का कार्य–राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एनसीएसएम से प्राप्त निवेश के अनुसार भवन निर्माण, विज्ञान पार्क आदि के विकास का कार्य एनसीएसएम की सलाह के अनुसार किया जाएगा। एनसीएसएम द्वारा परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

- **कर्मचारियों की भर्ती**

स्कीम–'क' के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र–विज्ञान केन्द्रों के परिचालन के लिए एनसीएसएम द्वारा आवश्यक मानवशक्ति की भर्ती और प्रशिक्षण दिया जाएगा। विज्ञान केन्द्र के लिए आवश्यक मुख्य कार्मिक संख्या की संस्वीकृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी और एनसीएसएम को आवश्यक निधियों का आबंटन वार्षिक रूप में किया जाएगा।

स्कीम–'ख' के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र– ऐसे विज्ञान केन्द्रों का प्रचालन और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा गठित की गई पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से गठित की गई पंजीकृत सोसाइटी द्वारा निधियों के जारी होने के 3 माह के अन्दर आवश्यक मुख्य कर्मचारी सदस्यों की भर्ती का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एनसीएसएम द्वारा कार्मिकों की भर्ती के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुचित अभिवृति के उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। यदि 3 माह के अन्दर भर्ती नहीं की जाती है तो, एनसीएसएमए सम्बन्धित राज्य सरकार/परियोजना के स्थानीय समन्वयक निकाय के परामर्श से मुख्य कर्मचारियों की भर्ती करेगी। परियोजना के सौंपने के पश्चात, एनसीएसएम द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के भुगतानों की देनदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए ली जाएगी कि लाभार्थियों को परियोजना को सौंपने के समय पर प्राप्त होने वाले वेतन बाद में भी प्राप्त होते रहें।

स्कीम–'ग' के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र–ऐसे विज्ञान केन्द्रों का परिचालन और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा गठित पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। परियोजना के प्रारंभ होने पर तुरन्त ही सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गठित पंजीकृत सोसाइटीए आवश्यक मुख्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य, निर्माण कार्य के प्रारंभ होने के 3 माह के अन्दर पूरा कर लेगी। एनसीएसएम राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित अभिवृत्ति के उम्मीदवारों का चयन हो सके।

- **प्रशिक्षण**

स्कीम–'क' के अधीन स्थापित विज्ञान केन्द्र–ऐसे विज्ञान केन्द्रों के प्रचालन के लिए आवश्यक मुख्य कर्मचारियों की भर्ती और विज्ञान केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण एनसीएसएम द्वारा प्रदान किया जाएगा।

स्कीम–'ख' और 'ग' के अन्तर्गत स्थापित विज्ञान केन्द्र–पंजीकृत सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को, एनसीएसएम की किसी भी इकाई में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार उनको परियोजना पूरी होने के कम से कम एक वर्ष पहले विज्ञान केन्द्र के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में आवश्यक प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करेगी। ऐसे प्रशिक्षण की लागत/व्यय को राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

**9. भर्ती की अनुसूची:**

| क्र. सं | राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि की तारीख से 3 माह के अन्दर भर्ती करके तैनात किए जाने हेतु | | राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि की तारीख से एक वर्ष के अन्दर भर्ती करके तैनात किए जाने हेतु | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | क्यूरेटर | 02 | सहायक (सामान्य) | 01 |
| 02 | शिक्षा सहायक (सामान्य) | 02 | उच्च श्रेणी लिपिक | 01 |
| 03 | शिक्षा सहायक तकनीकी | 01 | कनिष्ठ आशुलिपिक | 01 |
| 04 | तकनीशियन | 08 | अवर श्रेणी लिपिक | 02 |
| | | 13 | योग | 05 |
| | जोड़ | | कुल जोड़–18 | |

**10. समय–सूची:**

किसी भी विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए अपेक्षित समयावधि 33 माह है।

**11 अन्तर्वस्तु:**

सम्पूर्ण भवन में कवर किया गया क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर (लगभग) होगा, जिसका 1800 वर्गमीटर प्रदर्शों के प्रदर्शन हाल के रूप में, 1200 वर्गमीटर दर्शकों के कार्यकलाप/गतिविधि क्षेत्र के रूप में और शेष 1000 वर्ग का उपयोग प्रदर्श विकास प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के रूप में किया जाएगा। भूतल–क्षेत्र के विस्तार का भी प्रावधान किया जाएगा।

विज्ञान केन्द्र में सामान्य रूप में निम्नलिखित वीथियों और सुविधाओं की स्थापना की जाएगी:

**घ स्थायी वीथियां:**

- विषयपरक वीथियां: केन्द्र में दो विषयपरक वीथियां होंगी। केन्द्र की वीथियां अपनी प्रकृति में बहु–विषयक होंगी, जो वैज्ञानिक महत्व और सामाजिक सरोकारों पर आधारित होंगी। प्रदर्श, अधिकांश की संगति प्राप्त होगी। रूप में परस्पर विचार–विमर्श वाले होंगे। इनका अनुपूरण दृश्य, उदाहरण और कला–वस्तुओं से किया जाएगा इन वीथियों में चयनित विषय के पहलुओं का प्रतिबिम्बन इस प्रकार से होगा कि वह विषय विद्यार्थियों और आम जनता की समझ में सरलता से आ जाए।
- मनोरंजक विज्ञान: भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भू–विज्ञान, इलैक्ट्रोनिक, जीवन विज्ञान, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना–प्रौद्योगिकी का एक परस्पर संवादी समूह इस वीथि का निर्माण करेगा। प्रदर्शों से विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या में सहायता प्राप्त होगी और दर्शकों को विज्ञान की शिक्षा मनोरंजनक लगेगी।

**ड. अस्थायी प्रदर्शनी हाल:**

इस हाल में महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ अन्तरालों और विभिन्न अवसरों पर अस्थायी प्रदर्शनियों के आयोजन किए जाएंगे।

**1 आउटडोर विज्ञान पार्कः**

विज्ञान को चार–दीवारी से बाहर लाया गया है। पार्क की हरी–भरी हरीतिमा में परस्पर संवादी प्रदर्शों को सौन्दर्यात्मक रूप में रखा गया है। विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखने के समय बच्चे उनके साथ खेलते हैं। दर्शकों के लिए वाटर बॉडी, एवियरी, एनीमैलोरियम, जड़ी–बूटियों और चिकित्सीय पौधे संबंधी कार्नर, पिकनिक क्षेत्र आदि अतिरिक्त आकर्षण के केन्द्र हैं।

**2 तारामण्डलः**

इनफ्लैटेबल डोम प्लैनेटेरियम, खगोल विज्ञान को सीखने में श्रेष्ठ प्रकार के परस्पर संवाद को प्रदान कर सकता है। केन्द्र में यह कार्यक्रम नियमित रूप में आयोजित किया जाएगा।

**3. प्रदर्श विकास प्रयोगशालाः**

भविष्य में, इसको प्रदर्शों के अनुरक्षण और प्रदर्शों के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यह प्रयोगशाला औजारों और फिटिंग, कार्पेंटरी, शीट मेटल, वेल्डिंग, विद्युतीय, इलैक्ट्रोनिक्स और पेंटिंग कार्य की मशीनरियों से युक्त रहेगी।

**4. चल विज्ञान प्रदर्शनी (वैकल्पिक):**

केन्द्र की चल विज्ञान प्रदर्शनी (एमएसई) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के दौरे करेगी और विज्ञान और पर्यावरणीय विषयों पर वर्ष भर प्रदर्शनियों के आयोजन करेगी।

**च. अन्य सुविधाएँः**

कम्प्यूटर प्रशिक्षण–कक्ष, विज्ञान पुस्तकालय, सम्मेलन–कक्ष, कार्यालय, स्टोर आदि।

**1. शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

केन्द्र विद्यार्थियों, अध्यापकों और आम लोगों के लिए विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान, लोकप्रिय व्याख्यान, सृजनात्मक योग्यता कार्यक्रम, दूरबीन के माध्यम से आकाश–निरीक्षण, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान सेमिनार और विज्ञान मेले, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय जागरूकता कार्यक्रम, अंध–विश्वास विरोधी कार्यक्रम, विज्ञान फिल्म शो आदि जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करेगा। इन उद्देश्यों के लिए एक प्रशिक्षण हाल और एक 150 लोगों के बैठने की क्षमता वाले सभागार का उपयोग किया जाएगा।

एक आदर्श विद्यालय विज्ञान केन्द्र होगा जिसमें विद्यार्थी विज्ञान में प्रयोग और विज्ञान के मॉडलों के निर्माण के माध्यम से विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखेंगे, जिसको शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इससे स्कूलों में दी जा रही विज्ञान की औपचारिक शिक्षा में मदद मिलेगी। इसमें एक बाल–कार्यकलाप कार्नर भी होगा।

| कार्यक्रम अनुसूची | | आदेश देने की तारीख से |
|---|---|---|
| क | भवन निर्माण | 24 माह |
| ख | विज्ञान पार्क का विकास | 12 माह |
| ग | प्रदर्शों का निर्माण | 30 माह |
| घ | प्रदर्शों का संस्थापन | 03 माह (सुविधाओं के पूर्ण होने के पश्चात) |
| ड | केन्द्र का प्रारंभ | 33 माह (लगभग) |

**2. सरकारी क्लियरेंस :**

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार/अन्य निकायों आदि के स्थानीय प्राधिकारियों से अन्य सभी सांविधिक क्लियरेंस और अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

### श्रेणी–II (उप–क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र)

(ख) 5 लाख से 15 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर/नगर और पहाड़ी इलाकों और द्वीप प्रदेशों में स्थित विज्ञान केंद्र

**1. भूमि :**

राज्य सरकार द्वारा कम से कम 5.0 एकड़ विकसित भूमि (बेहतर होगा कि कोई उथला क्षेत्र न हो और सम आकार हो) बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीप प्रदेशों आदि के लिए 2.5 एकड़ भूमि प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उस भूमि के आस–पास का क्षेत्र अच्छा हो।

**2. पूंजी व्यय :**

श्रेणी II का विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित पूंजी निधि 5.00 करोड़ रू. है। तथापि, पहाड़ी इलाकों, द्वीप प्रदेशों और दुर्गम पहुंच वाले क्षेत्रों के लिएए विज्ञान केंद्र की पूंजी लागत 6.00 करोड़ रू. होगी। ऐसे केंद्रों की संख्या प्रति राज्य/संघ शासित प्रदेश में एक केंद्र तक ही समिति होगी। विज्ञान केंद्र हेतु आवश्यक भूमि, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा बिना किसी लागत के उपलब्ध कराई जाएगी।

**3. लागत का विस्तृत ब्यौरा**

| क्र. सं. | कार्य/व्यय की मदें | | राशि (लाख रू. में) |
|---|---|---|---|
| | लगभग 1500 वर्ग मी. के कवर क्षेत्र सहित एस आर एस सी मुख्य भवन, प्लम्बिंग और स्वच्छता सहित सिविल निर्माण | 320.76 | |
| 01. | वैद्युत कार्य एवं वातानुकूलन | 40.09 | |
| | प्रेक्षागृह के लिए कुर्सियां | 2.00 | |
| | वास्तुकार शुल्क | 13.53 | 376.38 |
| 02. | 250 वर्ग मी. की दो थीमैटिक वीथियां (25 प्रदर्श) | | 70.00 |
| 03. | मार्ग एवं अपेक्षित प्रदर्शों सहित लगभग 3 एकड़ क्षेत्र का विज्ञान पार्क | | 20.00 |
| 04. | इनफ्लैटेबल गुम्बद वाला तारामंडल | | 5.00 |
| 05. | पूर्णतः क्रियाशील प्रदर्श विकास प्रयोगशाला | | 5.00 |
| 06. | सभी अपेक्षित अवसंरचनाओं सहित कम्प्यूटर प्रशिक्षण क्षेत्र, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, भंडार और कार्यालय आदि जैसी अन्य सुविधाएं | | 10.00 |
| 07. | परियोजना स्टाफ का वेतन, यात्रा भत्ता एवं महंगाई भत्ता | | 15.00 |
| | कुल योग | | 501.38 |
| | अर्थात् | | 500.00 लाख |
| | पूर्वोत्तर तथा अन्य पहाड़ी इलाके के लिए | | 600.00 लाख |

**4. अपेक्षित निधि :–**

विज्ञान केन्द्र (स्कीम 'क')–इस श्रेणी के विज्ञान केन्द्र की अनुमानित लागत 5.00 करोड. रू. होगी। इनकी स्थापना ऐसे स्थानों/क्षेत्रों में जहां विज्ञान केन्द्र कार्यकलाप अभी तक शुरू नहीं हो पाये हैं या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की जा सकती है। तथापि, पहाड़ी इलाकों, द्वीप प्रदेशों और दुर्गम पहुंच वाले दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए, विज्ञान केंद्र की पूंजीगत लागत 6.00 करोड़ रू. होगी। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ऐसे केन्द्रों के लिए एनसीएसएम के माध्यम से पूर्ण वित्तपोषण उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है।

विज्ञान केन्द्र (स्कीम 'ख') –विज्ञान केन्द्र परियोजना (श्रेणी-II) की पूंजी लागत 5.00/6.00 करोड़ रू. होगी जिसमें राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच भागीदारी 50:50 आधार पर होगी।

विज्ञान केन्द्र (स्कीम 'ग') –विज्ञान केन्द्र परियोजना की पूंजी लागत 5.00/6.00 करोड़ रू. होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस विज्ञान केन्द्र परियोजना का पूर्ण वित्तपोषण करेगी और विज्ञान केन्द्र की स्थापना इस बजट के भीतर एनसीएसएम की तकनीकी सहायता से करेगी।

**5. पूँजी व्यय की वर्षवार चरण बद्धता** **(करोड़ रूपये में)**

| स्रोत | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | योग |
|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 2.50 |
| | 1.00** | 2.50** | 1.50** | 5.00** |
| राज्य सरकार | 2.50 परियोजना प्रारंभ होने के पहले ही अग्रिम के रूप में जारी किये जाने हैं। | | | |

** भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित मामले में:

अधिक मात्रा में हुई लागत व्यय को भी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा।

**6. आवर्ती व्ययः**

आवर्ती व्ययों को सम्पूर्ण रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, इनमें वे मामले अपवाद स्वरूप होंगे जिनमें भारत सरकार परियोजना का पूर्ण रूप से वित्तपोषण करने का निश्चय करती है और उसका प्रबन्धन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद जैसी एजेंसियों के माध्यम से करती है। वर्तमान समय में, एक विज्ञान केन्द्र के लिए औसत वार्षिक आवर्ती व्यय 30.00 लाख से 40.00 लाख रूपयों के मध्य है। प्रत्येक वर्ष में, केन्द्र के रख–रखाव के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय और वर्ष–भर चलने वाले कार्यकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

**7. प्रचालनः**

विज्ञान केन्द्र का प्रचालन निम्नलिखित प्रचालनीय पद्धतियों से किया जा सकता है:

**स्कीम–'क'**

विज्ञान केन्द्र की स्थापना, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रदत्त निधि से की जाएगी और इसका प्रचालन संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे विज्ञान केन्द्र उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या राज्यों में स्थापित किए जाएंगे जहॉ पर विज्ञान केन्द्रों से सम्बंधित कार्यकलाप अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं। भविष्य में, स्कीम के तहत किसी भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र केए किसी भी मामले में एक से अधिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना नहीं की जाएगी। जिन स्थानों में एनसीएसएम केन्द्र पहले से ही अस्तित्व में है, वहॉ पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तथापिए एनसीएसएम द्वारा स्थापित किए गए परन्तु सम्बन्धित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपे गए केन्द्रों की, आवश्यक होने पर, उनके उद्देश्यों को पूरा करने और विज्ञान से सम्बन्धित कार्यकलापों के बेहतर समन्वय के लिए एनसीएसएम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त निधियों से देख–भाल की जा सकती है।

**स्कीम–'ख'**

ऐसी राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन जो एक से अधिक विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए इच्छुक हैं या विज्ञान केन्द्रों का त्वरित विकास चाहते हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते, वे परियोजना के लिए 50:50 के अनुपात के आधार पर लागत की हिस्सेदारी सहित निःशुल्क भूमि और केन्द्र की सम्पूर्ण प्रचालन लागत को केन्द्र के विकसित होने और उन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सौंपने के बाद के व्ययों को वहन करने के लिए सहमत होते हैं।

**स्कीम–'ग'**

इस स्कीम के तहत, उन राज्य सरकारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो विज्ञान केन्द्र परियोजना में पूर्ण रूप से निधियॉ और भूमि तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने में उनको एनसीएसएम द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें राज्य सरकार की लागत पर प्रदर्श शामिल हैं।

राज्यों को सौंपी गई परियोजनाओं के मामले में, ऐसे विज्ञान केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा गठित की गई एक पंजीकृत सोसाइटी द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित किया जाएगा।

तथापि, 'ख' और 'ग' दोनों स्कीमों के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा परियोजना की पूंजी लागत के अपने हिस्से को जारी करने के पश्चात तुरन्त ही सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक सदस्य सोसाइटी का पदेन सदस्य होगा या एनसीएसएम से आंगिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए एक नियंत्रक परिषद होगी। यह सोसाइटी यह सुनिश्चित करेगी कि विज्ञान केन्द्र अपने उद्देश्यों से विचलित हुए बिना ही परिचालित हो रहा है।

**8. कार्यान्वयन रणनीतिः**

**i. निर्माण**

स्कीम–'क' के अन्तर्गत स्थापित किए गए विज्ञान केन्द्र–भवनों का निर्माण, अभिकल्पन विकास, सजावट कार्य और भवन की आन्तरिक तथा बाहय प्रदर्शनियों की स्थापना एनसीएसएम करेगी। केन्द्र का परिचालन एनसीएसएम के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाएगा।

स्कीम–'ख' के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले विज्ञान केन्द्र–एनसीएसएम द्वारा विज्ञान केंद्र का कार्य टर्न–की आधार पर (विज्ञान केन्द्र का निर्माण और स्थापना सहित) पूरा किया जाएगा और इसके पूर्ण होने पर वह इसको राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र को सौंप देगी।

राज्य सरकार से उसका शेयर या निधियों के प्राप्त होने के बाद में ही एनसीएसएम निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगी।

स्कीम–'ग' के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले केन्द्र–राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एनसीएसएम से प्राप्त निवेश के अनुसार भवन निर्माण, विज्ञान पार्क आदि के विकास का कार्य एनसीएसएम की सलाह के अनुसार किया जाएगा। एनसीएसएम द्वारा परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।

**ii. कर्मचारियों की भर्ती**

स्कीम–'क' के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र–विज्ञान केन्द्रों के परिचालन के लिए एनसीएसएम द्वारा आवश्यक मानवशक्ति की भर्ती और प्रशिक्षण दिया जाएगा। विज्ञान केन्द्र के लिए आवश्यक मुख्य कार्मिक संख्या की संस्वीकृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी और एनसीएसएम को आवश्यक निधियों का आबंटन वार्षिक रूप में किया जाएगा।

स्कीम–'ख' के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र– ऐसे विज्ञान केन्द्रों का परिचालन और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा गठित की गई पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से गठित की गई पंजीकृत सोसाइटी द्वारा निधियों के जारी होने के 3 माह के अन्दर आवश्यक मुख्य कर्मचारी सदस्यों की भर्ती का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एनसीएसएम द्वारा कार्मिकों की भर्ती के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुचित अभिवृति के उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। यदि 3 माह के अन्दर भर्ती नहीं की जाती है तो, एनसीएसएम सम्बन्धित राज्य सरकार/परियोजना के स्थानीय समन्वयक निकाय के परामर्श से मुख्य कर्मचारियों की भर्ती करेगी। परियोजना को सौंपने के पश्चात, एनसीएसएम द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के भुगतानों की देनदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए ली जाएगी कि लाभार्थियों को परियोजना सौंपने के समय प्राप्त होने वाले वेतन बाद में भी प्राप्त होते रहें।

स्कीम–'ग' के अन्तर्गत विज्ञान केन्द्र–ऐसे विज्ञान केन्द्रों का परिचालन और अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा गठित पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। परियोजना के प्रारंभ होने पर तुरन्त ही सोसाइटी का गठन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गठित पंजीकृत सोसाइटी, आवश्यक मुख्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य, निर्माण कार्य के प्रारंभ होने के 3 माह के अन्दर पूरा कर लेगी। एनसीएसएम राज्य सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित अभिवृत्ति के उम्मीदवारों का चयन हो सके।

**iii. प्रशिक्षण**

स्कीम–'क' के अधीन स्थापित विज्ञान केन्द्र–ऐसे विज्ञान केन्द्रों के परिचालन के लिए आवश्यक मुख्य कर्मचारियों की भर्ती और विज्ञान केन्द्रों के परिचालन और अनुरक्षण के लिए कर्मचारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण एनसीएसएम द्वारा प्रदान किया जाएगा।

स्कीम–'ख' और 'ग' के अन्तर्गत स्थापित विज्ञान केन्द्र–पंजीकृत सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को, एनसीएसएम की किसी भी इकाई में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार उनको परियोजना पूरी होने के कम से कम एक वर्ष पहले विज्ञान केन्द्र के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में आवश्यक प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करेगी। ऐसे प्रशिक्षण की लागत/व्यय को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

**8. भर्ती की अनुसूचीः**

| क्र. सं. | राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि की तारीख से 3 माह के अन्दर भर्ती करके तैनात किए जाने हेतु | | राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि की तारीख से एक वर्ष के अन्दर भर्ती करके तैनात किए जाने हेतु | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | क्यूरेटर | 01 | अवर श्रेणी लिपिक | 02 |
| 02 | शिक्षा सहायक | 01 | | |
| 03 | तकनीकी सहायक | 04 | - | - |
| | **योग** | 06 | | 02 |
| **महायोग– 08** | | | | |

**9. समय–सूचीः**

किसी भी विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए अपेक्षित समयावधि 27 माह है।

**10. अन्तर्वस्तुः**

सम्पूर्ण भवन में कवर किया गया क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर (लगभग) होगा, जिसका 800 वर्ग मीटर प्रदर्शों के प्रदर्शन हाल के रूप में, 200 वर्गमीटर दर्शकों के कार्यकलाप/गतिविधि क्षेत्र के रूप में और शेष 500 वर्ग का उपयोग प्रदर्श विकास प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के रूप में किया जाएगा। भूतल–क्षेत्र के विस्तार का भी प्रावधान किया जाएगा।

विज्ञान केन्द्र में सामान्य रूप में निम्नलिखित वीथियों और सुविधाओं की स्थापना की जाएगीः

**10.1 स्थायी वीथियांः**

विषयपरक वीथियॉः केंद्र की मुख्य वीथिका वैज्ञानिक महत्व के साथ–साथ पर्यावरण, वन, पर्वत, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय संसाधनों और उनके उचित उपयोग पर विशेष रूप से बल देने के साथ–साथ देशी प्रौद्योगिकी जैसे सामाजिक प्रासंगिकता के विषय पर आधारित होगी। अधिकतर प्रदर्श परस्पर संवादी प्रकृति के होंगे तथा उनकी अनुपूर्ति दृश्यों चित्रों और कलाकृतियों के साथ की जाएगी।

मनोरंजक विज्ञानः भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, भू–विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक, जीवन विज्ञान, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना–प्रौद्योगिकी का एक परस्पर संवादी समूह इस वीथि का निर्माण करेगा। प्रदर्शों से विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या में सहायता प्राप्त होगी और दर्शकों को विज्ञान की शिक्षा मनोरंजक लगेगी।

**10.2 भवन–बाह्य विज्ञान पार्कः**

विज्ञान को, चार–दीवारी से बाहर लाया गया है। पार्क की हरी–भरी हरीतिमा में परस्पर संवादी प्रदर्शों को सौन्दर्यात्मक रूप में रखा गया है। विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखने के समय पर बच्चे उनके साथ में खेलते हैं। दर्शकों के लिए वाटर बाडी, एवियरी, एनीमैलोरियम, जड़ी–बूटियों और चिकित्सीय पौधों का कार्नर, आंगतुकों के लिए पिकनिक क्षेत्र आदि अतिरिक्त आकर्षण के केन्द्र हैं।

**10.3 तारामण्डलः**

इनफ्लैटेबिल डोम प्लैनेटेरियम, खगोल विज्ञान को सीखने में सर्वोत्तम प्रकार के परस्पर संवाद को प्रदान कर सकता है। केन्द्र में यह कार्यक्रम नियमित रूप में किया जाएगा।

**10.4. प्रदर्श विकास प्रयोगशालाः**

भविष्य में, इसको प्रदर्शों के अनुरक्षण और प्रदर्शों और किटों के विकास के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

**10.5 अन्य सुविधाएँः**

अस्थायी प्रदर्शनी हॉल, विज्ञान पुस्तकालय, सम्मेलन–कक्ष, कार्यालय, स्टोर आदि।

### 10.5.1 शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमः

केन्द्र विद्यार्थियों, अध्यापकों और सामान्य जनों के लिए विज्ञान प्रदर्शन व्याख्यान, लोकप्रिय व्याख्यान, सृजनात्मक योग्यता कार्यक्रम, दूरबीन के माध्यम से आकाश–निरीक्षण, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान सेमिनार और विज्ञान मेले, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय जागरूकता कार्यक्रम, अंध–विश्वास विरोधी कार्यक्रम, विज्ञान फिल्म शो आदि जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करेगा। इन उद्देश्यों के लिए एक प्रशिक्षण हाल और 150 कुर्सियों वाले एक सभागार का उपयोग किया जाएगा।

यहां पर एक आदर्श विद्यालय विज्ञान केन्द्र होगा जिसमें विद्यार्थी विज्ञान में प्रयोग और विज्ञान के मॉडलों को बनाने के माध्यम से विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सीखेंगे, जिसको शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह, विद्यालयों में दी जा रही औपचारिक विज्ञान शिक्षा का अनुपूरक होगा। इसमें एक बाल–कार्यकलाप कार्नर भी होगा।

### 10.5.2 परियोजना अवधि

| | कार्यक्रम सूची | आदेश देने की तारीख से |
|---|---|---|
| क. | भवन का निर्माण | 18 माह |
| ख. | विज्ञान पार्क का विकास | 12 माह |
| ग. | प्रदर्शों का निर्माण | 24 माह |
| घ. | प्रदर्शों का स्थापन | 03 माह (अन्य सुविधाओं के पूर्ण होने के पश्चात) |
| ड. | केन्द्र का प्रारंभ | 27 माह (लगभग) |

### 10.5.3 सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार/अन्य निकाय आदि के स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण–पत्र और अनुमोदन आदि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

### विशेष टिप्पणी

1. विज्ञान केन्द्र की भूमि का चयन एनसीएसएम के परामर्श और अनुमोदन से किया जाएगा।
2. विज्ञान केन्द्र के लिए इंगित भूमि सब प्रकार की बाधाओं और अधिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। यह पूर्णतः विकसित भूमि होनी चाहिए जिसके आस–पास के क्षेत्रों में बिजली, जल, सीवरेज कनेक्शन और दूरसंचार सुविधा भी उपलब्ध हो। यह भूमि मुख्य सड़क से भली प्रकार से जुड़ी हो ताकि वहां पहुँचने और परिवहन की सुगमता हो।
3. जैसा कि उपर्युक्त प्रस्ताव में दर्शाया गया है, कोर स्टाफ के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सेवाओं को आऊटसोर्स से करवाया जा सकता है।
4. विज्ञान केन्द्र को, स्थानीय जनसंख्या में वृद्धि और केन्द्र में आने वाले आगंतुकों की संख्या के आधार पर, आवश्यकतानुसार, भविष्य में विस्तार करने की संभावना उपलब्ध कराने की दृष्टि से, मॉड्यूलर आकार में निर्मित किया जाएगा।
5. पहाड़ी इलाकों, द्वीप प्रदेशों, दूर दराज के क्षेत्रों आदि में स्थित विज्ञान केंद्रों के लिए, पूंजीगत लागत को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 90:10 के आधार पर बांटने पर विचार किया जा सकता है।

***

# 15

# राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता–अनुदान

**क. नाम**

इस स्कीम को 'राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता–अनुदान प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जाना जाएगा।

**ख. उद्देश्य**

(1) उन सुविख्यात राष्ट्रीय विभूतियों की भूमिका को याद करना जिन्होंने हमारे देष के इतिहास में योगदान किया है और इसमें ऐतिहासिक भूमिका अदा की है;

(2) उनके जीवन और कार्यकलापों तथा भारतीय विरासत के प्रति उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाष डालना;

(3) सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में उनके योगदान की व्याख्या और सम्प्रेषण करना;

(4) विषेषकर नौजवान पीढ़ी को जागरूक करके, राष्ट्र के प्रति ऐसी विभूतियों के योगदान के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना

**ग. कार्यक्षेत्र**

1. स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के स्मारकों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :–

   (क) केन्द्र सरकार की पहल पर स्थापित स्मारक ;

   (ख) राज्य सरकार और/अथवा नगर निकायों की पहल पर स्थापित स्मारक; और

   (ग) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा स्थापित स्मारक।

2. जहां तक प्रवर्ग (क) का संबंध है, सामान्यतः संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार इस संबंध में निर्णय लेगा तथा अपने स्वयं के बजट से निधियां प्रदान करेगा।

3. जहॉ तक स्मारक स्थापित करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध का प्रष्न है, सहायता की मात्रा के संबंध में सामान्यतः अलग–अलग मामलों के गुणावगुणों पर निर्णय किया जाएगा।

4. स्वैच्छिक संगठनों/नगर निकायों के मामले में केन्द्र सरकार का अनुदान, केवल अनुदान के अनुपूरक के रूप में दिया जाएगा, जो राज्य सरकार से प्राप्त हो।

5. स्कीम ऐसे संगठनों पर लागू नहीं होगी जो धार्मिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

**घ. सहायता राशि की मात्रा**

1. एक स्मारक के लिए वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपये होगी।

2. वित्तीय सहायता की राषि का निर्णय मामले के गुणावगुण आधार पर एक विषेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।

3. 3(i) (ख) और 3(ii) (ग) के मामले में, सहायता, समुचित किस्तों में और केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा संस्वीकृत पिछली किस्तों का उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।

4. इस मंत्रालय में लेखों के संपरीक्षित विवरण, उपयोग प्रमाण–पत्र और लोक निर्माण विभाग/सिविल अभियन्ता (भवन के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान के मामले में) से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पष्चात् अंतिम किस्त जारी की जाएगी।

**ड. स्वैच्छिक संगठनों / नगर निकायों के मामले में पात्रता का मापदण्ड**

1. आवेदक एजेंसी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत अथवा इस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत एक सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
2. अनुदान के लिए आवेदन करने से पूर्व, इसे कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए, परन्तु अपवादस्वरूप मामलों में, भारत सरकार द्वारा ऐसी अवधि में ढील दी जा सकती है।
3. आवेदक एजेंसी अखिल भारतीय स्वरूप की होनी चाहिए।
4. इसे वित्तीय रूप से मजबूत, सुविधाओं, संसाधन और कार्मिकों से युक्त होना चाहिए ताकि स्मारक, जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है, का रख–रखाव किया जा सके।
5. सरकार की नीति को दृष्टि में रखते हुए, उन संस्थाओं / संगठनों को वरीयता दी जायेगी, जो नये स्मारक स्थापित करने के बजाय विकासात्मक कार्यक्रम शुरू करने करने का प्रस्ताव करते हैं।
6. विहित सीमा के भीतर विद्यमान स्मारकों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए कुछ सहायता पर विचार किया जायेगा।
7. नये भवनों के निर्माण हेतु अनुदान नहीं दिए जायेंगे।
8. आवेदन–पत्र अनिवार्यतः राज्य सरकार की सिफारिषों के साथ भेजे जायेंगे।
9. राज्य की केवल एक सोसायटी / न्यास पर विषिष्ट स्मारक हेतु अनुदान के लिए विचार किया जायेगा।

**च. प्रकिया**

आवेदन–पत्र निम्नांकित कागजातों के साथ संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए :–

1. संगठन की संरचना ;
2. प्रबंधन मंडल की संरचना और प्रत्येक सदस्य का विवरण;
3. उपलब्ध अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट की प्रति तथा साथ ही पिछले तीन वर्षों के लिए संस्थान / संगठन के आय और व्यय का विवरण और किसी सनदी लेखाकार अथवा सरकारी लेखा परीक्षक से प्रमाणित पिछले वर्ष के तुलन–पत्र की प्रति;
4. राज्य–सरकार की सिफारिष;
5. परियोजना, जिसके लिए सहायता मॉगी गई है, का एक विस्तृत विवरण और इसके कार्यान्वयन की समय–सूची;
6. परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ की अर्हताएं और अनुभव;
7. परियोजना का वित्तीय विवरण, जिसमें पृथक रूप से आवर्ती और अनावर्ती व्यय का मद–वार ब्यौरा हो और स्रोत, जिससे दूसरे पक्ष की निधियॉ प्राप्त की जायेंगी;
8. संबंधित सोसाइटी / न्यास के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि;

**छ. विशेष प्रावधान**

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपने चयन द्वारा किसी भी एजेंसी के माध्यम से या सीधे संबंधित विषय पर कोई भी परियोजना शुरू कर सकता है और उस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम से परियोजना के लिए ऐसी किसी भी राशि का वित्त पोषण कर सकता है जो वह उचित समझे।

*****

# 16

# स्वैच्छिक संगठनों को शताब्दी/जयंती मनाने के लिए सहायता अनुदान

## क. नाम

यह स्कीम स्वैच्छिक संगठनों को 'शताब्दियाँ/जयंतियाँ आयोजित करने हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने की स्कीम' के नाम से जानी जाएगी।

## ख. उद्देश्य

स्कीम का उद्देष्य महान विभूतियों के जीवन और उनके काल से संबंधित प्रमुख पहलुओं पर प्रकाष डालना है ताकि जनता और, विषेषकर युवकों में इन महान विभूतियों का जज्बा भरा जा सके।

## ग. कार्य क्षेत्र

स्कीम के उद्देष्य को प्राप्त करने हेतु पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य और राष्ट्रीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

## घ. सहायता की प्रकृति

1. स्कीम के अंतर्गत उपयुक्त कार्यक्रमों के लिए किसी भी स्वैच्छिक संगठन को एक लाख रूपए तक की राषि का अनुदान।
2. जयंती वर्ष अर्थात् 125 वीं, 150वाँ, 175वाँ, और ऐसे ही वर्षगांठ समारोहों के मामले में अधिकतम 40,000/– रूपये (चालीस हजार रूपये मात्र) तक का अनुदान।
3. अनुदान की राषि उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के कुल व्यय के 75 प्रतिषत से अधिक नहीं होगी। व्यय का शेष 25 प्रतिषत संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
4. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपनी इच्छा की किसी एजेंसी के जरिए या सीधे ही इस विषय पर कोई परियोजना शुरू कर सकता है और परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त राषि से स्कीम के तहत परियोजना को वित्तपोषित कर सकता है।

## ङ. पात्रता मानदंड

1 यह अनुदान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/न्यास के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाएगा।

2 सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रचार तथा प्रस्तुतीकरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए अनुदान।

3 उन सुविख्यात विभूतियों की शताब्दियों/जयंतियों के आयोजन हेतु ऐसे अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है तथा कलाओं, ललित कलाओं और आधुनिक भारतीय वास्तुकलाओं इत्यादि सहित सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सुधारों, आध्यात्मिक मूल्यों, संस्कृति और षिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है।

4 प्रत्येक आवेदन की उसके गुणावगुणों के आधार पर जाँच की जाएगी।

5 यह मंत्रालय, इस स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए अनुरोध करने वाले संगठन के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं के संबंध में जहॉ–कहीं आवष्यक हुआ, राज्य सरकार से सलाह लेगा।

6 किसी एक सुविख्यात व्यक्ति विषेष की शताब्दी/जयंती मनाने के लिए पाँच से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। सामान्यतः किसी एक स्थान (कस्बा/नगर) के लिए एक से अधिक संगठन को अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए।

7 समारोह के भाग के रूप में स्मारकों के निर्माण के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा।

8 जी. एफ. आर. में यथा निर्धारित शर्तों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए अन्य वित्तीय अनुदेषों का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा।

9 उक्त अनुदान, संयुक्त सचिव (संस्कृति) के अनुमोदन से संस्वीकृत किया जाएगा।

10 केन्द्र सरकार द्वारा मनाई जाने वाली शताब्दी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सामान्यतः वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसे किसी संगठन को इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय समिति द्वारा न चुना गया हो।

**च. आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रकिया**

अनुदानों के लिए आवेदन पत्र संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजा जाना चाहिए :

1 प्रस्तावित शताब्दी/जयंती समारोह के संबंध में, जिसके लिए वित्तीय सहायता संबंधी अनुरोध किया गया है, समयावधि सहित विस्तृत विवरण।

2 एक वित्तीय विवरण, जिसमें व्यय का मद–वार ब्यौरा दिया गया हो।

3 संगठन का पिछले तीन वर्षों का आय–व्यय का संपरीक्षित विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट।

4 संगठन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति।

5 संगठन की संरचना /संगम ज्ञापन/लक्ष्य और उद्देष्य।

6 नाम एवं पता सहित विषेषज्ञों का ब्यौरा।

7 उस व्यक्ति का प्रकाषित जीवन वृत्त, जिसकी जन्म शताब्दी/वर्षगांठ आयोजित की जानी है और उस पुस्तक का नाम जहां से यह लिया गया है। जीवनवृत्त में जन्म तिथि और उनके द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख होना चाहिए (अंग्रेजी या हिन्दी में)।

*****

# 17

# बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम

**क. उद्देश्यः**

इस स्कीम का उद्देष्य बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और परम्परा के प्रचार–प्रसार एवं वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में कार्यरत मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

**ख. अनुदान के लिए मानदंडः**

1. स्वैच्छिक संस्था/संगठन और सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) अथवा सदृष अधिनियमों के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
2. केवल वही संगठन अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जो मुख्यतः बौद्ध/तिब्बती अध्ययन कार्यों में लगे हैं तथा कम से कम गत तीन वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
3. संगठन क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय स्तर का होना चाहिए।
4. यह अनुदान तदर्थ आधार पर दिया जाएगा तथा इसका स्वरूप अनावर्ती प्रकृति का होगा।
5. इस स्कीम के अंतर्गत केवल उन्हीं संगठनों को अनुदान दिया जाएगा, जिन्हें ऐसे ही प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से अनुदान प्राप्त नहीं होता है।
6. हॉस्टल भवन, कक्षा, विद्यालय भवन और प्रषिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
7. ऐसे संगठनों को वरीयता दी जाएगी, जिनका संबंधित क्षेत्र में किया जा रहा कार्य अच्छा है तथा जिनके पास समनुरूपी निधियों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हैं।

**ग. सहायता का प्रयोजन और मात्रा**

1 किसी एक संगठन को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 30.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता नीचे दी गई सभी मदों अथवा किसी एक मद के लिए दी जा सकती है। अखिल भारतीय स्वरूप के ऐसे संगठनों और मठ विषयक षिक्षा प्रदान करने वाले किसी स्कूल के संचालन के मामले में वित्तीय सहायता की राषि अधिकतम सीमा से ज्यादा हो सकती है और जो विषेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिष पर और वित्तीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय के परामर्ष से संस्कृति मंत्री के अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

| क.सं. | मदें | अधिकतम राशि प्रतिवर्ष |
|---|---|---|
| i. | अनुरक्षण (कार्मिकों को वेतन, कार्यालय व्यय/विविध व्यय) | 5,00,000/रु. |
| ii. | बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन संबंधी अनुसंधान परियोजना | 2,00,000/रु. |
| iii. | बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों की खरीद, प्रलेखन, सूचीकरण | 5,00,000/रु. |
| iv. | मठवासी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना | 5,00,000/रु. |
| v. | बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए विषेष पाठ्यक्रम चलाना | 2,00,000/रु. |
| vi. | बौद्ध कला और संस्कृति के परिरक्षण और प्रसार के लिए पारंपरिक सामग्रियों की ऑडियो–वीडियो रिकार्डिंग/प्रलेखन/अभिलेख तैयार करना | 5,00,000/रु. |

| | | |
|---|---|---|
| vii. | मठीय बौद्धभिक्षुक स्कूलों के लिए आईटी उन्नयन और आईटी समर्थित षिक्षण/प्रषिक्षण सहायता प्रदान करना | 5,00,000/रु. |
| viii. | दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मठीय स्कूलों/मठों के लिए परिवहन सुविधा | 5,00,000/रु. |
| ix. | मठ–विषयक षिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल का संचालन कर रहे संगठन के अध्यापकों का वेतन | 5,00,000/रु. |
| x. | बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन मठों एवं विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण | 30,00,000/रु. |
| xi | कक्षाओं के लिए शौचालय तथा पीने के पानी सहित विद्यालय भवन, छात्रावास और प्रषिक्षण केन्द्रों का निर्माण जो बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति तथा मठीय विद्यालयों के लिए पारंपरिक षिल्प के कौषल विकास पर केन्द्रित हैं। | 30,00,000/रु. |

2 किसी संगठन को अनुमत अधिकतम अनुदान की मात्रा विनिष्चित अधिकतम सीमा के अध्यधीन किसी मद पर होने वाले कुल व्यय का 75 प्रतिषत होगी। शेष 25 प्रतिषत अथवा अधिक खर्च राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर अनुदानग्राही संगठन अपने स्वयं के संसाधनों से उक्त राषि का योगदान कर सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमषः 90:10 के अनुपात में निधि की भागीदारी होगी, ऐसा न होने पर अनुदानग्राही संगठन अपने स्वयं के संसाधन से उक्त राषि का योगदान करेगा।

**घ. आवेदन की प्रकिया :**

1. सम्बद्ध संगठन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से संगठन की पात्रता की जांच करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचना के साथ पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कष्मीर के लेह और कारगिल जिले में स्थित संगठन को अपने आवेदन केवल संबंधित जिलाधीष/उपायुक्त की सिफारिष के बाद सीधे संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है।

| **क.सं.** | **दस्तावेज/सूचना** |
|---|---|
| i. | वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि जिसमें पंजीकरण की वैधता स्पष्ट रूप से दर्षायी गई हो। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की यह प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो। |
| ii. | संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि। |
| iii. | पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा लेखों की प्रतियां |
| iv. | पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां |
| v. | शुरू किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप संबंधी मदवार विवरण, साथ ही मांगी गई निधियों का विस्तृत ब्यौरा, वांछित लाभार्थियों की संख्या, परियोजना की समय सूची आदि। |
| vi. | खरीदी जाने वाली पुस्तकों की सूची और उनकी लागत, यदि लागू हो। |
| vii. | सिविल निर्माण के मामले में भूमि/भवन का मालिकाना हक साबित करने वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, यदि लागू हो। |

| | |
|---|---|
| viii. | सिविल कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संबंधी सूचना जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कुल भूमि उपलब्धता, अनुमानित लागत–मदवार, व्यय की स्थिति, पूर्णता अनुसूची, प्रत्येक मद के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग से अनुमोदित प्राक्कलन, वास्तुविद के ब्यौरे, अध्ययन कक्षों के ब्यौरे – क्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक हैं, अध्ययन कक्षों की संख्या, प्रत्येक कक्षाओं में छात्रों की संख्या, कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और किस कक्षा तक आदि शामिल हैं, यदि लागू हों। |
| ix. | शिक्षकों का ब्यौरा – नाम, आयु, योग्यता एवं उनको भुगतान किया गया वेतन। षिक्षकों के वेतन से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित के अध्यधीन होंगे :– |
| | i) यदि सोसायटी अपने भवन में मठीय विद्यालय चला रही है अथवा यह इसके मठ में विद्यालय चला रही है।<br>ii) ऐसे विद्यालय में प्रषिक्षण लेने वाले मठवासी / मठ विद्यार्थियों की संख्या।<br>iii) षिक्षकों की संख्या, उनकी आयु और योग्यता तथा उनको भुगतान किया गया वेतन।<br>iv) क्या मठीय विद्यालय, राज्य में किसी स्थानीय षिक्षा बोर्ड अथवा किसी अन्य षिक्षा बोर्ड से संबद्ध है ?<br>v) क्या छात्र दैनिक षिक्षार्थी हैं अथवा विद्यालय स्रोत आवास में रह रहे हैं? |
| x. | विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–<br>i) छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए व्यक्तियों के चयन का मानदंड,<br>ii) क्या संगठन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति जारी करने के बारे में वित्तीय अथवा शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में अधिसूचित करता है? यदि हॉ, तो ऐसी अधिसूचना का तरीका और प्रमाण देना होगा। |

2 **सिफारिश :** राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र, जिलाधीष / उपायुक्त प्रस्ताव की सिफारिष करते समय निम्नलिखित की जांच करेंगे :–

2.1 संगठन की पंजीकरण स्थिति।

2.2 क्या संगम ज्ञापन के अनुसार संगठन के उद्देष्य और कार्यकलाप बौद्ध / तिब्बती कला और संस्कृति के संवर्धन से संबंधित हैं।

2.3 सूचना प्रौद्योगिकी उन्नयन, परिवहन सुविधाएं, सिविल निर्माण कार्य / षिक्षकों के वेतन के लिए मांगी गई निधियों के मामले में, क्या मठ, मठीय विद्यालय विद्यमान हैं / संगठन के स्वामित्व में हैं।

2.4 क्या संगठन ऐसी परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम है?

2.5 कार्यकलाप / कार्यकलापों और संबंधित राषि की सिफारिष की जाती है।

2.6 केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, जम्मू और कष्मीर के लेह और कारगिल जिले में स्थित संगठनों के लिए ''सहायता केन्द्र'' के रूप में कार्य करेगा।

**ङ.. अनुदान जारी करने का तरीका तथा शर्तें :**

क. आवेदन पत्रों के मूल्यांकन और विषेषज्ञ परामर्षी समिति द्वारा संस्तुत तथा उसके बाद संस्कृति मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारियों की प्रषासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय सहमति के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रभारी संयुक्त सचिव प्रत्येक मामले में विषेषज्ञ परामर्षी समिति तथा आईएफडी के साथ परामर्ष के आधार पर 30.00 लाख रूपए की राषि जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

ख. अनुदान की अदायगी दो समान किस्तों में की जाएगी, पहली किस्त सामान्यतः परियोजना की स्वीकृति के समय जारी की जाती है। दूसरी किस्त संपूर्ण अनुदान राशि तथा अनुदानग्राही / संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार के हिस्सों

के इस्तेमाल को दर्शाने वाले विधिवत लेखा परीक्षा विवरण तथा सनदी लेखाकार की ओर से अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। शेष केंद्रीय अनुदान के जारी किए जाने का निर्णय परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा, बशर्तें कि यह अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

ग. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

घ. परियोजना का लेखा अलग से और समुचित ढंग से रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा अथवा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अपने विवेकानुसार उसकी जांच की जा सकती है।

ड. संगठन, लेखाओं के भाग के रूप में अलग संलग्नक में ''अनुरक्षण'' शीर्ष के अंतर्गत व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा।

च. अनुदानग्राही निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :—

- i. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के सहायक लेखे।
- ii. विधिवत मुद्रित संख्याओं वाली जिल्दयुक्त पुस्तकों में हस्तलिखित रोकड़ बही रजिस्टर।
- iii. सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों के लिए सहायता अनुदान।
- iv. खर्च की प्रत्येक मद जैसे— छात्रावास भवन आदि के निर्माण के लिए अलग बही—लेखे।

छ. संगठन ऐसी सभी परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा जो सम्पूर्णतः अथवा अधिकांशतः केन्द्रीय सरकार के अनुदान से अधिगृहित की गई हों। इन परिसम्पत्तियों को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उन उद्देश्यों के अलावा, जिनके लिए अनुदान दिया गया है, न तो इस्तेमाल किया जाएगा अथवा बेचा जाएगा अथवा गिरवी रखा जाएगा।

ज. यदि किसी समय भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो जाता है कि मंजूर किए गए धन का इस्तेमाल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो अनुदान की अदायगी रोक दी जाएगी तथा पहले दिए गए अनुदानों की वसूली की जाएगी।

झ. संगठन को अनुमोदित परियोजना के संचालन में समुचित मितव्ययिता बरतनी चाहिए।

ञ. अनुदानग्राही संगठन, संस्कृति मंत्रालय को परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक अनुमोदित मदों की वास्तविक उपलब्धियों और उस पर होने वाले व्यय को विस्तारपूर्वक अलग—अलग दर्शाया गया हो।

ट. सिविल कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन, अगले 10 वर्षों के लिए समतुल्य उद्देश्य के लिए अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

ठ. अनुदानग्राही, पीडब्ल्यूडी से कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र तथा सिविल कार्य का फोटो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

ड. अनुदानग्राही, अनुसंधान परियोजना की 5 प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

ढ. बौद्ध धर्म से संबंधित विरासत भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नवीकरण के लिए अनुदान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से प्राप्त प्रमाण—पत्र के अध्यधीन होगा। इस कार्य के लिए एएसआई कार्यालय/संबंधित मंडल से यथोचित स्तर का एक अधिकारी संगठन से सम्बद्ध होगा।

ण. ऐसे आवेदनों, जिनके पिछले अनुदान/उपयोग प्रमाण—पत्र लंबित हैं, पर विचार नहीं किया जाएगा।

**च. भुगतान का तरीका :**

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से किए जाएंगे।

**छ. स्कीम का परिणाम :**

निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार दूसरी और अंतिम किस्त के अनुरोध के समय, हाथ में लिए गए कार्यकलाप संबंधी 'निष्पादन–तथा–उपलब्धि रिपोर्ट' संस्कृति मंत्रालय को विधिवत जिल्दसाजी की हुई 3 प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी।

**बौद्ध / तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता स्कीम**

**कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट**

| | | |
|---|---|---|
| i. | संगठन का नाम, पता, टेलीफोन / फैक्स नं. | |
| ii. | संस्वीकृति संख्या एवं तारीख | |
| iii. | कुल स्वीकृत अनुदान / व्यय | मद सं0 \| स्वीकृत अनुदान \| किया गया खर्च |
| iv. | परियोजना का स्थान | |
| v. | लाभार्थियों की संख्या | |
| vi. | फोटो सहित मदवार कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धियां | |
| vii. | बौद्ध कला और संस्कृति के परिरक्षण और विकास में सहायता के लिए इसने कैसे सहायता की / करेगा | |
| viii. | कोई अन्य बिन्दु | |

**हस्ताक्षर** ——————————

**संगठन के अध्यक्ष / सचिव**

**ज. अपूर्ण आवेदन :**

अपूर्ण आवेदन जिनके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न नहीं हैं तथा निर्धारित प्राधिकारी की सिफारिश के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्णतः अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

**झ. विशेष प्रावधान**

स्कीम से सम्बद्ध विषेषज्ञ परामर्षी समिति (ईएसी) को राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन / स्थानीय प्रषासन से बिना सिफारिष अथवा सिफारिष से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को संस्तुत अथवा अस्वीकृत करने की षक्ति प्राप्त है और साथ ही वह अधिकतम सीमा से बाहर भी राषि की सिफारिष कर सकती है परंतु यह राषि इस स्कीम से 1.00 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी ऐसे प्रस्ताव के संबंध में जो उत्कृष्ट स्वरूप का हो और जिसके संबंध में ईएसी अनुभव करे कि उक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए मंत्री (संस्कृति) के अनुमोदन से और संस्कृति मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार की सहमति से अधिकतम सीमा राषि पर्याप्त नहीं होगी तो उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तथापि, ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें 30.00 लाख रूपए की सीमा पार की गई हो, ईएसी द्वारा विस्तृत औचित्य दिया जाएगा।

**ञ. निरीक्षण और मॉनीटरिंग :**

प्रत्येक वर्ष कम से कम 5 प्रतिषत मामलों में मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विष्वविद्यालय, सारनाथ, नव नालंदा महाविहार, नालंदा, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह, जेडसीसीज जैसे स्वायत्तषासी संस्थानों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन, जिलाधीष / उप आयुक्त भी मॉनीटर करेंगे।

**ट. अनुदानों के दुरूपयोग के मामले में दंड :**

संगठन के कार्यकारी निकाय के सदस्यों से दुरूपयोग किए गए अनुदानों को वापस वसूल किया जाएगा। उक्त संगठन को निधियों के दुरूपयोग, गलत पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि के लिए काली–सूची में भी डाला जाएगा। सरकारी अनुदानों से बनाई गई सभी अचल सम्पत्तियां, मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने अधिकार में ले ली जाएंगी।

*****

18

# हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम

**क. उद्देश्य :**

इस स्कीम का उद्देष्य अनुसंधान, प्रलेखन, प्रसार आदि माध्यमों से जम्मू और कष्मीर, हिमाचल प्रदेष, उत्तराखंड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेष में फैले हिमालयी क्षेत्र की विस्तृत सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, संरक्षण व परिरक्षण करना है।

**ख. अनुदान का मापदंड :**

1 स्वैच्छिक संस्थान का पंजीकरण, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या पब्लिक न्यास के रूप में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत होना चाहिए और वह विगत तीन वर्षों से कार्यरत हो।

2 कॉलेज और विष्वविद्यालय भी आवेदन के पात्र हैं।

3 संस्थान में, अनुसंधान परियोजना को हाथ में लेने और उसको आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें अनुदान के लिए अपेक्षित स्कीम को लागू करने के लिए आवष्यक सुविधाएं, स्रोत और कार्मिक भी होने चाहिए।

4 कॉलेज और विष्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम की विवरणी में या अनुसंधान पाठयक्रम में, हिमालय की कला और संस्कृति के परिरक्षण से सम्बद्ध अध्ययन के विभिन्न पहलुओं को प्रारंभ करना चाहिए, यदि इन्हें पहले शामिल नहीं किया गया हो।

5 आवेदन करने वाले कॉलेज को विष्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए।

6 अनुदान, तदर्थ और गैर–आवर्ती प्रकृति का होगा।

7 इस स्कीम से अनुदान केवल उन संस्थानों को दिए जाएंगे जो किसी अन्य स्रोत से, ऐसे ही उद्देष्य के लिए अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

8 ऐसे संस्थानों को वरीयता दी जाएगी जो अपने क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपने हिस्से की धन राशि जुटाने में समर्थ हैं।

**ग. सहायता का उद्देश्य और मात्रा :** वित्तीय सहायता, अधोलिखित किसी भी मद के लिए, किसी एक संस्थान को अधिकतम, 10.00 लाख रू. तक दी जाती है :

| क.सं. | मद | प्रतिवर्ष अधिकतम राशि |
|---|---|---|
| i. | सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन और अनुसंधान | 10.00 लाख रू. |
| ii. | प्राचीन पांडुलिपियों, साहित्य, कला और षिल्प का अनुरक्षण और सांस्कृतिक कार्यकलापों / गतिविधियों जैसे संगीत नृत्य आदि का प्रलेखन। | 10.00 लाख रू. |
| iii. | कला और संस्कृति के कार्यक्रमों का श्रृव्य–दृष्य माध्यमों से प्रसार करना। | 10.00 लाख रू. |
| iv. | पारम्परिक और लोक कलाओं में प्रषिक्षण | 10.00 लाख रू. |

1. किसी संस्थान के लिए अधिकतम स्वीकार्य अनुदान राषि, किसी मद पर अधिकतम निर्धारित सीमा के अधीन खर्च की जाने वाली राषि की 75% होगी। षेष 25% या उससे अधिक व्यय, सरकार / संघ राज्य क्षेत्र वहन करेगा। ऐसा न होने पर

अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान, अपने संसाधनों से धन जुटाएगा। तथापि, अरूणाचल प्रदेष और सिक्किम के मामलों में निधि का बंटवारा भारत सरकार और उस संस्थान के मध्य क्रमषः 90:10 के अनुपात में किया जाएगा।

**घ. आवदेन की प्रकिया :**

1. संस्थान/व्यक्ति, अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन, अधोलिखित दस्तावेजों/ सूचना सहित संस्कृति मंत्रालय में प्रस्तुत करने के पूर्व, उस संस्थान की पात्रता के आकलन के लिए उस सम्बद्ध राज्य सरकार के माध्यम से भेजेगा, जहॉ पर परियोजना को लागू करने का प्रस्ताव है। तथापि, ऐसे संस्थान जो सिक्किम, अरूणाचल प्रदेष तथा जम्मू और कष्मीर के लेह और कारगिल जिलों में स्थित हैं, उन्हें केवल उस जिले के कलेक्टर/उपायुक्त की सिफारिष से अपने आवेदन, सीधे संस्कृति मंत्रालय को भेजने की छूट दी गई है। कॉलेज और विष्वविद्यालय अपने आवेदन विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे।

| क.सं. | दस्तावेज/सूचना |
|---|---|
| I | पंजीकरण प्रमाण–पत्र की वैध प्रतिलिपि, जिसमें स्पष्ट रूप से पंजीकरण की वैधता दर्षित हो। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि विधिवत राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाए। |
| ii | संगम ज्ञापन की प्रतिलिपि। |
| iii | पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा लेखाओं की प्रतियां। |
| iv | वार्षिक रिपोर्ट की पिछले तीन वर्षों की प्रतियॉ, जिनमें उपलब्धि से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण पुष्टि हेतु संलग्न हों। |
| v | प्रारंभ की जाने वाली योजना के कार्यकलापों का क्रमिक विवरण जिसमें लागत अनुमानों का ब्यौरा, सरकार से निधि प्राप्त करने की आवष्यकता, निधि के अन्य स्रोत, परियोजना की पूर्णता विषयक सारिणी आदि षामिल हो। |
| vi | अनुसंधान से संबंधित कार्मिकों के मामले में संक्षिप्त वर्णन। |

**ङ. संस्तुति :**

राज्य सरकार/जिला कलेक्टर/उपायुक्त/विष्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रस्ताव की संस्तुति के समय :

i. संस्थान की पंजीकरण स्थिति की जॉच करेगा/करेगी।

ii. यह सत्यापित करेगा कि संस्थान ऐसी परियोजना को चलाने में समर्थ है।

iii. यह सत्यापित करेगा कि षीर्ष/क्षेत्र संबंधी परियोजना चलाई जाने वाली प्रस्तावित परियोजना पहले कभी आरंभ नहीं किया गया था और यह एक नई परियोजना है।

iv. गतिविधि/ गतिविधियों और उससे सम्बद्ध राषि की संस्तुति करेगा/करेगी।

**च. अनुदान जारी होने की शर्तें और तरीका :**

क. यह अनुदान विषेषज्ञ परामर्षी समिति द्वारा आवेदन पत्रों के मूल्यांकन तथा सिफारिष और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए प्रषासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय सहमति के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

ख. अनुदान की राषि दो समान किस्तों में भुगतान की जाएगी, सामान्य रूप से, पहली किस्त– परियोजना के अनुमोदन के साथ ही जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त, परियोजना के पूर्ण होने और विधिवत लेखा परीक्षा किए गए लेखाओं के विवरण, जिसमें यह प्रदर्षित किया गया हो कि अनुदान की समस्त राषि तथा अनुदान प्राप्तकर्ता/संबंधित राज्य/संघ षासित क्षेत्र की सरकार के अंषदान का सदुपयोग कर लिया गया है, और अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी। अनुदान की षेष राषि को जारी करने का निर्णय, परियोजना के लिए अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, परियोजना पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

ग इस स्कीम के तहत जो संस्थान आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, उनका निरीक्षण, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार या संबंधित राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

घ परियोजना के लेखाओं का रख–रखाव, उचित रूप से और अलग–अलग किया जाएगा और जब कभी आवष्यक हो, इन्हें, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और यह जांच, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके विवेक के अधीन होगी।

ड. अनुदान प्राप्तकर्ता अधोलिखित का रख–रखाव करेगा :–

1. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के सहायक खाते।
2. कैष बुक रजिस्टर – हाथ से लिखी बाउंड बुक्स जिनमें मषीन से संख्याकन किया गया हो।
3. सरकार और अन्य अभिकरणों से प्राप्त अनुदान के लिए सहायता अनुदान रजिस्टर।
4. प्रत्येक मद के व्यय जैसे सिविल कार्य का निर्माण आदि के लिए अलग–अलग लेखा बही।

च. संस्थान, उन परिसंपत्तियों का पूरा अभिलेख रखेगा जो पूर्ण रूप से या वास्तविक रूप से केंद्र सरकार के अनुदान से अर्जित किए गए हैं और उनका निस्तारण, लाभकारी कार्यों में प्रयुक्त करने या उन उद्देष्यों से भिन्न प्रयोग करना जिनके लिए अनुदान दिया दिया गया था, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

छ. यदि किसी समय, भारत सरकार के पास ऐसा विष्वास करने का पर्याप्त कारण है कि स्वीकृत धन का उपयोग अनुमोदित प्रस्तावों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो, अनुदान का भुगतान रोका जा सकता है और पूर्व अनुदानों की वसूली की जा सकती है।

ज. अनुमोदित परियोजना की कार्य प्रणाली में, संस्थान को, तर्कयुक्त मितव्ययिता का अनुसरण करना चाहिए।

झ. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान, संस्कृति मंत्रालय को, परियोजना की एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें वास्तविक उपलब्धियों और प्रस्तावित प्रत्येक मद पर व्यय, दोनों के विवरणों को, अलग से दिखाया गया हो।

ञ. अनुदान प्राप्तकर्ता, परियोजना रिपोर्ट की तीन प्रतियां, विधिवत बाउंड/श्रव्य–दृष्य सीडी/फोटोग्राफ सहित, संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा और एक प्रति, उस राज्य को भेजेगा, जहां पर परियोजना का प्रारंभ किया गया है।

ट. उन संस्थानों के आवेदनों पर, जिनके विरूद्ध पूर्व अनुदान/उपयोग प्रमाण–पत्र विलंबित है, विचार नहीं किया जाएगा।

**छ. भुगतान का तरीका :**

सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अन्तरणों द्वारा किए जाएंगे।

**ज. स्कीम का परिणाम :**

अंतिम किस्त के लिए अनुरोध करते समय परियोजना के कार्यकलाप के संबंध में विधिवत बाउंड की गई, निष्पादन और उपलब्धि रिपोर्ट तीन प्रतियों में, संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ, परियोजना रिपोर्ट का निष्पादन सारांश, लाभार्थियों की संख्या, परियोजना का स्थान आदि अधोलिखित प्रारूप में दिए जाने चाहिए :

**हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम**

**कार्य निष्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट**

**परियोजना शीर्षक**

| | | |
|---|---|---|
| i. | संस्थान का नाम, पता, टेली./फैक्स | |
| ii. | स्वीकृति सं. और तारीख | |
| iii. | संपूर्ण स्वीकृत अनुदान/किया गया संपूर्ण व्यय | |
| iv. | परियोजना का स्थान | |
| v. | लाभार्थियों की संख्या | |
| vi. | निष्पादन तथा उपलब्धियां | |

| | | |
|---|---|---|
| vii. | यह किस प्रकार से, हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, संरक्षण और अनुरक्षण करने में सहायक होगा। | |
| viii. | अन्य कोई बिन्दु | |

हस्ताक्षर ..........................

संगठन के अध्यक्ष / सचिव

**ज. अपूर्ण आवेदन :**

ऐसे आवेदन जो उचित रूप में नहीं भरे गए हैं और जिनके साथ में आवष्यक दस्तावेज नहीं लगाए गए है तथा वे आवेदन जो निर्धारित प्राधिकारी की संस्तुति के बिना ही प्राप्त हुए हैं, उन पर विचार नहीं होगा और वे सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।

**झ. विशेष प्रावधान :**

स्कीम से सम्बद्ध विषेषज्ञ समिति को राज्य सरकार / स्थानीय प्रषासन से बिना सिफारिष अथवा सिफारिष सहित प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को संस्तुत अथवा रद्द करने तथा ऐसा कोई प्रस्ताव जो अत्यधिक महत्व का हो जिसके लिए ईएसी महसूस करे कि संस्कृति मंत्री के अनुमोदन तथा एएस एवं एफए, संसकृति मंत्रालय की सहमति से उक्त परियोजना को आरंभ करने हेतु उच्चतम सीमा पर्याप्त नहीं हैं, तो इस स्कीम की अधिकतम सीमा से अधिक किन्तु 30 लाख रुपए की राशि से कम की राशि की सिफारिश करने की षक्ति प्राप्त है।

**ञ. निरीक्षण और निगरानी**

कम से कम 5 प्रतिषत मामलों में निरीक्षण, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार, जिला कलेक्टर / उपायुक्त भी निगरानी करेंगे।

**ट. अनुदान के दुरूपयोग के मामलों में आर्थिक दंड :**

संस्थान के कार्यकारी निकाय के सदस्य किसी भी दुरूपयोग के मामले में वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। संस्थान को निधि के दुरूपयोग, फर्जी प्रमाण–पत्र आदि के लिए काली सूची में दर्ज़ कर दिया जाएगा। सरकारी अनुदान की सहायता से सृजित सभी अचल परिसम्पत्तियां संस्कृति मंत्रालय द्वारा संस्तुत स्थानीय प्रषासन द्वारा हाथ में ले ली जाएंगी।

*****

# 19

# अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन की स्कीम

संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य सांस्कृतिक करारों और सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से भारत तथा विश्व के विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना और भारतीय संस्कृति का प्रसार करना है। अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों की स्कीम का उद्देश्य विदेशों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसका प्रसार करना है। इस प्रयोजन से यह स्कीम संगोष्ठियों, महोत्सवों, प्रदर्शनियों आदि के लिए सांस्कृतिक विषयों पर कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव देती है ताकि भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता कायम हो और विदेशी नागरिक भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ सीख सकें। इसमें उन विदेशी कलाकारों और छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी एक घटक मौजूद है जो भारतीय संस्कृति या कला रूप या संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि का अध्ययन करने के इच्छुक हैं। यह स्कीम विभिन्न संगठनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय और देशी मेलों एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

**क. सेमिनारों, महोत्सवों और सांस्कृतिक विषयों के लिए विदेश जाने वाले कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों हेतु वित्तीय सहायता।**

इस स्कीम के भाग के तहत, विदेशों में प्रदर्शन/ सहभागिता के लिए भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित किए जाने वाले सेमिनारों, अनुसंधान, कार्यशालाओं, महोत्सवों और प्रदर्शनियों आदि के लिए एवं भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए कलाकारों को यात्रा व्यय में सहायता प्रदान की जाती है जो आगे भी विदेशों में भारतीय संस्कृति का संवर्धन करने में सहायक सिद्ध होगा।

**ख. लक्ष्य / लाभ**

विदेशों में प्रदर्शन / सहभागिता के लिए भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यकलापों, सेमिनारों, अनुसंधानों, कार्यशालाओं, महोत्सवों, प्रदर्शनियों आदि हेतु विदेश जाने के लिए कलाकारों की सहायता हेतु यात्रा संबंधी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। तथापि, यह स्कीम उन संगठनों या संस्थानों के लिए नहीं है जो धार्मिक संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

**ग. पात्रता**

1. सोसाइटियों, न्यासों, गैर सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों जैसे 'गैर–लाभकारी संगठनों' सहित व्यक्ति एवं समूह।
2. आवेदन की तारीख से कम से कम 5 वर्ष पूर्व से ही संस्कृति के क्षेत्र से संबंधित कार्यकलापों में कार्यरत व्यक्ति। इनके पास यूआईडी नम्बर / आधार कार्ड होना चाहिए।
3. सोसाइटियां, न्यास, गैर सरकारी संगठन और विश्वविद्यालय पंजीकृत होने चाहिए एवं इनका एक समुचित रूप से गठित शासी निकाय तथा स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रकार्यात्मक दायित्व/ संगम ज्ञापन होना चाहिए।
4. एक समूह में से केवल 5 कलाकारों को शामिल किया जाएगा।
5. अनुदान की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति/ गैर सरकारी संगठन / संस्थान / न्यास एक वित्त वर्ष में एक ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। यदि, इसी कार्यकलाप के लिए, चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी अन्य सरकारी संगठन/ निजी संस्थान से अनुदान प्राप्त किया जाता है, तो उस अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

## घ. सहायता राशि की मात्रा

1. केवल 75,000/–रू. की उच्चतम सीमा या वास्तविक हवाई यात्रा किराए के इकॉनॉमी क्लास हवाई टिकट की ही प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि बाकी सभी मानदंड पूरे हों।

2. इस अनुदान के तहत केवल हवाई यात्रा किराए का ही भुगतान किया जाएगा तथा वीज़ा शुल्क या पंजीकरण शुल्क जैसे किसी अन्य शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। आवेदक से किसी सरकारी संगठन या निजी संस्थान का इसी प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता की प्राप्ति / गैर प्राप्ति संबंधी प्रमाण–पत्र अपेक्षित है। यदि अनुदान प्राप्त कर रहे हों तो आवेदक : (क) उसका विवरण तथा (ख) संस्वीकृत राशि, यदि कोई हो उपलब्ध करवाएं।

3. वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन/ संस्वीकृति पत्र भावी यात्रा से पहले ही जारी कर दिया जाएगा। यात्रा समाप्ति के बाद किसी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात, भारत लौटने पर तथा मूल रूप में टिकट, वाउचर और बोर्डिंग पास उपलब्ध करवाने पर प्रतिपूर्ति आधार पर वास्तविक भुगतान किया जाएगा। यात्रा के बाद प्रस्तुत दस्तावेज को अनुमोदन पत्र के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

## ड. आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन संबंधी निर्णय मामला दर मामला आधार तथा पहले आओ पहले पाओ आधार पर बजट उपलब्धता के अनुसार लिया जाएगा।

2. आवेदन पत्र यात्रा / कार्यक्रम से तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

3. इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता का आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति/ संगठन, अनुलग्नक । और ।। जैसा भी लागू हो पर दिए गए मंत्रालय के निर्धारित प्रारूप में आवेदन भिजवाएंगे।

4. संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया, दोनों पर ही वार्षिक रूप से एक विज्ञापन दिया जाएगा। आवेदन वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. प्रत्येक तिमाही की निर्धारित तारीख को, संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा सभी प्रकार से पूरे आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा ताकि प्राप्त आवेदनों/ प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सके।

   मंत्रालय केवल पूर्ण आवेदन पत्रों को ही आगे बढ़ाएगा तथा अनुसूचित कार्यक्रम की तारीख से पहले, चयनित आवेदक को अंतिम निर्णय की सूचना देगा तथा तत्पश्चात अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा होने पर यह अनुदान जारी कर दिया जाएगा।

## च. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़

1. व्यक्तियों के मामले में, उनके शैक्षिक अभिलेख तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित चरित्र प्रमाण–पत्र।

2. संस्थान /संगठन / एनजीओ द्वारा आवेदन के मामले में संगठन का संघटन और पंजीकरण विवरण, संगठन की संभावनाएं, संगम ज्ञापन, संगठन के नियम और विनियम, प्रत्येक सदस्य के विवरण सहित बोर्ड/ प्रबंधन का संघटन। यदि आवेदक एक पंजीकृत एनजीओ है, तो भारत सरकार के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति।

3. गत तीन वर्ष में संस्कृति के क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों की रिपोर्ट।

4. प्रायोजित किए जाने वाले व्यक्ति का आधार / यूआईडी नंबर भी प्रस्तुत किया जाएगा।

5. आवेदक या संगठन का आय और व्यय विवरण तथा किसी सनदी लेखाकार या सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रमाणित की गई गत तीन वर्ष की बैलेंस शीट की प्रति। एनजीओ/ न्यासों से आवेदन के मामले में, 3 वर्षों की लेखा–परीक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में 3 वर्षों के कार्यकलापों सहित वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

6. संस्वीकृत निधियों का इलैक्ट्रॉनिक अंतरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक खाते का विवरण।

7. मेजबान संगठन की ओर से निमंत्रण पत्र जिसे विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से भिजवाया जाएगा या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय मिशनों की ओर से एक संस्तुति पत्र।

   यदि आवेदक संस्कृति मंत्रालय का एक संगठन हो या कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया हो तो निमंत्रण पत्र आवश्यक नहीं होगा तथापि इसका आवेदन पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए।

8. उस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए सहायता का अनुरोध किया गया है, उसकी अवधि, स्थान, यात्रा की संभावित या तय तारीखों सहित। यदि उपलब्धता हो तो टिकट की अनुमानित लागत का उल्लेख करें। सेमिनार या सम्मेलन के लिए सहायता के इच्छुक आवेदक उस पत्र या उसका सारांश प्रस्तुत करें जिसे प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो।

**छ. किस्तें**

यात्रा के पूरा होने पर तथा टिकट, वाउचर और बोर्डिंग पास मूल रूप में प्रस्तुत करने पर यथा संस्वीकृत संपूर्ण व्यय राशि की प्रतिपूर्ति एक ही किस्त में कर दी जाएगी।

**ज. भुगतान का तरीका**

सभी भुगतान केवल इलैक्ट्रॉनिक अंतरणों के माध्यम से ही किए जायेंगे।

**झ. मामले पर कार्रवाई करने का समय**

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा की तारीख से लगभग तीन माह पूर्व, अग्रिम रूप से आवेदन करें।

*****

# 20

# विदेशी कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों को भारतीय संस्कृति (अमूर्त सांस्कृतिक विरासत) के किसी रूप का अध्ययन करने और / अथवा सीखने के लिए वित्तीय सहायता।

इस स्कीम का मुख्य घटक भारतीय संस्कृति के किसी रूप जैसे कि नृत्य, संगीत, नाटक, पारम्परिक चित्रकला, कोई अन्य कला रूप आदि का अध्ययन करने/ सीखने के इच्छुक विदेशी कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यह विदेशी कलाकारों को ख्याति प्राप्त भारतीय नृत्य, नाटक, संगीत आदि के स्वतंत्र गुरू अथवा स्कूल/संस्थानों के अधीन अध्ययन करने में समर्थन करेंगे इस उद्देश्य के लिए विदेशी कलाकार **पाठ्यक्रम शुल्क और /अथवा प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर स्थानीय खर्चों और वापसी के हवाई किराए** का वहन करने के लिए समय–समय पर यथा निर्धारित वजीफे हेतु एकमुश्त सहायता अनुदान के पात्र होगें। गुरू/ विद्यालय/ संस्थान को भी समय–समय पर यथा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा। इस अध्ययन की समय अवधि लचीली होगी और यह अल्प कालिक और दीर्घकालिक दोनों भिन्न माड्यूलों में उपलब्ध होगी। इससे दूर–दराज के देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार होगा और भारत की समृद्ध संस्कृति का वैश्विक स्तर पर प्रसार होगा।

## (क) लक्ष्य /लाभ :

इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य विदेशी कलाकारों को वैयक्तिक गुरूओं अथवा इसकी शिक्षा देने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों से संगीत, नृत्य, नाटक आदि के क्षेत्र में भारत में अध्ययन करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना है। ऐसे व्यक्ति / विदेशी कलाकार / छात्र को अपनी पसंद के कलारूप को सीखने का इच्छुक होना चाहिए और उसके द्वारा भारत में उस गुरू/ संस्थान की पहचान कर ली जानी चाहिए जो उसे सीखाने के लिए तैयार हो। इन कलाकारों को **अधिकतम दो वर्षों** के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और ये लोग बाद में विश्व के विभिन्न भागों में हमारी संस्कृति का प्रसार करने के माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।

## (ख) पात्रता

1. भारतीय कला के किसी रूप को सीखने के इच्छुक विदेशी लोग नागरिक ही इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
2. आवेदक को उस गुरू / संस्थान की पहचान कर लेनी चाहिए जहां से वह सीखना चाहता है और उसे शिक्षा देने के लिए गुरू / संस्थान से स्वीकृति भी ले लेनी चाहिए। आवेदक के पास गुरू / संस्थान/ मेजबान संगठन से पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को आमंत्रित करते हुए **प्रस्ताव / सिफारिश/ अनुमोदन पत्र** होना चाहिए।
3. आवेदक के पास वित्तीय सहायता की राशि से ऊपर के खर्चों को वहन करने के लिए सुविधाएं/ संसाधन होने चाहिए।

## (ग) सहायता की मात्रा

1. इस अनुदान में 75000/–रू. की अधिकतम राशि के अध्यधीन वास्तविक आधार पर यात्रा खर्च पर हुए व्यय (आवेदक के देश से भारत तक का अन्तरराष्ट्रीय हवाई किराया), अधिकतम दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क और /अथवा स्थानीय खर्चों को पूरा करने के लिए वजीफा शामिल होगा।
2. यह वित्तीय सहायता 20,000/– रू. की अधिकतम सीमा तक संबंधित गुरू / संस्थान द्वारा यथा निर्धारित एक मुश्त राशि (पाठ्यक्रम शुल्क और/अथवा वजीफे के व्यय को पूरा करने के लिए) होगी जिसे समिति द्वारा निर्धारित और अनुमोदित किया जाएगा।

यदि कलाकार/ व्यक्ति, गुरू /संस्थान के साथ रह रहा है तो ऐसे मामलों में आवास शुल्क/ वजीफा, गुरू/संस्थान की सिफारिशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा और यह 2 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए प्रत्येक छः महीने की चार किस्तों की विहित अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

ऐसे मामलों में जहां कलाकार/ व्यक्ति, गुरू/संस्थान के साथ नहीं रह रहा तो भुगतान संबंधित क्षेत्र में मौजूदा दर के आधार पर किया जाएगा जो समिति द्वारा यथा निर्धारित महानगरों के लिए अधिकतम 6000/– रू. तथा अन्य स्थानों के लिए 4000/–रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा।

3. पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर तथा इस संबंध में गुरू/संस्थान द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करने पर आवेदक वापसी के हवाई किराए का भी हकदार होगा (75000रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए वास्तविक किराया सूची के अनुसार इकनॉमी क्लास)।

4. आवेदक को समिति द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक का व्यय स्वयं वहन करना होगा और धनराशि जारी होने से पहले इस संबंध में बंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।

## (घ) भुगतान का तरीका

1. यह भुगतान अधिकतम चार किस्तों में किया जाएगा । इसकी पहली किस्त आवेदक द्वारा स्वीकृति की प्राप्ति तथा संस्थान में उसके दाखिला होने पर गुरू/ आवेदक को जारी की जाएगी। गुरू/संस्थान द्वारा दी गई निष्पादन रिपोर्ट तथा आवश्यक होने पर स्वतंत्र संस्थान की समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर छः महीनों के पूरा होने पर बाद वाली किस्ते जारी की जाएगी।

2. यह भुगतान समिति द्वारा यथा अनुमोदित गुरू/ संस्थान और /अथवा व्यक्ति को किया जाएगा। यह भुगतान अधिकतम दो वर्षों के लिए छः मासिक किस्तों में किया जाएगा।

3. 75000/–रू. की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, टिकट, वाउचर और बोर्डिंग पास (मूल रूप में) को प्रस्तुत करने पर वास्तविक हवाई शुल्क के आधार पर हवाई यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति कलाकार/व्यक्ति को की जाएगी।

4. संबंधित गुरू/ संस्थान से पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर वापसी के हवाई किराए का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए टिकट और वाउचर प्रस्तुत करने होंगे।

5. सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा ही किए जाएंगे।

## (ड.) आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदनों पर निर्णय बजट की उपलब्धता के आधार पर मामला–दर–मामला तथा पहले– आओ–पहले–पाओ के आधार पर किया जाएगा।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य सरकारी संगठन/ (निजी संस्थान) से इसी पाठ्यक्रम के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन पत्र पाठ्यक्रम के शुरू होने से छः महीने पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए ताकि संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस पर कार्रवाई की जा सके। मामले पर विचार करने के लिए तीन महीने की समय अवधि की आवश्यकता होगी।

4. इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति अनुलग्नक –III पर दिए गए मंत्रालय के विहित प्रपत्र में आवेदन भेजेंगे।

5. संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट तथा प्रिंट मीडिया दोनों में वार्षिक रूप से विज्ञापन दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है।

6. प्राप्त आवेदन पत्रों / प्रस्तावों तथा वित्तीय सहायता की राशि को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही की निर्धारित तारीख को सभी रूप से पूर्ण

आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

(आवेदन पत्रों पर आगे विचार करने से पहले, संस्कृति मंत्रालय गुरू /संस्थान से आवेदक का सत्यापन प्राप्त करेगा।)

7. मंत्रालय केवल पूर्ण आवेदनों पर ही विचार करेगा और अन्तिम निर्णय लिए गए चयनित आवेदकों को ही सूचित करेगा। इसके पश्चात आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अनुदान जारी किया जाएगा।

8. विगत तीन वर्षों में संस्कृति के क्षेत्र में आवेदक द्वारा संचालित कार्यकलापों की रिपोर्ट।

9. आवेदक को उसके आवेदन पत्र पर हुए अंतिम निर्णय (स्वीकार करने) के बारे में सूचित किया जाएगा। आवेदक को विहित प्रपत्र में एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके पश्चात वित्तीय और सामान्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अनुदान को जारी किया जाएगा।

**(च) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़**

1. गुरू/प्रशिक्षण संस्थान/ मेजबान संगठन से पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को आमंत्रित करते हुए प्रस्ताव/संस्तुति / अनुमोदन पत्र।

2. गुरू/संस्थान का नाम, सम्पर्क का पूरा पता, पाठ्यक्रम की अवधि, उक्त प्रशिक्षण को चुनने के लिए कारणों तथा भावी लाभों समेत इसमें होने वाला आकलित खर्च (पाठ्यक्रम शुल्क, यात्रा घटक आदि) का उल्लेख करते हुए आवेदित पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का संक्षिप्त ब्यौरा।

3. आवेदक का परिचय पत्र तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने में उसकी रूचि तथा वित्तीय सहायता के लिए उसकी पात्रता/ योग्यता का सत्यापन करते हुए भारतीय राजनयिक मिशन से प्रमाण–पत्र।

4. किसी अन्य सरकारी संगठन अथवा निजी संस्थान से इसी उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा किए गए आवेदन के ब्यौरे। यदि हां (क) तत्संबंधी ब्यौरा और (ख) अनुमोदित राशि, यदि कोई हो।

5. अनुमोदित धनराशि के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए बैंक खाते का विवरण।

6. विगत तीन वर्षों में संस्कृति के क्षेत्र में संचालित कार्यकलापों की रिपोर्ट सहित आवेदक द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यों/ लिए गए प्रशिक्षण का उल्लेख करते हुए आवेदक का एक संक्षिप्त जीवनवृत्त।

7. आवेदक की आय एवं व्यय का विवरण।

8. क्षतिपूर्ति बंधपत्र।

21

# अंतरराष्ट्रीय और देशी पुस्तक मेलों एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का मुख्य उद्देश्य है अच्छी पुस्तकों में संवर्धन द्वारा भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाना। एक और उद्देश्य है कि ऐसे वातावरण का सृजन करना जिससे बड़ी संख्या में लोग पुस्तकों की खरीदारी करें और पढ़ें।

**क. लक्ष्य / लाभ**

पुस्तकों और पढ़ने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय/राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, दुर्लभ प्रकाशनों/पांडुलिपियों/सरकारी दस्तावेज आदि की प्रदर्शनियां, सेमिनार, सम्मेलन तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रस्ताव है। इस स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना भी शामिल है। सोसाइटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, प्रकाशकों तथा पुस्तक व्यापार एसोसिएशनों सहित गैर लाभार्थी संगठन भी अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। जिन प्रख्यात लेखकों और प्रकाशकों को साहित्यिक उत्सवों / पुस्तक मेलों जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है, वे भी इस स्कीम के तहत अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, यह स्कीम, ऐसे संगठनों या संस्थाओं के लिए नहीं है जो धार्मिक संस्थाओं, या स्कूलों / कॉलेजों के रूप में कार्य कर रही हैं।

अनुदान की इच्छा रखने वाले संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI–साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटियों के पंजीकरण का अधिनियम), न्याय अधिनियम, कंपनी अधिनियम या किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन लगभग तीन वर्ष से कार्यरत और पंजीकृत होने चाहिए।

**ख पात्रता**

1. अनुदान हेतु पात्र होने के लिए ओवदनकर्ता संगठन के पास एक उचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय या शासी परिषद होने चाहिए जिसकी शक्तियां, दायित्व और जिम्मेदारियां लिखित संविधान के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित की गई हों।
2. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा परियोजना लागत के लगभग 25 प्रतिशत तक के समतुल्य संसाधनों को नियोजित या योजनाबद्ध किया गया हो।
3. संगठन के पास उस कार्यक्रम / परियोजना को आरंभ करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक और कार्यानुभव होना चाहिए जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है।
4. जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया गया है उस कार्यक्रम के आयोजन या भागीदारी के पूर्व अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. जिन प्रख्यात लेखकों और प्रकाशकों को पुस्तक मेलों, साहित्यिक उत्सवों और अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में शोध पत्र आदि प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया हो, वे भी इस स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

   अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता के अंतर्गत सामान्यत : इकॉनॉमी क्लास हवाई यात्रा का किराया, भोजन व्यवस्था एवं आवास (यानि कि प्रति दिन) प्रभार कवर किए जाएंगे जो वर्तमान सरकारी दरों के अनुसार होंगे। पुस्तकों और अन्य प्रदर्शों की पैकिंग और जहाज से माल भेजने तथा बीमा प्रभार (जहां भी लागू हों) भी शामिल किए जाएंगे।

**ग. सहायता प्रदान किए जाने वाले कार्यकलापों के प्रकार तथा सहायता राशि की मात्रा**

1. पठन को संवर्धित करने के प्रयोजन से सामान्यतः शीतऋतु के दौरान पूरे देश भर में पुस्तक मेलों / प्रदर्शनियों का

आयोजन किया जाता है। दिल्ली, कोलकाता, पटना, चेन्नई और कुछ अन्य राज्यों की राजधानियों में मुख्यतः बड़े वार्षिक पुस्तक मेले आयोजित किए जाते हैं।

2. भारत और विदेशों में दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों, दुर्लभ सरकारी दस्तावेज आदि की प्रदर्शनी सहित पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों और संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

3. प्रकाशकों की एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों सहित फ्रैंकफर्ट, लंदन, बीजिंग और मॉस्को जैसे शहरों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी।

4. भारत और विदेशों में पुस्तक पठन / चर्चा सत्र, साहित्यिक उत्सव, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों के साथ–साथ पुस्तक प्रकाशन, बाल साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं आदि में प्रकाशन की प्रवृत्ति पर सेमिनार और सम्मेलन।

**घ सहायता की राशि :**

उपरोक्त अनुच्छेद 3.2 उप–अनुच्छेद (V) में यथा उल्लिखित विशिष्ट परियोजना अनुदान कुल व्यय के 75 प्रतिशत तक सीमित होगा जो प्रति कार्यक्रम अधिकतम 10.00 लाख रू. की सीमा के अध्यधीन होगा। सहायता की राशि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

**ड. आवेदन प्रक्रिया :**

इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के इच्छुक संगठन विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक IV और V जो भी लागू हो) आवेदन भेजेंगे।

संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट तथा प्रिंट मीडिया दोनों में वार्षिक रूप से विज्ञापन दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय (विज्ञापन में यथा उल्लिखित विहित प्रक्रिया के अनुसार) आवेदन किया जा सकता है। यह आवेदन पत्र किसी राष्ट्रीय अकादमी अथवा भारत सरकार के अधीन किसी अन्य संस्कृति संबंधी संगठन अथवा संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन / राज्य अकादमी / विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा संस्तुत होना चाहिए।

**च. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज**

1. संगठन की संरचना
2. शासी निकाय अथवा प्रबंधन बोर्ड का संघटन और प्रत्येक सदस्य संबंधी ब्यौरे
3. अद्यतन उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रति
4. निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;
   - क. जिस परियोजना के लिए सहायता चाहिए उस परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा जिसमें इसकी अवधि, स्थान, संभावित और सटीक तारीखे तथा इस क्षेत्र में संगठन के विगत अनुभव के अन्य ब्यौरे साथ में दिए गए हो।
   - ख. आवर्ती तथा गैर आवर्ती व्यय का अलग–अलग मद वार ब्यौरा प्रदान करते हुए परियोजना का वित्तीय विवरण।
   - ग. उस स्रोत का उल्लेख जहां से सदृश धनराशि प्राप्त की जाएगी।
5. आवेदक अथवा संगठन का आय एवं व्यय संबंधी विवरण तथा विगत तीन वर्षों के सनदी लेखाकार अथवा सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित तुलन पत्र की एक प्रति।
6. समुचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विहित प्रपत्र एक क्षतिपूर्ति बंध पत्र।
7. अनुमोदित अनुदान के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को सुलभ बनाने के लिए बैंक खाते के विवरण।

**छ. लेखांकन प्रक्रियाएं**

1. केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदान के संबंध में पृथक लेखाओं का रख–रखाव किया जाएगा ;

2. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन के लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उनके विवेकानुसार उनके नामिती के द्वारा किसी भी समय लेखा–परीक्षा के लिए उपलब्ध रहेंगे।

3. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन अनुमोदित परियोजना पर हुए खर्च को दर्शाते हुए तथा पूर्व वर्षों में सरकारी अनुदान के उपयोग का उल्लेख करते हुए सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित लेखाओं का विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता तो जब तक सरकार द्वारा कोई विशेष छूट न दी गई हो, वह तुरंत प्राप्त अनुदान की राशि को उस पर भारत सरकार की मौजूदा ब्याज दर के साथ वापस लौटाने की व्यवस्था करेगा।

4. जब कभी भी सरकार को आवश्यक प्रतीत हो, अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा समिति के नियुक्त करने अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके के माध्यम से समीक्षा के लिए खुला रहेगा।

5. अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी प्रतिनिधिमंडल और व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करेगा। इस प्रकार की अनुमति के आवेदन केवल संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाएंगे।

6. अनुदान प्राप्तकर्ता समय–समय पर सरकार द्वारा लागू अन्य शर्तों के अध्यधीन होगा।

**ज. किस्त :**

यह अनुदान कुल अनुमोदित राशि की 75 प्रतिशत (प्रथम किस्त) और 25 प्रतिशत (दूसरी किस्त) की दो किस्तों में जारी किया जाएगा।

**झ. भुगतान का तरीका :**

सभी भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से ही किए जाएंगे।

**ञ. स्कीम का आउटपुट :**

संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता से अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन/ व्यक्ति द्वारा आयोजित किए गए/ भाग लिए गए कार्यक्रमों/ समारोह के विवरण का उल्लेख करने वाली एक रिपोर्ट एक महीने की अवधि के भीतर दो प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**ट. मामलों पर कार्रवाई करने में लगने वाला समय :**

मामलों पर कार्रवाई करने के लिए दो महीने की समय अवधि लगेगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले अग्रिम रूप में आवेदन करें।

**नोट : किसी तरह की पैरवी करने पर आवेदक को अनुदान हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

*****

22

# स्थाई वित्त समिति द्वारा यथा अनुमोदित भारत–विदेश मैत्री सांस्कृतिक सोसाइटियों हेतु सहायता अनुदान स्कीम

1. यह स्कीम ''भारत–विदेश मैत्री / सांस्कृतिक सोसाइटियों हेतु सहायता अनुदान स्कीम'' के नाम से जानी जाएगी।
2. इस स्कीम के तहत उन भारत–विदेश मैत्री / सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान संस्वीकृत किया जाएगा जो भारत और संबंधित विदेश के बीच गहरी मित्रता और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। यह अनुदान योजना शीर्ष से प्रदान किया जाएगा।
3. इस स्कीम के तहत जारी किए जाने वाले अनुदान विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय मिशनों को प्राधिकृतियों के रूप में जारी किए जाएंगे तथा प्राधिकृत राशि को मिशन के पास उनके खाते में रखा जाएगा।
4. इस अनुदान का उपयोग सामान्यतः सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा न कि मिशन के सीधे कार्यकलापों के लिए।
5. इस स्कीम के तहत, अनुदान, मुख्यतः अनुदान प्राप्तकर्ताओं के उन कार्यकलापों के खर्च को कवर करने के लिए दिया जाएगा जो भारत की सांस्कृतिक छवि के संवर्धन तथा संबंधित देश में उसकी सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान स्थिति और परिप्रेक्ष्यों की बेहतर समझ का सृजन करने और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों आदि को बढ़ाने में सहायक हों, उदाहरणार्थ, भारत से संबंधित मामलों में रूचि रखने वाले प्रख्यात विद्वानों, कलाकारों आदि को आमंत्रित करके भारतीय संस्कृति, इतिहास, सभ्यता पर चर्चाएं प्रायोजित की जा सकती हैं। वे अपने भवन को भारत से संबंधित पुस्तकों, भारतीय कला वस्तुओं के प्रतिरूपों, भारतीय हस्तशिल्प आदि से सुसज्जित कर सकते हैं। सोसाइटियों द्वारा आरंभ किए जाने योग्य अन्य कार्यकलापों में राष्ट्रीय दिवसों, भारतीय महोत्सवों और महान हस्तियों की वर्षगांठ मनाना, भारतीय दलों द्वारा प्रदर्शन, पुस्तकों की प्रदर्शनी, योग, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में कक्षाओं / पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना, पुस्तकों / जर्नलों का प्रकाशन, भारत से संबंधित साहित्य रखने वाले पुस्तकालय / पठन कक्ष चलाना और भारत दौरे पर आए प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, कलाकारों आदि का उनके स्थानीय प्रतिरूपों के साथ पारस्परिक संबंध बढ़ाना सोसायटी को स्वीकृत अनुदान के मुकाबले इस मंत्रालय द्वारा किए गए अनुदान के वस्तु घटक पर व्यय आदि शामिल हैं।

   यह अनुदान, पात्र सोसाइटियों या केन्द्रों आदि को नकद के साथ–साथ वस्तु रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु रूप में इन सभी कार्यकलापों के लिए प्रदान किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसी सोसाइटियों के भवनों को नकद अनुदान के स्थान पर भारतीय कला वस्तुओं, हस्तशिल्पों या पुस्तकों आदि से सुसज्जित किया जा सकता है। भारतीय कला वस्तुएं, हस्तशिल्प, पुस्तकें आदि मिशन द्वारा सीधे ही उपयुक्त रूप से संसाधित करने के पश्चात प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा, बहुमूल्य भारतीय चित्रों, कलाकृतियों आदि के डिजिटल पुनर्मुद्रणों या प्रतिकृतियों को मिशन द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए), ललित कला अकादमी (एलकेए), भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय और राज्य एम्पोरिया तथा भारत या विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों या संगठनों से अधिक सक्षम रूप से संसाधित किया जा सकता है।

   जब भी किसी प्रख्यात भारतीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व के सांस्कृतिक दल द्वारा देश में योजनाबद्ध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना हो तथा देश के मिशन प्रमुख यह महसूस करें कि उस दल या प्रख्यात भारतीय सांस्कृतिक व्यक्तित्व द्वारा कुछ अतिरिक्त पारस्परिक वार्ताएं / परस्परिक क्रिया का आयोजन करने से उक्त स्कीम के उद्देश्यों को काफी कम लागत पर आगे बढ़ाया जा सकेगा तो मिशन द्वारा इन सभी खर्चों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा और इस दल की लागत को सीधे ही कवर करके या आयोजकों को ऐसा करने के लिए नकद अनुदान देकर किया जाएगा। यदि मिशन द्वारा यह खर्च सीधे ही उठाया जा रहा हो, तो सोसाइटी को भेंटे / क्रियाकलाप के लागत अनुमान की सूचना दी जाए तथा भारतीय मिशन द्वारा यह खर्च सीधा ही उठाए जाने से संबंधित स्वीकृति लिखित रूप से सोसायटी से प्राप्त की जाए। इस प्रकार उठाया जाने वाला खर्च उक्त स्कीम के अंतर्गत सोसाइटी की स्वीकार्यता के लिए समायोजित किया जाएगा।
6. इस स्कीम के तहत संस्वीकृत अनुदान उन सामान्य शर्तों के अधीन होंगे जो भारत में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों हेतु

गैर–आवर्ती अनुदान पर लागू होती हैं, किन्तु अनुदानों से संबंधित संपरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करने की शर्त में छूट दी जाएगी। मिशन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (अनुबंध–। के अनुसार) स्वीकार किया जाएगा।

मिशन इस संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता के खातों की अनौपचारिक रूप से जांच करेगा और इस बात की संतुष्टि करेगा कि अनुदान का उचित उपयोग किया गया है।

7. अनुदान राशि की मात्रा निधियों की उपलब्धता तथा वित्त प्रबंधित किए जाने वाले अनुदान प्राप्तकर्ता के कार्यकलापों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। **तथापि, यह अनुदान सामान्यतः 500000/–रू. (पांच लाख रू.) प्रति वर्ष प्रति सोसाइटी से अधिक नहीं होना चाहिए। मिशन को प्राधिकृत की जाने वाली निधियों की कोई निर्धारित सीमा नहीं है क्योंकि यह सोसाइटियों की उपलब्ध संख्या के अनुसार सांस्कृतिक संवर्धन के लिए मिशन द्वारा उपयोग में लाई जा सकने वाली निधियों पर निर्भर करेगा।** एक सोसाइटी के लिए अनुमत अधिकतम सीमा से ऊपर की अतिरिक्त राशि, संस्कृति मंत्रालय के उस संबंधित संयुक्त सचिव के विवेकानुसार प्रदान की जाएगी जहां संस्कृति मंत्रालय, सांस्कृतिक दलों आदि की मेजबानी के लिए खर्च जुटाने के लिए भारत महोत्सव/संस्कृति सप्ताहों के आयोजन का प्रस्ताव करती है।

8. भारतीय मिशन, मैत्री सोसाइटियों को अनुदान आबंटित करने से पहले, यह सुनिश्चित करेंगे कि–

1. सोसाइटी, संबंधित देश में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने तथा भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
2. सोसाइटी के पास कार्यकलापों का एक निर्धारित और सुनियोजित कार्यक्रम है जिसके लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता आवश्यक है।
3. सोसाइटी ने भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत पूर्व अनुदान, यदि कोई हो, को लाभजनक रूप से उपयोग किया हो।

इस प्रयोजन से, उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यूसी) सहित (अनुबंध I के II अनुसार) निष्पादन सह–उपलब्धता प्रपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए। इस अनुबंध III के अनुसार मिशन इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि सोसाइटियां (एनजीओ) किसी प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में शामिल नहीं है।

9. मिशनों का प्राधिकरण, जैसा कि ऊपर वर्णित है, दूतावास द्वारा निष्पादित नीचे दी गई शर्तों के अधीन होगा–

1. अनुदान प्राप्तकर्ता को इस अनुदान का एक अलग खाता रखना होगा जिसकी जांच संबंधित मिशन द्वारा की जाएगी।
2. दूतावास के उपयोगिता प्रमाण–पत्र में यह भी दर्शाया गया हो कि उपयोग में लाई गई राशि के लिए जिन निर्धारित, परिमाणित और गुणात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना था, क्या वे वास्तव में प्राप्त किए गए हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण बताएं।
3. अनुदान प्राप्तकर्ता, संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान का एक सहायक खाता तैयार करेंगे।
4. जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया है उसकी कार्य निष्पादन सह उपलब्धि संबंधी रिपोर्ट (2 प्रतियां) भारतीय दूतावास द्वारा मंत्रालय को अग्रेषित की जाएं। इसके अलावा यह अनुदान समय दर समय संशोधित जीएफआर में दी गई शर्तों के अधीन है।
5. अनुदान प्राप्तकर्ता के पास खर्च नहीं हुई शेष राशि, यदि कोई हो, अविलंब सरकार को सौंप दी जाए।
6. अनुदान प्राप्तकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह अनुदानों का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे और संबंधित कार्य की स्कीम का निष्पादन किसी अन्य संस्था या संगठन को सौंप दे तथा अनुदान की शर्तों और निबंधनों को माने। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन से करने में असमर्थ रहता है जिस प्रयोजन से इसकी संस्वीकृति की गई थी, तो अनुदान प्राप्तकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर सहित पूरी राशि वापस लौटा दे।
7. सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं या संगठनों के लेखाओं का निरीक्षण मंत्रालय द्वारा तथा लेखापरीक्षा, सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 के प्रावधान के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दोनों द्वारा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा, मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा की जाएगी, जब भी संस्था या संगठन से ऐसा करने को कहा जाएगा।
8. अनुदान प्राप्तकर्ता को सदृश कार्यकलाप /प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से सहायता अनुदान की संस्वीकृति नहीं दी गई है।
9. सदृश प्रयोजन से किसी अन्य बिल या किस्त का भुगतान अनुदान प्राप्तकर्ता को पहले ही न कर दिया गया हो।

*****

23

# ''भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण'' की स्कीम

भारत के पास उत्कृष्ट कृतियों वाली जीवंत और विविध सांस्कृतिक परंपराएं पारंपरिक अभिव्यक्तियां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विशाल धरोहर मौजूद है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के इन कला रूपों के अस्तित्व और प्रचार–प्रसार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समाधान करने के उद्देश्य से संस्थागत सहायता प्रदान करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यद्यपि, ऐसे परिरक्षण संबंधी प्रयास खंडित रूप से किए जा रहे है, अतः एक संस्थागत और केन्द्रीयकृत स्कीम की अपेक्षा महसूस की जा रही है, ताकि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) में व्यावसायिक रूप से जागरूकता और रूचि बढ़ाने, इसे सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित करने, संवर्धित करने और प्रचार करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकें।

इस प्रयोजनार्थ, संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों, चिन्हित गैर–संस्कृति मंत्रालय की संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, अनुसंधान कर्ताओं तथा विद्वानों पर पुनः बल देने और इन्हें पुनर्जीवित करने संबंधी उद्देश्य के साथ ''भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण स्कीम'' नामक एक स्कीम तैयार की है, ताकि ये भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलापों/परियोजनाओं हेतु कार्य कर सके।

इस स्कीम में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मंच कला, सामाजिक प्रथाओं, रीति–रिवाजों और उत्सव घटनाक्रमों, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान तथा प्रथाओं, पारंपरिक शिल्प कौशल आदि के माध्यम के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां जैसे आईसीएच विषयक सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र शामिल होंगे।

## क. कार्य क्षेत्र

इस स्कीम का उद्देश्य, विभिन्न पणधारियों के प्रयासों की तुलना में यूनेस्को द्वारा इसकी मान्यता सहित भारत की समृद्ध, विविध एवं विशाल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की व्यापक मान्यता और स्वीकार्यता, प्रचार–प्रसार, परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु समर्थन और इसे सुदृढ़ करने का है। इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित की सहायता प्रदान करना है :–

1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों आदि के परिरक्षण और प्रचार–प्रसार में कार्यरत संस्थाएं/विश्वविद्यालय/ राज्य सरकारें/संघ–राज्यक्षेत्र प्रशासन/गैर–संस्कृति मंत्रालय की संस्थाएं/ सोसायटियां/गैर–सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना।
2. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों आदि के अनुसंधान, प्रशिक्षण, परिरक्षण, स्थायीकरण, प्रसार और प्रचार में कार्यरत व्यक्तियों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों, व्यावसायिकों को सहायता प्रदान करना।

## ख. स्कीम के अंतर्गत सहायता

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता, इन सांस्कृतिक परंपराओं/अभिव्यक्तियों को जीवंत बनाए रखने में शामिल उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित संगठनों/व्यक्तियों आदि को सुदृढ़ करते हुए आई सी एच के सभी रूपों के अस्तित्व और प्रचार–प्रसार के साथ–साथ कार्यशालाओं के लिए छात्रों, कलाकारों, प्रदर्शकों से लेकर व्यावसायिकों को प्रशिक्षण सहायता देते हुए इन्हें परिरक्षित करने, प्रसारित करने, संवर्धित करने आदि, कलाकारों का प्रलेखन करने, डाटा बेस सृजन करने, और शिक्षा एवं संस्कृति आदि का समन्वय करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समाधान करने के उद्देश्य से, अनावर्ती अनुदान, मानदेय, अवसरंचना अनुदान आदि के रूप में प्रदान की जाएगी।

सहायता, आईसीएच से संबंधित लघु अनुसंधान और संदर्भित कार्य, इसकी प्रस्तुति, संवर्धन के साथ–साथ आईसीएच पर ध्यान केन्द्रित करने वाली विरासत शिक्षा, विरासत को लोकप्रिय बनाने तथा प्रकाशन कार्य आदि के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भी दी जाएगी।

**ग. स्कीम के अंतर्गत समर्थित किए जाने वाले कार्यकलाप**

इस स्कीम का स्वरूप अधिक व्यापक है, क्योंकि यह भारत के सभी आईसीएच रूपों को कवर करती है। संस्कृति मंत्रालय पहले से ही सांस्कृतिक समारोह अनुदान स्कीम, वेतन/निर्माण अनुदान स्कीम, छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम जैसी अनेक स्कीमें संचालित कर रहा है। ये स्कीमें भारत की आईसीएच का परिरक्षण और संवर्धन करने के लिए केवल विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करती हैं। तथापि, यह स्कीम एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आईसीएच के सभी मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्रों की संपूर्ण श्रेणी के साथ–साथ भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को कवर करती है। तदनुसार, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :–

1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विस्तृत सूची के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की पंजिका सृजित करने के प्रयोजनार्थ प्रलेखन/डाटा सृजन/ सूचीकरण आदि करना।
2. यूनेस्को द्वारा अभिलेख के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के नामांकन डोजियरों को तैयार करने सहित भारत की अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों/विविध सांस्कृतिक परम्पराओं की उत्कृष्ट कृतियों का परिरक्षण, सहायता और संरक्षण करना, ताकि इन कला रूपों के अस्तित्व और प्रचार–प्रसार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समाधान किया जा सके, इन क्षेत्रों में छात्रों और कलाकारों को प्रशिक्षण सहायता देना, कार्यशालाओं के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करना, विभिन्न मीडिया के माध्यम से कला–प्रस्तुतियों का प्रलेखन करना और डाटा बेस का सृजन करना, प्रचार–प्रसार के लिए सहायता देना आदि।
3. भारत की आईसीएच/विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में शिक्षा और संस्कृति के समेकन हेतु कार्यकलाप।
4. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण अर्हता रूपरेखा (एनवीआईक्यूएफ) के अंतर्गत कला से संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों को स्थापित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल का समर्थन करना।

**घ. पात्रता मानदण्ड/शर्तें**

स्कीम के तहत वित्तीय सहायता की राशि एवं विस्तृत पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

1. आवेदक संगठनों/संस्थानों/सोसाइटियों/राज्य या संघ राज्य प्रशासनों के पास सुविधाओं व संसाधनों, पूर्व अनुभव (वों) आदि सहित उचित रूप से गठित प्रबंधन/शासकीय परिषद/निकाय होना चाहिए। उन्हें अपने कम से कम पिछले 3 वर्ष के संपरिक्षित लेखाओं का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
2. संगठनों/संस्थानों/पंजीकृत निकायों/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासन, अकादमियों/विश्वविद्यालयों, सोसाइटियों, के लिए विशिष्ट परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता की राशि 10 लाख रूपयों तक होगी। व्यक्तियों के लिए, सहायता की राशि 5 लाख रू. तक होगी।
3. यह अनुदान 3 किश्तों में जारी किया जाएगा–50 प्रतिशत अग्रिम रूप से, 25 प्रतिशत मूल्यांकन के पश्चात दूसरी किश्त के रूप में और शेष 25 प्रतिशत परियोजना/क्रियाकलाप के पूरा होने और उसके प्रमाण के तौर पर संगत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्।
4. निधि जारी करने का कार्य इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा किया जाएगा।

**ङ. स्कीम का प्रचार/विज्ञापन**

संगीत नाटक अकादमी/ संस्कृति मंत्रालय, दोनों की ही वेबसाइटों और साथ ही साथ प्रिंट मीडिया में इस स्कीम के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन दिया जाएगा। एक प्रवृत वित्त वर्ष में, आवेदन प्रस्तुत करने हेतु, विज्ञापन छपने की तारीख से 60 दिन की अवधि दी जाएगी।

**च. आवेदनों का प्रस्तुतीकरण**

यह आवेदन, संलग्न निर्धारित प्रारूप में उसमें उल्लिखित विवरणानुसार ''सचिव, संगीत नाटक अकादमी, तृतीय तल, रबीन्द्र भवन (मंडी हाऊस दूरदर्शन केंद्र के सामने), 35 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली–110001'' (वेबसाइट

sangeetnatak.gov.in) को संबोधित किया जाना चाहिए। अपूर्ण आवेदन या आवेदन प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

**छ. आवेदनों पर आगे की कार्रवाई**

1. आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात्, आवेदनों पर आगे की कार्रवाई संगीत नाटक अकादमी द्वारा की जाएगी।
2. कोई प्रस्ताव/आवेदन जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विशिष्ट स्कीमों के तहत कवर होता हो, उस पर इस स्कीम के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा तथा आवेदक को तद्नुसार सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु, स्कीम के अंतर्गत उल्लिखित विशेषज्ञ समिति में से एक उप–समिति/उप–समूह का गठन किया जाएगा जो प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा/छानबीन करेगा।
3. पूर्ण आवेदनों को हर दो वर्ष में गठित होने वाली विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
4. विशेषज्ञ समिति, परियोजना की सिफारिश करते हुए. प्रस्तावित क्रियाकलाप के पूरा होने के समयांतराल निर्धारित करेगी ताकि दूसरी/तीसरी किस्तों का दावा प्रस्तुत किया जा सके।
5. विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संस्कृति मंत्रालय को भेजी जाएंगी।
6. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, अनुमोदित प्रस्तावों/मामलों की सूची संगीत नाटक अकादमी/संस्कृति की वेबसाइटों पर दर्शाई जाएगी। इसके अलावा, संबंधित प्रस्तावकों/आवेदकों को अलग से सूचनाएं भिजवाई जाएंगी।
7. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, संस्वीकृत राशि की पहली किस्त इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा जारी कर दी जाएगी।
8. निधियों की दूसरी किस्त जारी होने से पूर्व विशेषज्ञ समिति, या संगीत नाटक अकादमी के सदस्यों या संस्कृति मंत्रालय या उसके किसी संगठन सहित किसी नामित एजेंसी/पदधारी द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि समय–सीमा का पालन नहीं किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 11 (iv) में वर्णित है, तो अयोग्यता/वसूली उपबंध लगाया जा सकता है।
9. निधियन की अंतिम किस्त परियोजना के पूरा होने एवं उसके प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के पश्चात जारी की जाएगी। ये किस्तें 50 : 25 : 25 के अनुपात में जारी की जाएंगी।

**ज. आवेदन के साथ उपलब्ध करवाए जाने वाले दस्तावेज**

संगठनों / संस्थानों / समूहों के लिए

1. पंजीकरण प्रमाण–पत्र/अधिनियम/सरकारी संकल्प या आदेश जिसके तहत वह संगठन एक विधिक निकाय बना।
2. संगठन का गठन, संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम, जहां लागू हो।
3. प्रबंधन बोर्ड एवं/या शासी निकाय का वर्तमान संघटन।
4. नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।
5. जिस प्रस्ताव के लिए सहायता का अनुरोध किया गया हो, उसकी अवधि तथा परियोजना के लिए नियोजित किए जाने वाले स्टाफ/व्यक्ति(यों), यदि कोई हो, की अर्हताएं व अनुभव सहित विवरण सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव।
6. निधियां प्राप्त करने के स्रोतों तथा मद–वार विवरण देते हुए प्रस्ताव का वित्तीय विवरण।
7. एक वचनपत्र जिसमें यह कहा गया हो कि संस्कृति मंत्रालय या उसके संगठनों की किसी अन्य स्कीम के तहत कोई मिलता जुलता प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।
8. आवेदक संगठन/संस्थान का पिछले तीन वर्ष का आय एवं व्यय विवरण तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकारी लेखा–परीक्षक द्वारा प्रमाणित गत वर्ष के तुलन पत्र की प्रति।

9. समुचित राशि के स्टैम्प पेपर पर एक निर्धारित प्रपत्र में, आवेदक संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति बंधपत्र।

10. संस्वीकृत निधियों के इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर परिचालित करने के लिए एक निर्धारित पत्र में, बैंक अकाउंट का विवरण।

**झ. व्यक्तियों के लिए**

1 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दस्तावेज में से, उपरोक्त (I) से (IV) में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक नहीं हैं। इसके बदले आवेदक अपना निजी ब्यौरा व गत पांच वर्ष में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसके द्वारा किए गए कार्य/कार्यकलापों का एक संक्षिप्त विवरण उपलब्ध करवाएगा।

2 आवेदन में, शैक्षिक अर्हताओं, अनुभवों आदि के संबंध में दिए गए ब्यौरे के समर्थन में, डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाण–पत्र, आदि यदि कोई हो, की एक सत्यापित प्रति। किसी भी स्थिति में मूल दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाएं।

3 एक नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ़;

4 भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संबंधी उपलब्धियों तथा किए गए कार्य के दस्तावेज़/ फोटोग्राफों की सत्यापित प्रतियां।

**ञ अयोग्यता उपबंध**

आवेदक द्वारा किए गए वचनपत्र में दिए गए उपबंधों / शर्तों में से कोई भी यदि बाद में झूठा/ गलत पाया जाता है तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

**ट. विशेषज्ञ समिति**

1. विशेषज्ञ समिति का गठन, संस्कृति मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, दो कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

2. अध्यक्ष सहित, विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध सांस्कृतिक पंरपराओं के विभिन्न क्षेत्रों से नामित किया जाएगा जैसा कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तावित एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

3. भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत/विविध संस्कृतिक परम्पराओं के प्रख्यात विशेषज्ञ द्वारा विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की जाएगी।

4. संस्कृति मंत्रालय से संबंधित संयुक्त सचिव और सचिव, संगीत नाटक अकादमी, समिति के पदेन सदस्य होंगे। सचिव, संगीत नाटक अकादमी या उसके प्रभारी, विशेषज्ञ समिति की बैठकों के संयोजक होंगे।

5. विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की संख्या विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यू टी) की जनसंख्या के समानुपातिक होगी। सामान्यतः, संबंधित राज्य /यू टी की प्रत्येक चार करोड़ की जनसंख्या हेतु एक सदस्य का चयन किया जाएगा। राज्यों/यूटीज के मामले में इस मानदण्ड में छूट दी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक राज्य/यूटी से कम से कम एक सदस्य चुना जाए।

6. स्कीम के उद्देश्यों के संदर्भ में विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से उप–समिति (यों)/समूह (हों) का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक उप–समिति/समूह से कम से कम 7 सदस्य होंगे।

**ठ. अवसंरचना का सृजन/विकास**

स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना के सृजन व वास्तविक परिसंपत्तियों के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की जाएगी।

**ड. अनुवीक्षण प्रणाली**

विशेषज्ञ समिति/उप–समिति या संस्कृति मंत्रालय या उसके किसी संगठन सहित किसी अन्य नामित एजेंसी/ पदधारियों द्वारा किसी भी समय, लाभार्थी का मूल्यांकन/निरीक्षण किया जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय, स्कीम के

कार्यान्वयन के संबंध में, आवधिक रिपोर्टों/रिटर्न आदि के द्वारा सूचना भिजवाई जाती रहेगी। संस्कृति मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव, किसी भी समय स्कीम से संबंधित पदधारियों सहित कोई भी ब्यौरे/सूचना मांग सकते हैं।

## ढ. वित्तीय विनियमों का अनुपालन

जी.एफ.आर/डी एफ पी आर के प्रावधानों जिसमें अनुदान प्राप्तकर्ता/लाभार्थी द्वारा देय उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अग्रिम निपटान से संबंधित प्रावधान भी सम्मिलित हैं, सहित सभी वित्तीय विनियमों/अनुदेशों का पालन किया जाएगा। तद्नुसार, कार्यान्वयन एजेंसी के लेखाओं का नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा/निरीक्षण किया जा सकता है जिसमें सी सी ए/ संस्कृति मंत्रालय द्वारा की जाने वाली आंतरिक लेखा–परीक्षा भी शामिल है।

## ण. दिशानिर्देशों में छूट/संशोधन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के अधीन की जाने वाली प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इन दिशानिर्देशों में किसी प्रकार की छूट/संशोधन किया जा सकता है अर्थात आई एफ डी/एएस एवं एफए की सहमति से, सचिव (संस्कृति) द्वारा छूट/संशोधन किया जा सकता है।

*****

## महत्वपूर्ण

कृपया ध्यान दें कि संस्कृति मंत्रालय की एक बहुत ही सक्रिय वेबसाइट है

(www.indiaculture.nic.in)

हम सभी आवेदकों को स्कीमों, आवेदन प्रक्रियाओं और प्रपत्रों संबंधी किसी भी तरह की अद्यतन स्थिति जानने के लिए इस वेबसाइट को देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय. भारत सरकार  **www.indiaculture.nic.in**